11th May, 1987

(68)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ____
Date ____

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 28, आठवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 49, सोमवार, 11 मई, 1987/21 वैशाख, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	7—9
मोटर-यान विधेयक—पुरःस्थापित	9—10
नियम 377 के अधीन मामले :	10—15
(एक) आयकर आयुक्त, बम्बई के अधिकार क्षेत्र में आयकर आयुक्त का कार्यालय खोलने की आवश्यकता	
श्री एस० जी० घोलप	10
(दो) भोपाल में एक यूनानी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री के० एन० प्रधान	10—11
(तीन) फिरोजाबाद को एक पृथक जिला बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री गंगा राम	11
(चार) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में रजक्कमंगलम में ताप-विद्युत परि-योजना स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री एन० डेनिस	11—12
(पांच) उत्तर प्रदेश सरकार को उन किसानों को राहत प्रदान करने के लिए जिनकी फसलें भारी वर्षा और ओला वृष्टि आदि के कारण नष्ट हो गई हैं, पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री राजकुमार राय	12
(छह) आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में अराकू घाटी तथा पर्यटन महत्व के अन्य स्थानों का विकास करने की आवश्यकता	
श्री गोपाल कृष्ण थोटा	13
(सात) बिहार में महानन्दा थाले में बाढ़ नियन्त्रण और जल निकासी के लिए एक सम्पूर्ण जल प्रबन्ध योजना तैयार करने की आवश्यकता	
श्री सैयद शहाबुद्दीन	13—14

विषय	पृष्ठ
(आठ) कर्नाटक में गौरीबिदिनूर में सहकारी चीनी कारखाने को फिर से खोलने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री बी० कृष्ण राव	14
(नौ) उड़ीसा में सम्बलपुर में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	14
(दस) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल शहर में इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक नया प्रणोदक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री सी० जंगा रेड्डी	14—15
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के रानीखेत, दूनागिरी, जलना अथवा चम्पावत जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रस्तावित फल अनुसंधान और विकास संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री हरीश रावत	15
नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन	15
गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन विधेयक और संविधान (सत्तावनवां) संशोधन विधेयक	16—83
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
सरदार बूटा सिंह	16
श्री सी० माधव रेड्डी	16—18
श्री शान्ताराम नायक	18—20
डा० सुधीर राय	20—21
श्री एडुआर्डो फैलीरो	21—23
प्रो० मधु दण्डवते	23—25
श्री शरद दिघे	25—26
श्री पी० कुलनदईवेलू	26
श्री मनोरंजन भक्त	26—27
श्री विजय कुमार यादव	27—28
श्री सी० के० जाफर शरीफ	28
श्री पीयूष तिरकी	28—29
श्री हरुभाई मेहता	29—30
श्री सी० जंगा रेड्डी	30—32
श्री यू० एच० पटेल	32

विषय	पृष्ठ
श्री एन० वी० एन० सोमू	32—33
श्री अनूप चन्द शाह	33—34
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	34—35
श्री आशुतोष लाहा	35
श्रीमती डी० के० भण्डारी	35—36
श्रीमती ऊषा चौधरी	36—37
श्री पी० षण्मुख	37—38
सरदार बूटा सिंह	38—41
श्री राजीव गांधी	41
गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन विधेयक	
खण्ड 2 से 72 और 1	41—43
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	
सरदार बूटा सिंह	43—44
संविधान (सत्तावनवां) संशोधन विधेयक	
खण्ड 2 और 1	44—73
संशोधन रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	
सरदार बूटा सिंह	73—83
अरुणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक	83—88
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
सरदार बूटा सिंह	83—84, 87—88
श्री जी० जी० स्वैल	84—86
श्री पी० के० थुंगन	86—87
खण्ड 2 और 1	88
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
सरदार बूटा सिंह	88
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक	88—123
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी० जंगम रेड्डी	89—91
श्री एन० डेनिस	91—94
श्री के० आर० नटराजन	94—95
श्री चिन्तामणि जैना	95—97

विषय	पृष्ठ
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	97—98
श्री मानवेन्द्र सिंह	99—101
श्री सलाउद्दीन	101—102
श्री के० एस० राव	101—104
डा० फूलरेणु गुहा	104—105
श्री केयूर भूषण	105—107
श्रीमती जयन्ती पटनायक	107—108
श्री एम० अरुणाचलम्	108—113
खण्ड 2 से 17 और 1	114—123
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम० अरुणाचलम्	123
श्रीलंका में हिंसात्मक घटनाओं में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा	126—135 व 135—140
श्री बृजमोहन महन्ती	126—133
श्री एन० वी० एन० सोमू	133—135
श्री सैयद शहाबुद्दीन	135—139
सभा पटल पर रखे गए पत्र	135

लोक सभा

सोमवार, 11 मई, 1987/21 वैशाख, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कृपया हमें एक-एक करके बोलने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। पहले ममता जी की बात सुन लें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कृपया उन्हें पहले बोलने दें ताकि सभा में शांति रहे··· (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : आज के समाचार पत्रों के अनुसार; पंजाब में 16 व्यक्ति मार दिए गए हैं। राज्य सरकार कुछ भी क्यों नहीं कर रही है ? मैं गृहमन्त्री, श्री बूटा सिंह से पंजाब को बचाने के लिए कुछ करने का निवेदन करती हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री श्यामलाल यादव को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री श्यामलाल यादव (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, कल पंजाब में 16 आदमियों की हत्या कर दी गई। वहां पर पुलिस पर इस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है कि निष्पक्ष ढंग से पुलिस काम नहीं कर पा रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सज्जन बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात अभी सुन ली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं करिए। इस बात का फायदा क्या होगा ?

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न हो।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? इसका फायदा क्या है ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आज कैसे नींद खुल गई ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी बात की हद होती है । मैं दो आदमियों से वही बात सुनी और आपने भी कह दी । अब कोई दूसरा आदमी कुछ कहे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है । आप रिअलाइज क्यों नहीं करते ? भगवान के लिए रिअलाइज करिए और अगर ऐसा करने से आपका काम बन जाए तो जरूर करिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यूथ कांग्रेस को कैसे समझायें ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको यह भी पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं ? मैंने यह कहा है कि भगवन, आपके दो आदमियों ने वही बात कह दी और उसको अगर 20 ने कहा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता क्योंकि वह समझ में नहीं आई ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन ली है । होम मिनिस्टर बैठे हैं । उन्होंने भी सुन ली है । अब आप क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दो को सुन लिया है । कोई और कहना चाहता हो तो बता दें । होम मिनिस्टर बैठे हैं, उन्होंने आपकी बात भी सुन ली है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं क्या कर सकता हूं, भगवन, आप बताइए ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी जेब में तो कुछ है नहीं ।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : जेब में नहीं, जवाब में है । (व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप न सुनने देना चाहते हैं, न सुनाना चाहते हैं—बताइए, मैं क्या कर सकता हूं ? पचास एक साथ बोलते हैं, ऐसे तो सुना नहीं जाएगा। राय साहब, एक आदमी कहना चाहता था, उससे कहलवा दिया। उन्होंने अपनी बात कह दी। ममता जी ने भी कह दी और आपने भी दोहरा दिया। अब मैं और क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैंने कहलवा दिया है।

(व्यवधान)

श्री शमिन्दर सिंह : स्पीकर साहब, गृह मन्त्री के चिट्ठी लिखने या टेलीफोन करने से तो पंजाब की समस्या साल्व नहीं होगी। कोई इमीडिएट ऐक्शन क्यों नहीं लेते हैं ?

और हमारे लीडर्स जैसे प्रकाशसिंह जी बादल व टोहराजी को आम कैदियों की तरह से जेलों में रखा गया है, उनको पोलिटकल प्रिजनर्स की तरह किसी अच्छी जगह रेस्ट हाउस में क्यों नहीं रखा जाता है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, हम प्रेस वक्तव्य की कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं··· (व्यवधान) हम श्रीलंका के भूमि विकास मन्त्री श्री दिशानायके के प्रेस वक्तव्य के खिलाफ अपनी कड़ी आपत्ति प्रकट करते हैं, जिसमें कहा गया है···

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा आज करने वाले हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलु : महोदय, तामिलनाडु सरकार ने एक कोष की स्थापना की है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुलनदईवेलू जी, आज इस पर चर्चा की जाने वाली है।

श्री पी० कुलनदईवेलु : हमें उस मन्त्री के रुख और आचरण की निन्दा करने वाला एक संकल्प पारित करना होगा···

अध्यक्ष महोदय : हम उसी विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलु : महोदय, वह न केवल तमिलनाडु की बल्कि सम्पूर्ण भारत का निरादर कर रहे हैं।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : वह कटे पर नमक छिड़क रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज ही इस पर चर्चा करने की अनुमति दे रहा हूं। चिन्ता मत कीजिए।

श्री एन० वी० एन० सोमू : मन्त्री महोदय को उनको करारा उत्तर देना चाहिए। वह कटे पर नमक छिड़क रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : करेंगे, अब। अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इनको कहा है। आप बैठ जाइए। इनको इजाजत दी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चर्चा होने दें, उसके बाद देखेंगे।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : निस्संदेह हम पंजाब की घटनाओं से चिन्तित हैं लेकिन हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने के मन्त्रिमण्डल के निर्णय से सम्बन्धित प्रेस खबरों के बारे में और भी अधिक चिन्तित हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास तो आया नहीं है, साहब।

[अनुवाद]

लेकिन आप गृह मन्त्री से पूछ सकते हैं। वह बता सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय गृह मन्त्री मौजूद हैं। (व्यवधान)

प्रो मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, आपने संविधान के अनुच्छेद 78 के सम्बन्ध में मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा की है। संसदीय कार्य मन्त्री का कहना है कि हम इस पर आज ही विचार कराने का पूरा प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह फैसला आप कर सकते हैं···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप अपने प्रभाव का प्रयोग करें। हमारा प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ आप से कह सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहली बात यह है कि मैं इसे स्वीकार कर सकता था और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब यह फैसला कार्य मन्त्रणा समिति अथवा सभा पर निर्भर करता है।

प्रो० मधु दण्डवते : कार्य मन्त्रणा समिति है कहां ? (व्यवधान) महोदय, वास्तव में हमारे साथ किए गए वायदे के साथ विश्वासघात है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं, फिक्र मत करिए। जो मेरे बस में है, जिसकस जरूर करवा दूंगा।

[अनुवाद]

मैं इस पर चर्चा करवा दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं कह रहा हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री हमारे साथ किए गए वायदे से पीछे हट रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : होगा, साहब।

प्रो० मधु दण्डवते : होगा, क्या सर ?

अध्यक्ष महोदय : होगा, आज ही थोड़े खत्म हो जाएगा। काम तो चलता ही रहेगा।

[अनुवाद]

हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सारा देश चर्चा कर रहा है, लेकिन संसद नहीं कर रही है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं होगा। मैंने तो कर ही इसीलिए दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) **:** महोदय, क्या इस देश के किसी राज्य के मुख्यमन्त्री को विदेशों में जाकर निन्दापूर्ण वक्तव्य देने की छूट है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां मुख्य मंत्रियों पर चर्चा नहीं करा सकता।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) **:** जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू डिवीजन में लगातार भारी वर्षा हुई है। महोदय खाद्यान्नों और चारे का भारी नुकसान हुआ है तथा तापमान में कमी आने के कारण, पौधों के बीज नष्ट हो गए हैं तथा वे अंकुरित नहीं हो रहे हैं। अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : करवा दूंगा।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही सवाल है, हिमाचल प्रदेश में तमाम फसलें और बागवानी का नाश हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप भी दे दो, करवा दूंगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि संसद का यह सत्र महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से शुरू हुआ, जिसमें पंजाब सरकार को धर्म-निरपेक्षता की लड़ाई लड़ने के लिए श्रेय दिया गया, जबकि आज पंजाब में आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों को प्रश्रय देने का आरोप उसी सरकार पर लगाया जा रहा है। श्रीमन्, किसी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह न केवल पंजाब सरकार का फेल्युर है, बल्कि उनकी भी जिम्मेदारी है, जो उस सरकार की मदद कर रहे थे। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मन्त्री जी को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन मासूमों के खून को जो पंजाब में बहाया जा रहा है।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन अच्छी तरह से जानता है और और मैं खास करके विरोधी दल के नेताओं का आभारी हूं, जिन्होंने पूरा साथ दिया। मेरे मान्यवर सदस्य ने कहा—नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, इसके साथ ही साथ जो संविधान में हमारी रिसपांसिबिलिटी है, उसके साथ हम पूरी तरह से बचनबद्ध हैं और हम पूरी जिम्मेदारी निभायेंगे। अभी श्री अमलदत्ता जी ने और भाई शमिन्दर जी ने भी कहा है और मैं अर्ज करना चाहता हूं···

[अनुवाद]

पंजाब में स्थिति बहुत तेजी से खराब होती जा रही है। मैं मुख्य मन्त्री से सम्पर्क बनाए हुए हूं और मैंने उनसे बहुत बार निवेदन किया है। स्थिति कुछ हाथ से निकलती जा रही है। मुझे अभी उनसे कोई रचनात्मक उत्तर नहीं मिला है अतः, हम स्थिति पर बड़े ध्यान से नजर रखे हुए हैं। हम जिम्मेदारी लेने से नहीं भागेंगे।

अमल दत्ता जी ने जो कहा है, अगर वह अनिवार्य है तो, भारत सरकार देश के प्रति अपना दायित्व निभायेगी। हम जिम्मेदारी से नहीं बचेंगे। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम पंजाब के लोगों को बचायेंगे। हम पंजाब में बलों को बचाएंगे। हम किसी भी व्यक्ति को उनकी छवि नहीं गिराने देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने श्री अरुण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की एक सूचना दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं।

[अनुवाद]

मैंने पहले ही यह कदम उठा लिया है। मैं आपको जानकारी दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको विवरण दे दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्रीमन् !

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पंजाब के बारे में···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं। आप बैठ जाइए। जब होगा, तब कर लेंगे। मैं अब क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कब आयेगा ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं। जब आएगा, तब आपके सामने आ जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी ने नाई से पूछा कि तेरे सिर पर कितने बाल। उसने कहा, महाराज अभी पांच मिनट में देता हूं, एक-एक गिन लेना।

11.16 म०पू०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन—भाग-2 प्रशासन और वित्त की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4443/87]

केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम, 1956 और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वर्ष 1985 के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण और आवर्त) संशोधन नियम, 1987, जो 14 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 395(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4444/87]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 434(अ), जो 29 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 15 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 245/86-सी०-शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचना की वैधता बिना किसी सीमा के बढ़ायी जा सके, और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-4445/87]

(दो) सा० का० नि० 446(अ), जो 1 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 136/86-सी० शु० से साइट्रिक अम्ल की अनावश्यक प्रविष्टि को हटाना है और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी०-4446/87]

(तीन) सा० का० नि० 449(अ), जो 4 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 522/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि एक हजार घन सेंटीमीटर से अनधिक इन्जन क्षमता वाली ईंधन दक्ष मोटर-कारों या ईंधन दक्ष गाड़ियों के सम्बन्ध में वारण्टी या विक्रयोत्तर सेवा उपलब्ध करने के लिए उनके बाडी पेनलों के निर्माण के लिए अपेक्षित स्टील की शीटों और ब्लैंकों को सीमा-शुल्क के उतने भाग से, जो मूल्यानुसार 70 प्रतिशत से अधिक है तथा उपसंगी शुल्क के भी उतने भाग से, जो मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक है, छूट दी जा सके, और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4447/87]

(चार) सा० का० नि० 452(अ), जो 4 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 65/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि क्वार्टज सदृश हाथ की घड़ियों के लिए पूर्ण घड़ी केस और घड़ी-डायलों पर मूल्यानुसार 60 प्रतिशत की मूल सीमा-शुल्क की दर निर्धारित की जा सके और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-4448/87]

(पांच) सा०का० नि० 456(अ) और 457(अ), जो 5 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका भारत में आयात निर्यात किए जाने वाले माल के सम्बन्ध में इस्तेमाल किए जाने के प्रयोजनार्थ बम्बई स्थित सांताक्रुज इलैक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थापित रत्न और आभूषण काम्पलेक्स के भीतर इस्तेमाल किए जाने के लिए किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4449/87]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 447(अ), जो 1 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो पालिप्रोपीलीन स्टेपल फाइबर और सूक्ष्म तन्तु तथा तन्तु गुच्छों को, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में हैं जो 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर संगरिक्त रकम से अधिक है और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 451(अ), जो 4 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो मोनो एथीलीन ग्लाइकोल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4450/87]

(4) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4451/87]

11.17 म० पू०

मोटर यान विधेयक*

[अनुवाद]

जल भू-तल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*दिनांक 11 मई, 1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर यान सम्बन्धी विधि को, समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजेश पाइलट : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

11.17-/12 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) आयकर आयुक्त बम्बई के अधिकार क्षेत्र में आयकर आयुक्त का कार्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री एस०जी० घोलप (थाणे) : यद्यपि थाणे जिला वृहत बम्बई के निकट है किन्तु इसे आयकर आयुक्त पुणे के कार्यालय से सम्बन्ध किया गया है और आयकर आयुक्त बम्बई के कार्यालय से सम्बद्ध नहीं किया गया है जोकि 35 मिलोमीटर की दूरी पर है। इससे थाणे जिले के आयकर दाताओं को काफी असुविधा होती है।

थाणे जिला बम्बई शहर से अनेक क्षेत्रों की गतिविधियों की वजह से जुड़ा हुआ है। यहां तक कि वृहत बम्बई और थाणे का एक ही वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र है थाणे जिले में बम्बई के बहुत से गौण सहायक उद्योग हैं। बम्बई और थाणे जिले के विभिन्न कस्बों का औद्योगिक और वाणिज्यिक आदान-प्रदान इतना अधिक है कि बम्बई और थाणे लगभग एक हो वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र हैं।

सम्पूर्ण थाणे जिला रेल और सड़क द्वारा बम्बई शहर से जुड़ा हुआ है। थाणे जिले के विभिन्न शहरों से करदाताओं को उपनगरीय विद्युत चालित रेलगाड़ियों या बसों से बम्बई जाने में एक घण्टा लगता है जबकि पुणे जाने में पूरा दिन लगता है। वास्तव में थाणे जिले के भायडंर डाहनुम बेसिन और पालगर आदि के करदाताओं को पुणे स्थित प्राधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए पहले बम्बई आना पड़ता है और फिर मध्य रेलवे द्वारा पुणे जाना पड़ता है।

अतः मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार करें और थाणे में आयकर आयुक्त कार्यालय खोलें अथवा थाणे क्षेत्र को बम्बई के आयकर आयुक्त के आधीन करें।

[हिन्दी]

(दो) भोपाल में एक यूनानी अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, यूनानी इलाज कई मुल्कों में प्रचलित है और सदियों से कई मामलों में आजमाया हुआ है। हमारे मुल्क में भी अभी कई अमराज में यही

तरीका सबसे ज्यादा कामयाब माना जाता है। यह तरीका इलाज इस गरीब मुल्क के लिए काफी फायदे-मन्द है क्योंकि यह सस्ता भी बहुत है।

मौजूदा बीसवीं सदी में एलोपैथी की जानिब रगबत कुछ ज्यादा हो जाने की वजह से इस तरीके इलाज की बेकदरी बहुत बढ़ गयी है। इसलिए इसकी जानिब कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है।

इस सिस्टम में पहले कदम की शक्ल में एक अच्छा रिसर्च इन्स्टीच्यूट कायम किया जाये, जिससे एक कालेज भी जुड़ा हो।

भोपाल और अतराफ में यह तरीका इलाज आज भी बहुत ज्यादा राइज है। आज भी वहां ऐसे लायक और काबिल हकीम मौजूद हैं जिनका मर्ज की तशखीस और इलाज में दूर-दूर तक कोई सानी नहीं है। इनका फायदा उठाया जा सके इसलिए नया इन्टीच्यूट भोपाल में कायम किया जाये। उम्मीद है मरकजी हुकूमत इस जानिब बतौर खास ध्यान देगी।

(तीन) फिरोजाबाद को एक पृथक जिला बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सैद्धान्तिक दृष्टि से यह मान लिया गया है कि प्रशासनिक इकाइयां जितनी भी छोटी होंगी, प्रशासन की कार्यकुशलता उतनी ही अधिक होगी। इसी दृष्टि से यह भी स्वीकार किया गया है कि जिलों की इकाईयां छोटी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कई एक जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है तथा जनसंख्या का घनत्व भी सामान्य स्तर से कहीं अधिक है। ऐसे जिलों का विभाजन करके कुछ और जिलों का पुनर्गठन जनहित में आवश्यक हो गया है। इन बड़े जिलों में आगरा भी एक ऐसा जिला है जहां पर जनसंख्या के घनत्व तथा उसके विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए यह आवश्यक है कि इसका विभाजन कर एक और जिले का गठन किया जाये। इस सम्बन्ध में फिरोजाबाद को अलग से जिला बनाने का प्रस्ताव पूर्व ही उत्तर प्रदेश शासन के विचाराधीन है और जहां तक मेरी सूचना है इस प्रस्ताव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है, किन्तु धनाभाव के कारण इसे पृथक जिला बनाने की घोषणा नहीं की जा सकी है। जनता की सुविधा तथा प्रशासन की कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि करने के दृष्टिकोण से यह उचित होगा कि फिरोजावाद को यथाशीघ्र एक पृथक जिला बना दिया जाए। वैसे भी कांच और चूड़ी के उद्योग के कारण फिरोजाबाद नगर स्वयं में भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध नगरों में गिना जाता है और इसने देश के मानचित्र पर अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। इस उद्योग के कारण शासन को आयकर, बिक्रीकर, तथा एक्साईज ड्यूटी के रूप में आशातीत धनराशि प्राप्त होती है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की वित्तीय सहायता कर फिरोजाबाद को पृथक जिले के रूप में गठन करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चार) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में राजक्कमंगलम में ताप-विद्युत परियोजना स्थापित करने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : कन्या कुमारी जिले में राजक्कमंगलम में एक ताप बिजली परियोजना स्थापित करने की आवश्यकता काफी देर से महसूस की जा रही है। इस संबंध में योजना

[श्री एन० डेनिस]

की व्यावहार्यता के बारे में जांच भी जा चुकी है और मुख्य अभियन्ता, तमिलनाडु बिजली बोर्ड, पत्तन अधिकारी तमिलनाडु द्वारा तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उपयुक्त स्थल का चयन भी किया जा चुका है। जिस स्थल का चयन किया गया है वह सरकारी भूमि है जिसे पहले नमक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था और अब उसे अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार कुछ साथ वाले क्षेत्रों को मिलाकर यह भूमि परियोजना की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होगी और इसके लिए अधिक मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा और आसान शर्तों पर मिल जाएगी इस परियोजना के लिए यहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। और अन्य परिस्थितियां भी परियोजना की स्थापना में सहयोगी हैं। नागर कोइल रेलवे स्टेशन तथा कोलाचेल पत्तन यहां से क्रमश 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कोलाचल बन्दरगाह के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइन इस स्थान से होकर गुजरती है। तमिलनाडु में पिछले 15 वर्षों से कोई भी नई सरकारी परियोजना स्थापित नहीं की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा कन्याकुमारी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। परन्तु देश के इस पिछड़े, दक्षिणी और दूर दराज के क्षेत्र में कोई भी सरकारी अथवा निजी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। यहां शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी की भी गम्भीर समस्या है। इस परियोजना की स्थापना से इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों की उत्सुकता और अभिलाषा पूरी होगी। अतः सरकार से निवेदन है कि वह इस परियोजना को जल्दी लगाने के लिए शीघ्र कदम उठाये।

[हिन्दी]

(पांच) उत्तर प्रदेश सरकार को उन किसानों को राहत प्रदान करने के लिए जिनकी फसलें भारी वर्षा और ओलावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो गई हैं पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री राजकुमार राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पिछले कई दिनों से पूरे उत्तरी भारत में इतने हवा के झोंके, आंधी, पानी तथा अकस्मात बरसात हुई है और इतने पेड़ उजड़ गए, टूट गए, रास्ते अवरुद्ध हो गए, आवागमन रुक गया। आकस्मिक वर्षा के कारण किसानों के खलिहानों में अनाज तथा भूसा भीग कर सड़ गया और बदबूदार हो गया। कितने ही लोगों की जानें गई, कितनी ही दुर्घटनायें हुई। जहां यह स्थिति पंजाब और हरियाणा में थी वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ में भारी वर्षा हुई और कहीं-कहीं पर ओलावृष्टि भी हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया सहित अन्य जिलों में भी किसानों का बड़ा नुक्सान हुआ है, जिसके लिए प्रदेश के शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन कोई समुचित कार्यवाही नहीं हुई और किसान अपनी गाढ़ी कमाई की इस बरबादी पर इस तरह दुखी हो कर रो रहा है जैसे उसके सामने खाने की रखी हुई थाली खींच ली गई हो या उसका कोई जवान बेटा मर गया हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकारों को निर्देश दें और अपनी तरफ से भी तूफान, वर्षा और ओलावृष्टि के लिए विशेष धन आवंटित करके सहायता करे ताकि जनता को सही समय पर सही सहायता मिल सके।

[अनुवाद]

(छः) आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में अराकू घाटी तथा पर्यटन महत्व के अन्य स्थानों का विकास करने की आवश्यकता

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : विशाखा पत्तनम जिले में अनेक पर्यटन केन्द्र हैं। इस समय हमारे देश को बहुत सी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इन पर्यटन केन्द्रों से काफी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। ये सभी केन्द्र विशाखापत्तनम शहर से 50 मील की दूरी पर चारों तरफ स्थिति हैं। अराकू घाटी से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। यह घाटी फिल्मी दुनिया के लोगों और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। किन्तु वहां उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। कई लोग वहां होटल बनाना चाहते हैं। और यदि सरकार इन लोगों को पट्टे पर वन भूमि दे दे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

अराकू घाटी अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है। अनन्तगिरि पाडेरु चिन्तापल्ली जैसे स्थानों से भी विदेशी पर्यटक भली-भांति परिचित हैं। यदि इन स्थानों का विकास किया जाए तो हम काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

(सात) बिहार में महानन्दा थाले में बाढ़ नियन्त्रण और जल निकासी के लिए एक सम्पूर्ण जल प्रबन्ध योजना तैयार करने की आवश्यकता

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशन गंज) : मैं सभा के ध्यान में अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला लाना चाहता हूं :

> पूर्वोत्तर बिहार कोसी और तीस्ता नदियों के बेसिन के बीच में पड़ता है और यहां बार-बार बाढ़ आती है। यह क्षेत्र महानन्दा और उसकी सहायक नदियों, परमा, डोक, मिचि, बाकरा आदि का बेसिन है जिनमें वर्षा ऋतु में काफी बाढ़ आती है और वे अपना प्रवाह भी बदल लेती है और कुछ क्षेत्रों में लवणता बढ़ जाती है। गाद जमा होने लवणता व कटाव की समस्या के कारण बाढ़ नियन्त्रण की समस्या और बढ़ जाती है। इन नदियों को नियन्त्रित करने के लिए और महानन्दा वेसिन के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया है इस सम्बन्ध में कोई दीर्घकालिक समेकित योजना नहीं बनाई गई है। आपात्तकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रति वर्ष कुछ लघुकारी उपाय जैसे गाद निकालना अथवा तटों को मजबूत बनाना आदि किए जाते हों जल संसाधन मंत्रालय ने अपने इस आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया है कि बाढ़ नियन्त्रण और महानन्दा बेसिन के जल प्रबन्धक के लिए बिहार सरकार के सहयोग से गंगा बेसिन अयोग द्वारा एक दीर्घकालीन योजना को आरम्भ किया जायेगा।
>
> जल प्रबन्धन से न केवल बाढ़ नियन्त्रित होगी अपितु सूखे के दिनों में सिंचाई के लिए पानी की कमी दूर हो जाएगी तथा निकासी की समस्या तथा उसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाली कटाव और क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्याएं भी हल हो जाएंगी।
>
> अतः जल संसाधन मंत्रालय से यह निवेदन किया जाता है कि महानन्दा बेसिन में बाढ़

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

नियन्त्रण और जल निकासी के लिए एक योजना बनाई जाए और बिहार सरकार को आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाए।

(आठ) कर्नाटक में गौरीबिदिनूर में सहकारी चीनी कारखाने को फिर से खोलने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

*श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : कर्नाटक में गौरी बिदिनूर में सहकारी चीनी मिल को बन्द किया गया है। कर्नाटक सरकार उस फैक्टरी को बेचने का प्रयास कर रही है। इसके कारण हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। उनमें से कुछ श्रमिक काम की तलाश में पहले ही पड़ोसी राज्यों आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जा चुके हैं। यदि तुरन्त कार्यवाही न की गई तो श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य दाने-दाने को मोहताज हो जाएंगे।

अतः मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां अविलम्ब एक सहकारी चीनी मिल खोलने तथा प्रभावित लोगों को राहत दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाये जायें।

[अनुवाद]

(नौ) उड़ीसा में सम्बलपुर में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने की आवश्यकता

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : राज्य के पश्चिमी भाग के केन्द्र सम्बलपुर में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ स्थापित करने की जो आवश्यकता है जिसे बार-बार दोहराने की जरुरत नहीं है। राज्य में सत्तारूढ़ दल भी उस क्षेत्र के लोगों की इस वास्तविक मांग के प्रति स्वयं इसे अपने 1974 के चुनाव घोषणा-पत्र में शामिल करके वचनबद्ध हैं। परन्तु यह दुख की बात है कि इसे किसी न किसी बहाने से इसके क्रियान्वयन में विलम्ब किया जा रहा है जिससे लोगों में भारी असंतोष और रोष फैल रही है। विवादी जनता के हित में ताकि न्याय जल्दी हो सके और सस्ता हो, यह बहुत ही आवश्यक है कि सम्बलपुर में उड़ीसा उच्च न्यालालय की एक खंड पीठ बिना और विलम्ब किये स्थापित की जाये।

[हिन्दी]

(दस) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल शहर में इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नया प्रणोदक करखाना स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : आन्ध्र प्रदेश का तीन रीजन में बंटवारा कर सकते हैं, उसमें एक तेलंगाड़ा, ट्रायल सीमा तथा कोष्ठ आन्ध्रा। तेलंगाड़ा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। भूमि सिंचाई का प्रबन्ध न होने के कारण से वहां के किसान बहुत परेशान हैं। सिंचाई के प्रबन्ध के लिए गोदावरी के ऊपर एक सिंचाई का बड़ा प्रोजेक्ट बना। फिर भी उसका पानी अभी तक भूमि तक नहीं पहुंचने के कारण सिंचाई का कोई प्रबन्ध ठीक से नहीं है और औद्योगिक रूप से देखा जाए तो भी कोई ऐसा बड़ा उद्योग सरकार की ओर से अभी तक वारांगल में नहीं लगा है। वारांगल एक बड़ा शहर है। हैदराबाद के बाद शिक्षा या चिकित्सा इत्यादि में दूसरा स्थान है। फिर भी वहां की उन्नति, आर्थिक उन्नति बिलकुल पीछे है। वहां पर जो पुरानी कपडा मिल है, वह भी नुकसान में चल रही है। उस मिल को बंद करने की धमकी दी जा रही है। वहां की जनता, नौजवान, पढ़े-लिखे आदमी बेरोजगार

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

होने के कारण से वे हिंसावादी प्रवृत्ति की ओर बढ़कर करीमनगर, वारांगल, आदिलाबाद इत्यादि जिलों में हिंसा कार्यक्रम में शामिल है। जिसके कारण से वहां की जनता परेशान है और सरकार भी परेशान है। उस हिंसावाद को निपटाने के लिए कई करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है जिसके कम होने की गुंजाइस कम है। उन नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए ही इस हिंसावाद को हम मिटा सकते हैं। पुलिस से यह हिंसा दूर नहीं होगी।

केन्द्र सरकार की ओर से एक नया प्रोपलेंट फैक्टरी बनाने की योजना है। आर्थिक और सांकेतिक विशेषज्ञ समिति ने भी भ्रमण कर उसे वारांगल में ही कायम करने की सिफारिश की है। इससे पहले वहां पर रेल्वे कोच फैक्टरी कायम करने के लिए भी सिफारिश की गई थी। मगर देश की एकता की दृष्टि से पंजाब को वह दी गई थी। लेकिन सरकार द्वारा न्यू प्रोपलेंट फैक्टरी को वारांगल में कायम न करने पर जनता को विवश होकर आन्दोलन में जाना पड़ेगा। न्यू प्रोपलेंट फैक्टरी को वारांगल में कायम करने के लिए सरकार द्वारा निर्णय जल्दी लिया जाये जिससे आन्दोलित जनता को शांति हो और नौजवानों में नौकरी मिलने की आशा जागृत हो सके।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के रानीखेत, दूनागिरी, जलना अथवा चम्पावत जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रस्तावित फल अनुसन्धान और विकास संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, शीतोष्ण फलों के क्षेत्र में अनुसन्धान एवं विकास हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक इन्स्टीच्यूट खोले जाने का प्रस्ताव है।

शीतोष्ण फलों के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हिमाचल, जम्मू-काश्मीर व उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य दोनों स्थानों में होर्टिकल्चर विश्वविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र कार्यरत हैं।

अत: इस प्रस्तावित इन्स्टीच्यूट को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों रानीखेत, दूनागिरी, जलना या चम्पावत में से कहीं खोलने हेतु कृषि मन्त्रालय को कदम उठाने चाहिए।

11.31 म० पू०

नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन विधेयक, 1987 और संविधान (छप्पनवां संसोधन) विधेयक, 1987, जहां तक ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर विचार और उन्हें पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने के संबंध में निलम्बन करती हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, गोवा, दमण ओर दीव पुनर्गठन विधेयक, 1987 और संविधान (छप्पनवां संशोधन) विधेयक, 1987, जहां तक ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर विचार और उन्हें पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने के संबंध में निलम्बन करती हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.32 म० पू०

गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन विधेयक
और
संविधान (सत्तावनवां) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं गोवा को राज्य का दर्जा देने के सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं।

गोवा को राज्य का दर्जा देने का विधेयक पिछले तीन दिनों से हमारे सामने है। और मैंने पाया है कि इस विधेयक में भी, इस बात के बावजूद कि सरकार के पास काफी समय था फिर भी कतिपय कमियां रह गयी हैं। हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य विधेयक के मामले में, जब इसे पिछले सत्र में पारित किया गया था तो विपक्ष ने यह टिप्पणी की थी कि विधेयक का प्रारूप जल्दबाजी में तैयार किया गया है—और इस विधेयक में काफी गलतियां थीं। आज प्रमाण के रूप में हमारे पर एक विधेयक अरुणाचल प्रदेश राज्य विधेयक को संशोधित करने के लिए है। पुनः यहां भी मुझे कुछ गलतियां नजर आ रही हैं। परन्तु इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं मैं कहना चाहूंगा कि हम इस बात का स्वागत करते हैं कि दमन और दीव का एक अलग जिले के रूप में गठन किया जाना चाहिए और इससे इस क्षेत्र को लोक सभा में एक प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरे शब्दों में लोक सभा की सदस्य संख्या 544 से बढ़कर 545 हो जाएगी। हम इस बात पर निश्चिन्त नहीं है कि क्या लोक सभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 545 करने की सरकार की मंशा है। हमें इसके बारे में ठीक-ठीक पता नहीं है। जहां तक राज्य सभा का सम्बन्ध है, गोवा को राज्य सभा में एक स्थान मिलेगा और हम इसका स्वागत करते हैं।

इस विषय पर बोलते हुए मैं आपका ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहूंगा जो पूर्वोत्तर

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

क्षेत्र में हो रही हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य सीमा सम्बन्धी विवाद चल रहे हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अरुणाचल प्रदेश संशोधन विधेयक बाद में पेश किया जायेगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं अरुणाचल प्रदेश संशोधन विधेयक के बारे में नहीं बोल रहा हूं। उस विधेयक के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा कहना यह है कि एक अन्तर्राज्यीय परिषद की आवश्यकता है। जब इतने अधिक राज्य हैं और गोवा जैसे छोटे राज्य हैं तथा सीमा सम्बन्धी कई समस्याएं हैं अतः इन विवादों के समाधान की भी समस्या है तथा इन विवादों के समाधान के लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये विवाद दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दो सप्ताहों से हम देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश मेघालय और अन्य राज्य सीमा सम्बन्धी विवाद में लगे हैं तथा इन विवादों के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु वे स्वयं विवादों के समाधान की स्थिति में नहीं है। यह मांग कई राज्यों द्वारा की गई कि एक अन्तर्राज्यीय परिषद होनी चाहिए और संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हों कि इस प्रकार की आवश्यकता है तो इस तरह की परिषद बनाई जा सकती है और आज इस प्रकार की जरूरत है। अनुच्छेद 263 में कहा गया है :

> "263 यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, जिस पर—
>
> (क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हो उनकी जांच करने और उन पर मंत्रणा देने ;
>
> (ख) कुछ या सब राज्यों के, अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के पारस्परिक हित से सम्बद्ध विषयों का अनुसंधान और चर्चा करने ; अथवा
>
> (ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने, और विशेषतः उस विषय के बारे में नीति और कार्यवाही के अधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु सिफारिश करने ;
>
> का भार हो तो राष्ट्रपति के लिए यह विधि संगत होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करे तथा उस परिषद के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों के स्वरूप को और उसके संघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे।"

इस तरह की मांग पहले कई राज्यों से आयी है और मैं नहीं समझ पाता हूं कि जब यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सीमा सम्बन्धी विवाद न हो आज इतनी बड़ी आवश्यकता तो फिर केन्द्र अभी तक इस प्रकार की एक परिषद का गठन करने में क्यों हिचकिचा रहा है। मैं कुछ टिप्पणियां भी करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे गोवा विधेयक से कैसे जोड़ रहे हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : यह एक संविधान संशोधन विधेयक है। हम गोवा को राज्य का दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन कर रहे हैं। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम इन

[श्री सी० माधव रेड्डी]

राज्यों की स्थापना कर रहे हैं तो विवाद उठने लाजमी हैं। साथ ही मैं चाहूंगा कि यह सरकार अन्तर्राज्यीय परिषद बनाने के सम्बन्ध में एक फैसला ले।

जहां तक दमन और दीव को एक अलग संघ राज्य क्षेत्र घोषित करने का सम्बन्ध है। मैं कहना चाहूंगा कि ये छोटे द्वीप, जोकि, हर उस स्थान में हैं जहां केन्द्र द्वारा शासित ये संघ राज्य क्षेत्र हैं अतः इन्हें, केन्द्र द्वारा शासित संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में रखने की बजाय उन राज्यों के साथ मिला दिया जाना चाहिए जिसमें ये स्थित हैं। छोटे गांव, जो यहां-वहां हैं तथा जो द्वीप की रचना करते हैं—को सुरक्षित नहीं कह सकते हैं। वे अपने आप शासन नहीं चला सकते हैं और केन्द्र के लिए इन छोटे द्वीपों के प्रशासन का ध्यान रखना बहुत कठिन है। हमें राज्य में यनम नामक एक छोटा गांव है—यह एकदम दक्षिण में स्थित है—जो पांडिचेरी का एक भाग है। पांडिचेरी से पांडिचेरी सरकार यनम पर शासन करने की कोशिश कर रही है। एक बार यदि आप पांडिचेरी को राज्य घोषित कर देंगे तो यनम का क्या होगा ? वह छोटा सा गांव केन्द्र शासित रहेगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है ? यदि उन गांवों से उन क्षेत्रों से विरोध भी किया जाता है तो उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए और जिन भी राज्यों में वह क्षेत्र आते हैं उनका विलय उन राज्यों में कर दिया जाना चाहिए। दमन दीव का भी सम्बद्ध राज्यों में विलय कर दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं किया गया ? आप इन छोटे द्वीपों को क्यों रखे हुए हैं। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उन्हें हम क्यों न अलग रखें ?

श्री सी० माधव रेड्डी : उन्हें अलग रखना और उन पर दिल्ली से शासन करना बहुत कठिन है। आज जब हम देश में अस्थिरीकरण की बात कर रहे हैं, राज्यों में ये विवाद, यह असंतोष देश के स्थायित्व पर निश्चय ही प्रभाव डालेंगे।

महोदय, पहले एक विभाग हुआ करता था—राज्य विभाग। राज्यों के पुनर्गठन के समय इस विभाग को खत्म कर दिया गया और गृह विभाग में इसका विलय कर दिया गया है। गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत अब कोई पृथक राज्य विभाग नहीं है। पहले गृह मंत्रालय का नाम गृह और राज्य मंत्रालय था लेकिन बाद में 'राज्य' शब्द हटा दिया गया। राज्य विभाग का भी बाद में अन्य विभाग में विलय कर दिया गया। अब ऐसे विभाग की आवश्यकता है। यदि कोई अन्तःराज्यीय परिषद नहीं है तो आपको एक पृथक विभाग बनाना चाहिए जोकि मुख्यतः राज्यों के मामले से निपटे। राज्यों के कल्याण, समन्वय, विवादों इत्यदि को निपटाने का काम करे। यह भी नहीं किया गया।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन विधेयक, 1987 तथा संविधान संशोधन विधेयक का सैकड़ों अपितु हजारों बार स्वागत करता हूं। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि सरकार ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान करके गांव के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। महोदय मेरे पास शब्द नहीं है जिससे मैं प्रधान मन्त्री की प्रशंसा कर सकूं कि किस तरह से उन्होंने गोवा की जनता के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित किया है। जबसे मैं संसद सदस्य बना हूं, मैं प्रधान मन्त्री से किसी न किसी मौके पर यह मांग करता रहा। उन्होंने मामले पर सहानुभूतिपूर्वक

विचार किया और मुझे बार-बार आश्वासन दिया कि गोवा के लोगों की भावनाओं का आदर किया जाएगा। उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा।

मैं उन सभी संसद सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने शहरों से यहां वापिस आने का कष्ट उठाया है अपितु इसलिए भी कि उन्होंने गोवा के लोगों के प्रति अपना असीम प्यार भी प्रदर्शित किया है। पिछले एक महीने से मेरे दोनों पक्षों के सहयोगी मुझसे पूछ रहे थे कि यह विधेयक कब पेश होने जा रहा है। मैं यह बात बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं।

मैं संसदीय कार्य मन्त्रालय का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सत्र के दौरान इस विधेयक को सम्मिलित करने का कष्ट उठाया। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है···

अध्यक्ष महोदय : मेरे बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री शांताराम नायक : महोदय, मैं आपका शुक्रिया बाद में अदा करूंगा जब आप मुझे एक-दो मिनट का अतिरिक्त समय देने की कृपा करेंगे।

इस समय मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके योगदान का स्मरण हो आया है जिसके फलस्वरूप गोवा 19 दिसम्बर, 1961 को मुक्त हुआ। पंडित नेहरू और श्री कृष्ण मनन ने गोवा में फौजें भेजने में पहल की और हमें पुर्तगाली साम्राज्य की जंजीरों से मुक्त कराया।

गोवा में किए गए प्रसिद्ध विजय आपरेशन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में संयुक्त राष्ट्र संघ में पंडित नेहरू की काफी आलोचना की गई। कहा गया कि यह शांति दूत शांति के पथ से विचलित हो रहा है। बड़ी ताकतों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके प्रति यह आरोप लगाया गया। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय श्री कृष्ण मेनन को यह कदम उठाना पड़ा। मुझे याद है कि स्वर्गीय श्री कृष्ण मेनन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा था। मेरे राष्ट्र ने हमेशा ताकत के इस्तेमाल का विरोध किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी भारत को यदि उकसाया गया तो ताकत का इस्तेमाल करने से वह झिझकने वाला नहीं। पंडित नेहरू ने भी कहा—उचित समय आने पर कब और कैसे हम क्या करेंगे इसके लिए हम अभी कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि गोवा शीघ्र ही आजाद होगा और हमारा क्षेत्र मुक्त होगा।

जहां तक दमन दीव का सम्बन्ध है वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि वह पृथक संघ शासित क्षेत्र होंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दमन, और दीव गोआ विधान परिषद के अंग थे। वहां दो निर्वाचित सदस्य गोवा विधान परिषद में इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब यह दो विधायक अपदस्थ हो जाएंगे क्योंकि गोवा को राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है। इन दो विधायकों का अपदस्थ किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है पर शायद इसके सिवाय कोई कोई चारा नहीं। इसलिए मेरा गृह मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह दमन दीव के लोगों को यह आश्वासन दें कि वहां शीघ्र ही एक प्रदेश परिषद की स्थापना की जाएगी। इतना तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि हमने उस क्षेत्र के दो विधायकों को अपदस्थ किया है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह वहां पर प्रदेश परिषद जैसे एक निकाय बनाने के प्रस्ताव पर विचार करे और इस अवसर पर सरकार उसकी घोषणा करे।

जहां तक गोवा का सम्बन्ध है। माधव जी ने जो कहा है मैं उस बारे में कुछ अर्ज करना

[श्री शान्ताराम नायक]

चाहूंगा। शायद वह नहीं जानते या जानते भी हैं तो उन्होंने जब यह कहा कि दमन दीव को गोवा के साथ विलय कर दिया जाए तो यह महसूस नहीं किया कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि संसद के अधिनियम द्वारा गोवा दमन और दीव के लोगों की राय ली गई है। हमारे संविधान में जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने एक अधिनियम पारित किया 'ओपीनियम पोल।' इसके द्वारा गोवा दमन दीव की जनता से दमन दीव के गुजरात में विलय के बारे में राय मांगी। संसद के अधिनियम के अन्तर्गत लोगों की राय ली गई और उन्होंने विलय के विरोध में मत दिया और अब यह कहना कि इनका विलय कर दिया जाए उचित नहीं होगा क्योंकि यह जनता की भावनाओं का अनादर होगा।

महोदय, जितने भी नए राज्य बनाए गए हैं उनके बजट घाटे की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है गोवा के मामले में भी भविष्य में जो वित्तीय समस्याएं पैदा हों उन्हें दूर किया जाए, उसे भी इस विशेष श्रेणी में जिसमें अरुणाचल और मिजोरम इत्यादि को रखा गया है, रखा जाए। 9 राज्य हैं, जिनके बजट घाटे को केन्द्र सरकार द्वारा पूरा किया जाता है।

जहां तक सरकारी सेवाओं का सम्बन्ध है, मेरा अनुरोध है कि नए राज्य में हमारे अपने अफसर नियुक्त किए जाएं। अन्य राज्यों के जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के या अखिल भारतीय सेवा केडर के अफसर हैं उन्हें गोवा में नौकरी जारी रखने के सम्बन्ध में विकल्प दिया जाना चाहिए।

आपने बम्बई उच्च न्यायालय का नाम बदल कर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय रख दिया है इस तरह गोवा को आप उसके क्षेत्राधिकार में ले आए थे। यह ठीक है। किन्तु मैं गोवा के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की मांग करता हूं। इस आशय का एक संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उस पर आप विचार करें।

अन्त में मैं उन सभी संसद सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने गोवा को राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की हैं। मैं अध्यक्ष महोदय का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे अतिरिक्त समय प्रदान किया है और मैं सम्माननीय सभा का ध्यान इस विषय से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर दिला पाया हूं।

डा० सुधीर राय (बर्दवान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि गोवा के लोगों में पुर्तगाली साम्राज्य के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और अनेक यातनाएं सहीं। उस समय पुर्तगाली साम्राज्यवादियों को अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रश्रय प्राप्त था। जब 'आपरेशन विजय' को हाथ में लिया गया तब समूचे पश्चिम प्रेस जगत ने भारत की निंदा की क्योंकि भारत हमेशा अहिंसा का प्रचारक रहा और उस समय वह ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा था।

लेकिन मुझे याद है कि उस समय समाजवादी देश ने भारत का पूर्ण समर्थन किया। इस सम्बन्ध में मैं श्री नित्यानन्द साहा, पश्चिम बंगाल के एक साम्यवादी का कार्यकर्त्ता के बलिदान की याद दिलाना चाहता हूं। उसे पुर्तगालियों की पुलिस ने गोली से उड़ा दिया था। मुझे संसद सदस्य पंडित त्रिदिब चौधरी की कुर्बानी भी याद है जिन्होंने 19 महीने सालाजार की जेल में काटे। अब यह एक स्वागत योग्य कदम है। 36 वर्षों के बाद गोवा को राज्य का दर्जा मिलेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह

कहना चाहूंगा कि भारत में राज्य सरकारें दिनों दिन कमजोर होती जा रही हैं और उनका दर्जा नगर-पालिका तक घटकर रह गया है। मजबूत केन्द्र सरकार के साथ साथ राज्यों सरकारों का भी मजबूत होना जरूरी है। यदि राज्य कमजोर हैं तो प्रजातंत्र सुचारु रूप से नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य विकास परिषद की समुचित बैठकें होनी चाहिए, संविधान में जिसकी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद की लगातार बैठकें होने से राज्यों के मुख्य मन्त्री तथा केन्द्र सरकार आपस में विचार विनिमय कर सकेंगे। सोवियत संघ में सभी संघ गणराज्यों के मुख्य मन्त्री केन्द्र सरकार के सदस्य हैं। लेकिन भारत में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले एजेंटों के रूप में देखा जाता है। यह कोई सच्चा संघीय शासन नहीं है। महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। वास्तव में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गोवा के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय बनाया जाना चाहिए क्योंकि भारत में न्यायपालिका कगार पर खड़ी है जैसाकि भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री पी० एम० भगवती ने कहा है। इसलिए अच्छा होगा कि गोवा के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय बनाया जाए।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : अध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक अवसर पर गोवा के जिन लोगों की ओर से मैं खुशी व्यक्त करता हूं। यह ऐतिहासिक अवसर केवल गोवा के लोगों के लिए ही नहीं है परन्तु पूरे देश के लिए है। माननीय सदस्य, जो अभी-अभी बोले हैं, ने उल्लेख किया है कि गोवा को उपनिवेशवादियों के चंगुल से मुक्त कराया गया था और अब इस समय इसे समान दर्जे के साथ, पूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकारों के साथ भारतीय राज्यों में शामिल किया गया है। दर्जा नहीं दिया था। अन्य बातों के साथ-साथ गोवा को प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उपनिवेशवादियों ने समानता का आज गोवा के लोगों को वही प्रजातांत्रिक अधिकार और वही प्रजातांत्रिक ढांचा प्राप्त हो गया है जो राज्यों के पास है और इस देश के प्रत्येक नागरिक को इसका उपयोग करना चाहिए।

महोदय, यह अवसर उन सभी लोगों को स्मरण करने तथा श्रद्धांजली अर्पित करने का भी है जो उपनिवेशवादियों के खिलाफ गोवा की आजादी के लिए लड़े और जिन्होंने विश्व के इस भाग में उपनिवेशवादियों तथा साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष में अपनी जान की बाजी लगा दी। महोदय, प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों में से एक यहां इसी सभा में उपस्थित हैं जो गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो गोवा को राज्य का दर्जा देने के लिए सर्वप्रथम गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक लाए थे। महोदय, अभी भी हमारे यहां कुछ लोग हैं जो लोकसभा में तथा राज्य सभा में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दलगत भावना से परे हैं और वे आज यहां उपस्थित हैं।

महोदय, उपनिवेशवादियों के विरुद्ध संघर्ष तथा राज्य के दर्जे की मांग एक साथ रखी गई थी तथा इसे मूर्तरूप दिया गया था जैसा कि इस सभा में उस क्षेत्र के प्रथम प्रतिनिधियों में से एक ने उल्लेख किया है। वास्तव में वह श्री पुरुषोत्तम काकोडकर थे जो गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी विधेयक लाए थे। इस सभा में मैंने उनका अनुकरण किया और लगातार तीन बार, मैं इस सभा में श्री काकोडकर के विधेयक को लाया। फिर, मेरे बाद श्री शांताराम नायक इस विधेयक को लाए थे। इसलिए, महोदय आज हम यह कर रहे हैं कि गोवा के लोगों की इच्छाओं जो वहां के प्रतिनिधियों द्वारा इस सभा में व्यक्त की गई थीं, पर संसदीय स्वीकृति की मुहर लगा रहे हैं, जो दूसरे सदन में वहां के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई थी, जो वहां के लोगों ने विधान सभा में व्यक्त की थी क्योंकि, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, दो बार या इससे भी अधिक बार गोवा

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

की विधान सभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किए थे जिनमें गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया गया था।

महोदय, यदि इस समय गोवा को 25 वर्ष बाद राज्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि केवल कुछ महीने पहले ही 19 दिसम्बर को इस क्षेत्र ने स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती मनाई थी, यदि हमारी यह मांग पूरी हुई है तो हम इसके लिए एक ही व्यक्ति के ऋणी हैं और वे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हैं। श्री राजीव गांधी ने लोगों के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया है कि यदि उद्देश्य सही है, तो इस बात की परवाह नही है कि कितने लोग इसका समर्थन करते हैं और यदि उद्देश्य सही है तो इस बात की परवाह नहीं है कि कब और कैसे लोग इसका समर्थन करते हैं तथा यह आवश्यक नहीं है कि लोग एक सही उद्देश्य का जोर-शोर से समर्थन करते हैं। श्री राजीव गांधी ने बिना किसी शर्त के देश को आश्वासन दिया था कि बिना किसी प्रतिफल के इस देश के सभी नागरिकों के हितों की रक्षा वे करेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उनके आभारी हैं और मुझे विश्वास है कि देश के उस छोटे से हिस्से में उन लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए राष्ट्र भी उनका कृतज्ञ है। यह छोटा-सा और सुन्दर राज्य है और यद्यपि यह छोटा राज्य है, महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्तीय मामलों में इसने देश को बहुत योगदान दिया है। गोवा में बैंक जमा दर देश में सबसे अधिक है, साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। पिछले 25 वर्षों में इस क्षेत्र में प्रगति बहुत अच्छी रही है। महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र में था। परसों मैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां था और जब हमने सरपंचों को बुलाकर यह मूल्यांकन किया कि वहां क्या हो रहा था तो स्थानीय अधिकारियों तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों के सामने उन्होंने कहा कि जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध है और जहां तक की गई प्रगति का सम्बन्ध है और जहां तक देश के शेष भागों की तुलना में कार्यक्रम क्रियान्वयन के ढंग का सम्बन्ध है, गोवा एक उदाहरण है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जो बात सही है, वही बात कई अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी सही है। मुझे कहना चाहिए यह प्रगति मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए प्रयासों के कारण है जिसने उस क्षेत्र में माल भेजा है और भारत के लोगों का विश्वास जीता है। मैं यह बात इस तथ्य के सन्दर्भ में कहता हूं कि गोवा भी अन्य मामलों में राष्ट्रीय राजकोष में बहुत योगदान देता है। मैं जानता हूं कि लौह अयस्क के निर्यात से यह राष्ट्रीय राजकोष में आर्थिक योगदान देता है, पर्यटन राष्ट्रीय राजकोष में आर्थिक योगदान देता है, मरमागोवा बन्दरगाह में नौपरिवहन से राष्ट्रीय राजकोष में आर्थिक योगदान देता है और ये सभी बातें यह सिद्ध करती हैं कि किस ढंग से यह छोटा-सा क्षेत्र राष्ट्रीय सम्पदा में योगदान देता है और इसलिए यह मांग कि इसे संघ राज्य क्षेत्रों के आधार पर एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिए जाने पर विचार किया जाए, विचार किए जाने योग्य है इसीलिए इसे हाल में राज्य का दर्जा दिया गया है और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि सरकार और वित्तमन्त्री महोदय तथा गृह मन्त्री महोदय···

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्य के लोगों को बधाई दीजिए। **(व्यवधान)** गोवा के लोगों को बधाई दीजिए, प्रधानमन्त्री जी को नहीं। **(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं शुरू में ही लोगों को बधाई दे चुका हूं और अब भी कुछ और बधाइयां अन्त में दी जाएंगी।

महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे कोई शक नहीं है कि भारत सरकार विशिष्ट दर्जे की इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। यह न्यायोचित है, उस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुदानों को रोका नहीं जाना चाहिए और वे प्रचुर मात्रा में दी जानी चाहिए। क्योंकि पहले दी गई अनुदानों का बेहतर उपयोग किया गया है और किया जा रहा है। मैंने सरकार को शुरू में ही बधाई दी थी और अब दूसरी ओर से, इस सरकार के एक सदस्य की हैसियत से जिस पर मुझे बहुत गर्व है, महोदय, क्या मैं यह कह सकता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने प्रगति की है, जिस ढंग से उन्होंने बर्ताव किया है, जिस ढंग से उन्होंने देश की उत्कृष्ट परम्पराओं को कायम रखा है, के लिए हम सभी गोवा के लोगों को बधाई देते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, हम सभी—गोवा के लोग, देश के लोग—भारतीय राज्यों में से एक नवीनतम तथा शानदार राज्य में शामिल होते हैं।

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष महोदय: क्या हम इस बार कार्नीवल में दावत के लिए आपके साथ शामिल हो सकते हैं ?

श्री एडुआर्डो फलीरो: जी हां, श्रीमान। मेरी यह बात लिखित रूप में है, मुझे यह आश्वासन अवश्य पूरा करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि आप पूरा करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर): ये वहां भी भाषा का झगड़ा करवा देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): झगड़ा रूलिंग पार्टी के साथ होता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रो० मधु दण्डवते।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे गोवा में पुर्तगाली साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लेने का विशेषाधिकार और सम्मान प्राप्त है, भारतीय संघ के एक अंग के रूप में गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिए जाते समय मैं इस सभा में उपस्थित हूं जो मेरा सौभाग्य है। गोवा से मेरा बहुत निकट सम्बन्ध है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र गोवा से छूता हुआ है और हम सभी सहयोगी हैं।

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सच्चे मायने में गोवा की कोई विशेषता है तो यह है कि गोवा धर्मनिरपेक्षता का सबसे श्रेष्ठ आदर्श है जहां ईसाई धर्म, हिन्दू धर्म और इस्लाम का सह अस्तित्व है और वे एक दूसरे को समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। आपको गोवा में कभी भी धार्मिक दंगे देखने को नहीं मिलेंगे। भारत के अन्य भागों में झगड़े तथा टकराव हो सकते हैं। परन्तु मुझे गर्व है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको सम्प्रदायों और धार्मिक समूहों जैसे हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई के बीच कभी झगड़े देखने को नहीं मिलेंगे।

[प्रो० मधु दण्डवते]

महोदय, भारत के आजाद होने से पहले, जब गोवा की स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन चला था, गांधी जी ने एक बार कहा था : "गोवा भारत के चेहरे पर एक फुंसी की तरह है और यदि भारत स्वतन्त्र हो जाता है तो फुंसी को मिटा दिया जाएगा।" परन्तु 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी थी और कुर्बानी देनी पड़ी थी। पुर्तगाली पुलिस ने लोगों को गोली से उड़ा दिया था और इसलिए यातनाओं और कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा था और अन्ततः गोवा को स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात आज हम देखते हैं कि गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि सभी दलों, जिन्होंने गोवा की स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, को बहुत खुशी होगी कि गोवा राज्य को समृद्ध बनने के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता मिलेगी। मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है—वस्तुतः प्रशासन की बहुत मजबूरियां हैं—परन्तु मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि एक स्वतन्त्र तथा प्रजातांत्रिक देश में संघ शासित क्षेत्रों का होना एक पुरानी बात है। परन्तु कभी-कभी, कुछ क्षेत्रों पर कई भौगोलिक और राजनैतिक कारणों से केन्द्रीय शासन आवश्यक होता है। परन्तु मुझे प्रसन्नता है—कि केन्द्र शासित क्षेत्रों की संख्या धीरे कम होती जा रही है और आज हम देखते हैं कि यह क्षेत्र जो केन्द्र शासित क्षेत्र था आज पूर्ण विधान सभा सहित एक पूर्ण राज्य बन गया है। मुझे यही आशा है कि इस सभा में, हमें यह सुनिश्चित करने की गोवा का चहुंमुखी विकास होता है।

मुझे बहुत खुशी है कि इस सभा में गोवा का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया है। न केवल गोवा की पहले वाली 2 सीटों को ही रखा गया है बल्कि दीव तथा दमन को भी अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पडौसी राज्य गोवा से अधिक संख्या में प्रतिनिधियों के आने से इस सभा में हमारे हाथ मजबूत होंगे। जब मैं यह कहता हूं कि हमारे हाथ, मेरे कहने का आशय विशिष्ट रूप से विपक्षी दलों से नहीं है। यदि गोवा मे विपक्ष को बढ़ावा मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। परन्तु मैं कहता हूं कि जो व्यापक प्रतिधित्व दिया गया है उससे इस सभा के हाथ और अधिक मजबूत होंगे।

एक छोटे क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में बहुत ही कठिनाइयां हैं। जब कभी ऐसे क्षेत्रों को राज्य का रूप दिया जाता है तो उन लोगों के मन में हमेशा एक आशंका बनी रहती है। मेरे मित्र श्री शांताराम नायक मेरी बात की गवाही देंगे कि लोग चाहते हैं कि गोवा राज्य बने, परन्तु साथ ही वे चाहते हैं कि यह क्षेत्र जो हमारे संघीय ढांचे में नवागत है—मेरे मित्र ने गोवा को केवल नवागत सदस्य की ही संज्ञा दी है—उन्हें गोवा के लिए एक और विशेषण का प्रयोग किया होता। हमारे संघीय ढांचे में शामिल होने वाला यह नवागत सदस्य ही नहीं है परन्तु यह अत्यन्त सुन्दर राज्यों में से एक है। विशेषतौर पर नवागत राज्य जब सुन्दर है तो यह उनके लिए और भी अधिक सराहना की बात है। ऐसा मुन्दर भू-भाग हमारे राज्य समूह में शामिल हुआ है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यही कारण है कि उन्हें उन लोगों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए था।

प्रो० मधु दण्डवते : जब कभी ऐसे छोटे और सुन्दर क्षेत्र पूर्ण-राज्य बनते हैं तो उनकी एक आकांक्षा भी होती है जो एक सांस्कृतिक और सौन्दर्यपरक आकांक्षा है और उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। छोटा-सा क्षेत्र गोवा अपने प्राकृतिक दृश्यों सहित बहुत सुन्दर है। यदि आप गोवा जाएं तो देखेंगे कि वहां सर्वश्रेष्ठ गिरजाघर, मन्दिर, मस्जिदें हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं गोवा घूमने अब जाऊंगा क्योंकि मैंने यह निर्णय किया था कि जब गोवा पूर्ण राज्य बन जाएगा तब मैं वहां आऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अकेले घूमने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। अपने साथ मैं आपको ले जाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके वक्तव्य से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि केवल सरकार या गोवा के लोग ही गोवा को एक अलग राज्य बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं; परन्तु आपकी गोवा जाने की आकांक्षायें भी अलग राज्य बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार को आभास हो गया था कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही आपने वहां जाने की प्रतिज्ञा कर रखी है। मुझे खुशी है कि आपकी आकांक्षायें भी पूरी हो गई हैं।

मैं एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। जब कभी ऐसे छोटे क्षेत्र पूर्ण—राज्य बनते हैं तो उनको एक लाभ मिलता है और उनको नुकसान भी होता है। उनके मन में एक प्रकार की आशंका होती है कि पहले जब वे संघ शासित क्षेत्र थे तो छोटे क्षेत्र होने के नाते वे हमेशा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और इसलिए कुछ केन्द्रीय सहायता प्राप्त थी। कभी-कभी जब केन्द्र शासित छोटे क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उनके मन में यह आशंका पैदा हो जाती है कि क्या केन्द्रीय सहायता कम कर दी जाएगी। और मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि जो राज्य छोटे हैं, जो राज्य पिछड़े हुए हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं उन्हें केन्द्रीय सहायता देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और मुझे आशा और विश्वास है कि जब गोवा एक अलग राज्य बन जाता है तो भारतीय संघ के एक अंग के रूप में, उन्हें प्राप्त कराई जाने वाली सहायता उनके अग्रिम विकास के लिए जारी रखी जाएगी। अनेक पर्यटक भारत आते हैं और उनमें से अनेक पर्यटक गोवा का भ्रमण करते हैं। इसके कारण विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है और इसीलिए, आपको गोवा के बारे में खुले दिमाग से सोचना चाहिए। एक पैराशूट की तरह, जब दिमाग खुला हुआ होता है, तो वह बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसीलिए, मुझे आशा है कि गोवा के मामले में आप खुले मस्तिष्क से विचार करेंगे।

गोवा के गठन का मैं स्वागत करता हूं और मैं गोवा की जनता को तथा प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : वास्तव में, इस निर्विवाद विधेयक पर बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था किन्तु जब मैं माननीय सदस्य श्री शांताराम नायक का भाषण सुन रहा था, तब मेरा ध्यान गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन विधेयक 1987 के खंड 20 की ओर गया। इसमें यह प्रावधान है कि महाराष्ट्र राज्य, और गोवा के लिए तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा जो महाराष्ट्र और गोवा का उच्च न्यायालय कहा जायगा।

मैं इस खंड का कड़ा विरोध करता हूं जिसका कारण यह है कि बम्बई उच्च न्यायालय की चिर कालीन परंपरा रही है और उसका नाम केवल इस कारण से नहीं बदला जाना चाहिए कि आप गोवा को एक अलग राज्य बना रहे हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके नामों में परिवर्तन नहीं किया गया यद्यपि इन राज्यों के नाम में परिवर्तित किए गए थे। तमिलनाडु की स्थापना के बाद भी मद्रास उच्च न्यायालय को मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से ही जाना जाता है।

श्री पी० कुलनवईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : उसके लिए पहले से ही अनुरोध किया जा चुका है और उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री शरद दिघे : जब बम्बई राज्य का विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में किया गया था, तब भी इसी प्रकार के सुझाव आए थे। **(व्यवधान)** जब बम्बई राज्य में से महाराष्ट्र बनाया गया था और बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में विभाजित किया गया था तब भी इसी प्रकार के सुझाव आए थे कि···

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उच्च न्यायालय को ढंग से कार्य करने दीजिए···

श्री शरद दिघे : जब यह सुझाव आया था कि उसको गठित करने के बाद, बम्बई उच्च न्यायालय को महाराष्ट्र उच्च न्यायालय कहा जाए, तो इसका भी विरोध किया गया था। जहां तक बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ग और वकील समुदाय का सम्बन्ध है, यह बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न है। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय बड़े पुराने उच्च न्यायालय हैं। जहां तक गोवा का सम्बन्ध है, वह पहले से ही बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। नये राज्य के लिए आप उसी क्षेत्राधिकार को बना रहने दीजिए। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि बम्बई उच्च न्यायालय का नाम बदलकर महाराष्ट्र और गोवा उच्च न्यायालय रखा जाए। मेरा यही अनुरोध है।

श्री पी० कुलनवईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार ने गोवा की जनता के विश्वास और भावनाओं का सम्मान करने का ठीक कदम उठाया है। इस अवसर पर, मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि गोवा में एक समस्या है और वह समस्या है भाषा की समस्या जिसके लिए कोंकणी भाषा को मान्यता देनी होगी।

एक माननीय सदस्य : यह सब बातें हो चुकी हैं।

श्री पी० कुलनवईवेलु : यदि इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है तो इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में 16वीं भाषा के रूप में जोड़ लिया जाए। 15 भाषाओं को पहले से ही मान्यता प्राप्त है और कोंकणी 16वीं भाषा होनी चाहिए।

महोदय, संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी ने भी हाल में यह संकल्प पारित किया है कि इसे भी राज्य का दर्जा दिया जाए। मेरे विचार से केन्द्र सरकार को पांडिचेरी की जनता की भावना का भी आदर करना चाहिए।

उच्च न्यायालय के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। महोदय, मद्रास राज्य का नाम परिवर्तित होकर तमिलनाडु हो गया है। अब, उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय ही है। जिसे बदलकर तत्काल तमिलनाडु उच्च न्यायालय किया जाए। मुझे इतना ही कहना है।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान करते समय सदस्यों द्वारा जो प्रसन्नता व्यक्त की गई है, उसमें मेरी भी प्रसन्नता सम्मिलित है। उस अवसर पर मैं माननीय गृह मन्त्री तथा माननीय प्रधान मन्त्री को यह ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं। विशेषकर इस लोक सभा की यह अद्वितीय विशेषता रही है कि श्री

राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा पहले ही प्रदान कर चुकी है और अब उसने गोवा को भी राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया है। वास्तव में इसका श्रेय उनको है। इससे उनकी कीर्ति और बढ़ी है।

मैं चर्चा को गौर से सुनता रहा हूं और मैंने देखा कि मेरे सभी पूर्व वक्ताओं ने गोवा का उल्लेख किया है। उन सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की किन्तु किसी ने भी अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप अथवा अन्य द्वीपों को राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में और वहां के लोगों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा।···**(व्यवधान)** यहां तक कि दूसरी ओर बैंठे मार्क्सवादी सदस्य जो अपनी लोकतन्त्र प्रणाली के बारे में तो बोलते हैं, किन्तु यहां पर बोलते समय उन्होंने भी अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा···**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह बात वहां तर्क संगत है? (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : गोवा सहित संघ राज्य क्षेत्र के सभी सदस्य तथा उस तरफ बैठे माननीय मन्त्री महोदय—जब वह मन्त्री नहीं थे, तब हम मिलकर बैठा करते थे और चर्चा किया करते थे। इस समय वह भी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में एक भी शब्द कहना भूल गए।

दूसरी सच्चाई यह है कि यदि आपकी अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसे भारत का बेस्टिल कहा जाता है और जहां सेल्यूलर जेल है, जाने का अवसर प्राप्त हो तो आप आज भी जेल के खम्बों में अभी भी लोगों के रक्त और आंसुओं के चिह्न देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त 29 दिसम्बर, 1943 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इस द्वीप में आए थे और उन्होंने यहां राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। देश में सबसे पहले यही भूभाग स्वतन्त्र हुआ था। आज यहां का प्रशासन सबसे अधिक खराब है। जब कभी हम माननीय मन्त्री के समक्ष अपना अनुरोध प्रकट करते हैं और कहते हैं कि कृपया हमारी बात सुनिए, आप संघ राज्य क्षेत्र के साथ हमें एक विधान सभा भी प्रदान करें तो हमारी बात ठुकरा दी जाती है। मेरा यह अनुरोध है सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक सी नीति होनी चाहिए। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग घटिया हैं तो कुछ महान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने गोवा की जनता को विश्वास दिया है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की जनता को भी वही विश्वास दिया जाना चाहिए। अब गोवा की जनता अपने कार्यक्रम स्वयं बना सकती है और उस क्षेत्र का विकास कर सकती है। मेरा अनुरोध है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्ष द्वीप और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में इसी प्रकार विचार किया जाए और हमें भी लोक तान्त्रिक अधिकार प्रदान किये जायें।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए, महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं। अभी हमारे साथी श्री मनोरंजन जी ने बहुत सही बात कही है और बहुत अरसे से वे पार्लियामेंट के अन्दर अंडमान निकोबार द्वीप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि जहां तक स्टेटहुड की बात है तो तो उस स्थान को भी मिलना चाहिए। गोवा का इतिहास बहुत लम्बा इतिहास है। पहले तो गोवा को

[श्री विजय कुमार यादव]

पुर्तगालियों से लड़ना पड़ा और उसके बाद हिन्दुस्तान की पूरी जनता ने आन्दोलन किया, सत्याग्रह किया, बहुत तरह की लड़ाईयां वहां लड़ी गईं और इसमें हिन्दुस्तान की पार्टियों में मुख्यतः लेफ्ट पार्टियों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। सोशलिस्ट कन्ट्रीज तथा सोवियत यूनियन का भी इसमें काफी योगदान रहा है। यह खुशी की बात है कि आज गोवा को राज्य का दर्जा मिल रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनकी मांग इस पार्लियामेंट के अन्दर अण्डमान निकोबार द्वीप समेत की जा रही है। पुर्तगालियों की लड़ाई से जो देर हुई तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा गोवा को स्टेटहुड देने में भी उतनी ही देर हुई। पार्लियामेण्ट में लड़ाई लड़ी गई तब जाकर राज्य का दर्जा मिला है। हाई कोर्ट के बारे में जो बात उठाई गई है, मैं भी उसके साथ हूं कि उसका अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। उसके विकास और तरक्की के लिए चुनाव वहां होंगे, चुनाव के नतीजे चाहे जो भी निकलें, लेकिन गोवा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और हिन्दुस्तान को फोरन एक्सचेंज में भी काफी मदद करता है। उसकी सहायता पूरी-पूरी होनी चाहिए जिससे वहां का विकास और तरक्की अच्छी तरह हो सके। गोवा अच्छे रूप में फले-फूले। इन शब्दों के साथ गोवा की जनता, और देश की जनता को मुबारकबाद देता हूं कि आज उनके प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला है।

12.19 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): सभापति महोदय, मेरे ख्याल से आज सबसे अधिक खुशी का दिन है और गोवा को राज्य का दर्जा मिलने तथा देश की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हम सभी को गोवा के लोगों को मुबारकबाद देना चाहिए। यह याद करने लायक संघर्ष रहा है—पहले गोवा की आजादी के लिए और इसके बाद गोवा के लोगों की अपनी शाख्सियत बनाए रखने के लिए थोड़े समय के लिए असल में गलतफहमी रही थी। इस बात का डर बना हुआ था कि कहीं महाराष्ट्र गोवा को न ले ले या कर्नाटक उनके रास्ते में कोई दिक्कत न खड़ी कर दे, इस तरह का डर बना हुआ था। किन्तु गोवा के लोगों ने जो बहादुर हैं, मन संग्रह के समय अपना निर्णय दिया। मुझे कई बार गोवा जाने का अवसर मिला। जैसा कि प्रो० मधुदण्डवते ने कहा है, यकीनन यह बड़ा ही खूबसूरत राज्य है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कर्नाटक की जनता की ओर से, आने वाले दिनों में गोवा के लोगों की बहुत अधिक खुशहाली और तरक्की की कामना करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, श्रीमान, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और गोवा को राज्य का दर्जा मिलने की खुशी में वहां के लोगों की खुशी में उन लोगों के साथ हूं। महोदय, मैं उन घटनाओं का स्मरण दिलाना चाहता हूं जो गोवा के मुक्ति आन्दोलन के दौरान घटी थीं।

हमें महात्मा गांधी द्वारा सिखायी गई अहिंसा का अनुयायी माना जाता रहा है। पहले इस 'अस्त्र' का उपयोग किया गया परन्तु यह कार्य नहीं कर सका। पहली बार ऐसा लगा कि यह हथियार पुर्तगाल के फासिस्टवादी शासन के विरुद्ध बेकार है। इस प्रकार, हम इस पहलू पर असफल हो गए और सरकार किंकर्तव्य विमूढ़ थी। परन्तु, श्री जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बारे में सोचा कि गोवा के लोगों के लिए क्या किया जा सकता था, क्योंकि गोवा की जनता बहुत खिन्न थी और

सारा देश इस बात से परेशान था कि गोवा को मुक्ति कैसे दिलायी जाए। संसद में अपने आर० एस० पी० दल का एक ही सांसद था जिसने अन्य नेताओं के साथ मुक्ति आन्दोलन में भाग लिया। अन्य नेता थे श्री मधु लिमये, श्री एन०जी० गोरे, श्री भावले, श्री जे०एल० जोशी और श्री आर० आर० पाटिल। ये सभी लोग समाजवादी सदस्य थे। संसद में मेरे एकमात्र नेता श्री पुदीप चौधरी ने अपने आपको 1950-55 में मुक्ति आन्दोलन में लगा दिया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अगुआ-डी-फोर्ट में 10 महीने तक रखा गया और कड़ी सजा हो ही गई। उन्होंने बहुत कष्ट झेले और जनता को उन लोगों को याद रखना चाहिए जो गोवा मुक्ति आन्दोलन से जुड़े हुए थे। उस समय सभा में समाजवादी सदस्य गोवा जाने के लिए सहमत हो गए थे परन्तु उन्होंने वहां जाने का साहस नहीं किया। मेरे दल के श्री पुदीप चौधरी, जो अब भी जीवित हैं, यह सुनकर बहुत खुश होंगे कि गोवा को अब राज्य का दर्जा मिल गया है। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि आज मैं खुशी मनाने में संसार की जनता के साथ हूं। वर्ष 1947 के पश्चात् पुर्तगाल की फासिस्टवादी सरकार के विरुद्ध 15 वर्षों तक मुक्ति संघर्ष करते रहने के लिए मैं एक बार फिर गोवा की जनता को धन्यवाद देता हूं। महोदय, इसलिए, मैं गोवा की जनता को मुबारकबाद देता हूं। मेरा गोवा की जनता से अनुरोध है कि वे हमें अपना भाई ही मानें और अपने आपको हम से अलग न समझें। उनको सारे भारत की मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए और उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि कश्मीर से लेकर गोवा तक हमारा देश बहुत बड़ा है।

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, आज मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि असीम सौन्दर्य, कैथोलिक संस्कृति, काजू के बागानों से घिरी हुई और सुन्दर फव्वारों की भूमि, गोवा को आज पूर्ण राज्य का दर्जा मिल रहा है। इसलिए, मैं गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने पर भारत सरकार तथा प्रधान मन्त्री को मुबारकबाद देता हूं।

12.25 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुझे उन दिनों की स्मरण हो आती है जब हम ही मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। गुजरात में सौराष्ट्र के लोगों ने दमन और दीव मुक्ति संग्राम को श्री ईश्वर भाई देसाई, श्री वाजू भाई शुक्ल और दूसरी सभा में मेरे साथी श्री चिमन मेहता के नेतृत्व में संगठित किया। उस मुक्ति संग्राम समिति के एक सिपाही के रूप में, मुझे इस बात का गर्व है कि आज गोवा एक पूर्ण राज्य बन रहा है।

हमारे देश के सम्पूर्ण संघात्मक ढांचे और संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक संघ राज्य क्षेत्र का महत्व इसके वास्तविक स्थिति से कम होता है। इस प्रकार, जब कोई संघ राज्य क्षेत्र एक राज्य बन जाता है तो इसको वास्तविक दर्जा मिल जाता है और इसे हमारे संघीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्पूर्ण भागीदारी मिल जाती है। मैं अपनी टिप्पणी सिर्फ धारा 3,4 और 20 तक सीमित रखूंगा। लेकिन जहां धाराएं 3 व 4 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देती हैं, दमन और दीव को अलग संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। संविधान की भावना, भाषायी प्रान्तों के बारे में महात्मा गांधी के विचारों, राज्य पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दमन और दीव के लोगों की एक ही भाषा गुजराती है और मानसिक दृष्टि से भी वे शेष गुजरात से जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार को दमन और दीव को गुजरात का ही भाग बनाने पर विचार करना चाहिए, ताकि वे भी गुजरात राज्य में पूर्ण भागीदार हो सकें और इस तरह राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान दे सकें।

[श्री हरुभाई मेहता]

अगर सरकार सही समय पर दमण और दीव को गुजरात का भाग बनाने पर विचार करती है तो मैं बहुत आभारी हूंगा। मैं तो सरकार से सिर्फ यह निवेदन करता हूं कि वह सभी तर्क संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात की जांच करे कि क्या दमण और दीव को पूर्ण गुजरात राज्य के अधीन रखना अधिक उपयुक्त होगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : तस्कर इसका विरोध करेंगे।

श्री हरुभाई मेहता : जी, हां। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दमण और दीव को गुजरात उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। निस्सन्देह, दमण को गुजरात का एक हिस्सा बनाने का मेरा सुझाव उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जो दमण की शराब की भट्टियों में रुचि रखते हैं। दमण को तस्करों का स्थान समझा जाता है और जब दमण गुजरात का हिस्सा बन जाएगा तो उनको प्रसन्नता नहीं होगी।

परन्तु तस्करों के विरुद्ध मामलों से निपटने में गुजरात उच्च न्यायालय की भूमिका बहुत अच्छी रही है। इसलिए दमण और दीव के वादी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दमण और दीव को गुजरात उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए था।

इन शब्दों के साथ और सरकार से मेरे सुझाव पर सही समय पर गौर करने का अनुरोध करते हुए मैं एक बार फिर गोवा की जनता को मुबारकबाद देता हूं और गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने पर भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, इस समय सदन में गोआ को राज्य का दर्जा दिए जाने का बिल विचाराधीन है और मैं उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमने देखा है कि जब इस सदन में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिए जाने का बिल आया था, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने का बिल आया था और इस बिल के जरिए आप गोआ को राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं, अभी और किन-किन संघशासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने वाले हैं, उसका हमें पता नहीं परन्तु यह बात ठीक है कि जब वहां आन्दोलन होते हैं, रेलगाड़ियां रोकी जाती हैं, बसें जलायी जाती हैं, लोगों को मारा जाता है, यह सरकार उनके सामने झुक जाती है। ऐसा हमें हर जगह साफ नजर आता है। जिस वक्त मिजोरम को राज्य का दर्जा दिए जाने का बिल विचाराधीन था, उस समय गोआ के मित्रों ने कहा था कि गोआ को भी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसके बाद जब अरुणाचल में भी ऐसी ही वारदातें हुई तो अरुणाचल को राज्य का दर्जा दिया गया। आज यहां अण्डमान और निकोबार से आने वाले माननीय सदस्य ने भी मांग की है कि उनके संघशासित क्षेत्र को भी राज्य का दर्जा दिया जाए परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हू कि यह सरकार सिर्फ मांग करने से या बातों से झुकने वाली नहीं है बल्कि आन्दोलन और खून से दबने वाली है। यदि आन्दोलन का रास्ता अपनाया जाए, अण्डमान के लोग कुछ करें तो ही दबाव में आकर यह सरकार उसे राज्य का दर्जा देगी।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : लेकिन गोआ के लोग कभी स्ट्रीटस में नहीं आये सरकार ने उन्हें अपनी ओर से राज्य का दर्जा दिया है।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : जंगा गारु, गोआ में तो किसी ने एजीटेशन नहीं किया।

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह मैं जानता हूं साहब, आन्दोलन तो हुआ था वहां, इस बीच और क्या था, चार महीने पहले क्या हुआ, वह सब जानते हैं।

श्री शांताराम नायक : वह तो लैंग्वेज का था।

श्री सी० जंगा रेड्डी : वह भी तो कांग्रेस और उन लोगों ने मिलकर किया था। वह सब कांग्रेस की चालें हैं, हम जानते हैं। अगर आप राज्य का दर्जा देना ही चाहते थे तो मिजोरम के वक्त ही क्यों नहीं दे दिया, जब अरुणाचल को दिया गया तभी क्यों नहीं दे दिया। यदि आप सभी यूनियन टैरिटरीज को राज्य का दर्जा देना चाहते हैं तो दिल्ली को राज्य बनाने में आपको क्यों आपत्ति है जब आपकी कांग्रेस की ओर से भी प्रस्ताव पास हो चुका है और बी० जे० पी० की ओर से भी प्रस्ताव पास हो चुका है, उसके बावजूद भी आप उसे राज्य का दर्जा देने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं। इसलिए कि आप आन्दोलन के आगे ही झुकना जानते हैं। जो लोग आन्दोलन करते हैं, जो बाजारों में आते हैं, रेलगाड़ियों को रोकते हैं उन्हीं की बातों को सरकार सुनती है, यह भावना लोगों के मन में उठ रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो बनाइए।

पांडिचेरी के बारे में मेरे मित्र ने अभी बता दिया। हमारा तेलगु स्पीकिंग एरिया है और काकीनाडा से 15 किलोमीटर पर है और यूनियन टैरेटरी में है। वहां पर लोग जाते हैं, वहां वस्तुएं कम दाम पर मिलती हैं। हमारी मांग है कि यानाम को आंध्र में मिलाइए। लेकिन जब तक काकीनाडा या आन्ध्र या यानाम के लोग आन्दोलन नहीं करेंगे तब तक आप कांस्टीट्यूशन में तबदीली लाकर उस यानाम को आन्ध्र में नहीं मिलायेंगे ऐसा लोगों का भरोसा है। हम चाहते हैं कि जितनी भी यूनियन टैरेटरीज हैं, उनके बारे में एक मर्तबा बिल लाकर आप जिन-जिन को राज्य स्तर देना चाहते हैं, उनको दीजिए।

अभी हमारे मित्र ने बतलाया कि गुजरात में मिला। इस प्रकार की मांगें आपके सामने बहुत हैं लेकिन आप अपने राजनीतिक दल को लाभ देने के लिए उसी नाते एक-एक कर के राज्य दे रहे हैं। आपने मिजोरम को दिया, अरुणाचल को दिया और इस सत्र में गोवा को दे रहे हैं। आगे के सत्रों में पांडीचेरी को देंगे, अण्डमान को भी देंगे। मेरा कहना है कि हमारे तेलंगाना को क्यों नही देते। आप सिर्फ आन्दोलन करने से ही देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप आन्दोलन के आगे मत झुकिए।

आप दिल्ली के लिए भी सोचिए। दिल्ली को भी राज्य का दर्जा देना चाहिए। मै जानता हूं कि गोवा के 2 लोक-सभा सदस्य हैं, लेकिन दिल्ली के 7 लोक-सभा सदस्य हैं। आप दिल्ली मे राज्य स्तर देने में क्यों एतराज करते है, इसका क्या कारण है? आपके पास इसका क्या जवाब है, वह बताइए? साथ ही साथ अण्डमान के बारे मे जो प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं?

जितना भी हमारा भारत-देश है, एक बार किस रूप में आप भारत देश का नक्शा बदलना चाहते हैं वह एक बार बदलने की कोशिश कीजिए। जो कोई आन्दोलन करेगा या गड़बड़ी करेगा, उसके सामने झुकने की कोशिश किसी भी सरकार को नही करनी चाहिए। मगर हमको पता है कि यह सरकार आन्दोलन के सामने झुकने वाली सरकार है। जो दिल्ली वाले हैं या दूसरे प्रदेश के लोग हैं

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

जहां कि यूनियन टैरेटरीज हैं वह आन्दोलन करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए आन्दोलन से पहले सरकार को एक निर्णय पर आना चाहिए। अन्त में मैं इस बिल का अनुमोदन करते हुए समर्थन करता हूं।

श्री यू० एच० पटेल (बलसार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं दिल से स्वागत करता हूं। पोर्तगीज की सालाजार सरकार के जुल्म से प्रजा को बचाने के लिए मेरे जैसे आदमी ने भी स्वर्गीय ईश्वर लाल देसाई के नेतृत्व में उस समय सत्याग्रह में भाग लिया था और उस सत्याग्रह में रामगिरी साधु की गोली से मृत्यु भी हुई और एक आदिवासी लल्लूभाई पटेल का गोली से पांव टूट गया। अनेक सत्याग्रह में मरे दिखाए हमारे नेता ने 12 बर्ष का कठोर कारावास दिया गया। इस पर पं० जवाहर लाल नेहरू ने कड़ा कदम उठाया और पोर्तगीज शासन से प्रजा को मुक्त कराया। आज वह बिल आ रहा है। यह भी हमें याद रहेगा, इसलिए मैं प्रधान मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि दादरा और नागर हवेली जो केन्द्र के साथ हैं, वहां के विकास का भी बहुत कदम उठाया गया है। इसके विकास के लिए हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया। लेकिन फिर भी वहां के मुट्ठी-भर स्थापित-हितों और अधिकारियों ने गरीब लोगों का शोषण किया। वहां की सामान्य प्रजा का जितना उत्थान होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। दमण और दीव जो कि एक केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा वहां पर भी ऐसा शोषण न हो, यह बात ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को सीधी निगरानी रखनी होगी। इसके साथ ही वह मुट्ठी-भर दान चोरों का अड्डा न बन जाये, इससे भी वहां की गरीब जनता को बचाने के लिए केन्द्र सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा।

दमण और दीव एक ऐसा क्षेत्र है जहां समुद्र भी है। इस कारण भी वहां का विकास होना आवश्यक है। अगर इस क्षेत्र में बन्दरगाह बना दिया जाए तो भी इस क्षेत्र का काफी विकास हो सकता है। दमण और दीव भौगोलिक दृष्टि से गुजरात के बीच में है। यही एक ऐसा योग्य अवसर पर आप इसको गुजरात के अन्दर मिला सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन०वी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् सबसे पहले मैं राज्य का दर्जा मिलने पर गोवा के लोगों को बधाई देता हूं। हमारे डी० एम० के० दल ने भी गोवा की मुक्ति के लिए सहानुभूतिक आन्दोलन किया था और इसलिए मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने गोवा की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और गोवा के लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने आज राज्य का दर्जा हासिल किया है।

महोदय, सरकार ने एक उपाय से दो प्रयोजन सिद्ध कर लिए हैं। इसने बम्बई उच्च न्यायालय का नाम बदल कर 'महाराष्ट्र उच्च न्यायालय' कर दिया है। तमिलनाडु के लोगों का भी काफी अरसे से यह अनुरोध रहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदल कर तमिलनाडु उच्च न्यायालय किया जाये। आपको याद होगा कि हमारे भूतपूर्व नेता श्री अन्ना ने ही 1967 में द्रमुक सरकार बनायी थी और मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला था। इसी प्रकार, मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदल कर तमिलनाडु उच्च न्यायालय किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि कोंकणी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। गत वर्ष, दिसम्बर में, इस भाषा के समर्थन में आन्दोलन हुए थे। अब ऐसा लगता है कि इसका समाधान हो गया है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं का आदर किया जाना चाहिए। सोवियत रूस में, लगभग 163 भाषाएं बोली जाती हैं। युक्रानी, भाषा चार करोड़ लोग बोलते हैं और एस्कीमों भाषा सिर्फ 1000 लोग ही बोलते हैं परन्तु इन दोनों भाषाओं को एक समान दर्जा दिया गया है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे देश में सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान दर्जा दिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : वहां सिर्फ एक ही दल है।

श्री एन० वी०एन० सोमू : यह एक सर्वसत्तावादी राज्य है। वहां पर सिर्फ एक ही राजनैतिक दल को माना जाता है। परन्तु हमारे यहां लोकतन्त्र है और इसलिए कई दल हैं।

महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि पांडिचेरी को भी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हाल ही में पांडिचेरी विधान सभा ने इसको राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। यहां तक कि सभी भूतपूर्व मुख्यमन्त्रियों और विधान सभाओं ने भी पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए अनुरोध किया है तथा संकल्प पारित किए हैं। मेरे साथी, श्री मनोरंजन भक्त ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्य द्वीप को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। मैं भी उनकी मांग का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इन संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया जाये।

मैं गोवा के लोगों को बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मैं यहां पर उपस्थित माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया जाये ताकि हम प्रक्रिया को एक साथ पूरा कर सकें।

[हिन्दी]

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (सतावनवां) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गोवा की जनता की जो इच्छा थी, उस इच्छा को मूर्तरूप देने के लिए, हमारे प्रधान मन्त्री राजीव जी और होम मिनिस्टर साहब जो बिल लाए हैं और गोवा को स्टेट का जो दर्जा दे रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों का ही अभिनन्दन करता हूं। परन्तु साथ ही साथ दमण और दीव को आगे भी केन्द्र शासित क्षेत्र के रूप में जो रखा जा रहा है, उसके सम्बन्ध में मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने दो बातें रखना चाहता हूं।

जहां तक दमण और दीव का सम्बन्ध है, हमारे गुजरात के माननीय सदस्य श्री हरूभाई मेहता और उत्तम भाई ने सही बात बताई है कि जो नजदीक रहते हैं उनको मालूम है कि दीव और दमण आज स्मगलर्स, क्रिमिनल्स और बैडएलिमेन्ट्स का एक बड़ा अड्डा बन गया है। आज भी जो क्रिमिनल माइन्डेड लोग हैं, वे नजदीक की स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र में क्राइम्स करके दमण और दीव में जाकर बैठ जाते हैं। स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा आज भी दमण में है। तो हम दीव और दमण को क्यों केन्द्र शासित क्षेत्र के रूप में रखना चाहते हैं? अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दीव को गुजरात में

[श्री अनूप चन्द शाह]

मिला दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह बिल्कुल गुजरात के बीच में है और गुजरात राज्य के साथ उसका ताल्लुक है। सभी प्रकार से वह गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी आप कहते हैं कि वहां की जनता की ऐसी इच्छा है कि दमण और दीव को केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रखा जाये। लेकिन वास्तव में यह इच्छा किसकी है? या वहां के लोगों की यह इच्छा है या. वहां पर जिनका साम्राज्य चल रहा है—स्मगलर्स और क्रिमिनल माइंडेन्ड लोगों का—उनकी यह इच्छा है? आज भौगोलिक दृष्टि से देखने पर तो दमण को महाराष्ट्र के साथ और दीव को गुजरात के साथ मिला देना चाहिए। फिर दमण और दीव के बीच में अन्तर भी कितना है? और दोनों के लिए आपने पार्लमेंट की एक सीट एलाट की है। आज जो परिस्थिति है वही परिस्थिति कल भी रहेगी। दमण और दीव के हितों को एक संसतसदस्य ही लुक-आफटर करेगा और वही आज भी हो रहा है। जब आप गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दे रहे हैं और रिआर्गेनाइज करने का मौका आपको मिला है फिर आप दमण और दीव को यूनियन टैरिटरी में क्यों रख रहे हैं? मैं होम मिनिस्टर साहब से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भौगोलिक दृष्टि से देखते हुए दमण को महाराष्ट्र के साथ और दीव को गुजरात के साथ मिला देना चाहिए और तत्पश्चात वहां पर विकास कार्य किए जाने चाहिए। अन्यथा इसका फायदा उन्हीं को होगा जोकि पहले से ही वहां फायदा उठा रहे हैं। जो बैड-एलिमेंट्स है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो स्मगलर्स है, उन्हीं को आगे आने वाले दिनों में इसका लाभ पहुंचेगा। आज आप जाकर दमण मे देखें कि वहां पर किसका साम्राज्य चल रहा है? यदि आप जाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सरकार उनकी चल रही है जोकि वहां पर स्मगलिंग का धन्धा करते हैं। आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह से उन्हीं की सरकार चलने वाली है। वहां पर सत्ता उन्हीं की चलने वाली है। दमण और दीव यूनियन टैरिटरी में रहे या न रहे, सत्ता उन्हीं की चलने वाली है जोकि क्रिमिनल माइन्डेड हैं, जोकि स्मगलिंग का धन्धा करते हैं। आज वहां पर उन्हीं का साम्राज्य है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गोवा को स्टेटहुड का जो दर्जा दिया जा रहा है उसके साथ-साथ आपको इसके बारे में में भी सोचना चाहिए—अगर आज नहीं तो आगे जल्दी से जल्दी इस बारे में आपको विचार करना चाहिए कि दीव को गुजरात के साथ और दमण को महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाये। इसी अपेक्षा के साथ मैं प्रस्तुत बिलों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया (संगरूर): राज्य का दर्जा मिलने पर मैं गोवा के लोगों को बधाई देता हूं—एक खूबसूरत राज्य के लिए एक खूबसूरत निर्णय। उन्हें बधाई देते हुए मैं गौरव का अनुभव करता हूं कि इसरू गांव जिला लुधियाना, के एक मास्टर करनैल सिंह 1955 में शान्ति आन्दोलन के सिलसिले में पंजाब से गोवा गए थे तथा पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अतः पूरे देश के लिए यह बहुत खुशी की बात है और पंजाब के लोगों के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि इस क्षेत्र की स्वतन्त्रता के लिए उनके एक महान सपूत ने अपने प्राण न्योच्छावर कर दिए थे।

जब गोवा को राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, आजकल सभी राज्यों को और अधिक शक्तियां देने की बात चल रही है। राज्य के विकास की मूलभूत जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अतः राज्य के तीव्र विकास के लिए विधायी तथा वित्तीय शक्तियां राज्य सरकार को दी जानी चाहिएं। मैं यह भी

अनुभव करता हूं कि गोवा के लोगों की परम्परा एवं महान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए जायेंगे । अतः मैं उन स्वतन्त्रता सेनानियों के समक्ष अपना मस्तक झुकाता हूं जिन्होंने गोवा की स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन और संघर्ष शुरू किया ; और उनकी कुर्बानियों के परिणामस्वरूप आज यह एक पूर्ण राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर है और अन्य भारतीय राज्य परिवारों के साथ इसका नाम भी रहेगा तथा उनके साथ-साथ इसका भी विकास होगा ।

इन चन्द शब्दों के साथ, मैं गोवा के लोगों को तथा यह सही कदम उठाने के लिए प्रधान मंत्री और गृह मन्त्री को बधाई देता हूं ।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस खुशी के अवसर पर मैं गोवा को राज्य का दर्जा मिलने पर वलों के लोगों को बधाई देता हूं, और अपने प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने ऐसे ऐतिहासिक कदम की शुरूआत ही नहीं की बल्कि सभा के दोनों पक्षों के समर्थन से गोवा के लोगों की आकांक्षाओं को भी सफलतापूर्वक पूरा कर दिखाया है ।

गोवा की परम्परा महान रही है । विदेशी शासन के दौरान, पुर्तगाली के शासन के दौरान गोवा के लोगों ने काफी यातनाए सही है । उनकी महान विरासत, संस्कृति, विकास योजनाएं रुकी पड़ी थीं परन्तु गोवा के लोगों ने अपनी परम्परा को सफलतापूर्वक कायम रखा । गोवा के लोग राज्य का दर्जा पाने के योग्य हैं । गोवा को राज्य का दर्जा देने से भारत के लोगों में भाईचारा और बढ़ेगा । अलग राज्य के रूप में गोवा केवल वहां के ोगों की लम्बी परम्परा तथा आकांक्षाओं को ही पूरा नहीं करेगा परन्तु एक नये राज्य के रूप में भी अपने बहुत से प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटय साधन क्षमता तथा पोत निर्माण परम्परा से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी हद तक सहयोग देगा ।

इस ऐतिहासिक अवसर पर, मैं भारत के संविधान के निर्माताओं के स्वप्न को पुनः याद करता हूं जिन्होंने भारत को एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में देखने के सपने दे रहे थे । मैं एक बार फिर अपने प्रधान मन्त्री तथा इस सभा के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं तथा शुक्रिया करता हूं जिन्होंने गोवा को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और गोवा को भारत की मुख्य प्रजातांत्रिक धारा से जोड़ने लिए गोवा के लोगों की सहायता की ।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती डी० के० भंडारी (सिक्किम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं । गोवा के लोगों की चिरकालीन मांग के पूरा होने पर उन्हें बधाई देते हुए मैं केन्द्र सरकार द्वारा की गई सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई की बहुत सराहना करती हूं जिसके परिणामस्वरूप गोवा को राज्य का दर्जा दिया जा रहा है ।

महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद गोवा और अधिक प्रगति करेगा । गोवा के लोग कई तरह से भाग्यशाली हैं । जिस दिन गोवा भारतीय संघ की मुख्यधारा में शामिल हुआ, पुर्तगालियों से मुक्ति प्राप्ति के बाद, रमेश के सभी लोग इस देश के नागरिक बन गए । यह बहुत स्वभाविक तथा प्रजातान्त्रिक भी था । यहीं बात दमण, दीव तथा दादरा और नगर हवेली एवं पांडिचेरी के लोगों के साथ भी थी । परन्तु यह स्वभाविक प्रक्रिया उस समय नहीं अपनाई गई जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ । सिक्किम के लोगो पर बहुत अप्रजातान्त्रिक शर्तें लगा दी गई थी जिनके परिणामस्वरूप सिक्किम के हजारों लोगों को छोड़ दिया गया था जो अन्यथा भारतीय

[श्रीमती डी० के० भण्डारी]

नागरिक बनने के योग्य थे। इसलिए मैं कहती हूं कि इस इस सम्बन्ध में गोवा के लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके सामने नागरिकता की समस्या नहीं है जैसाकि हमारे सामने सिक्किम में है।

इस अवसर पर मैं गोवा के लोगों का स्वागत करती हूं और अपनी ओर से हार्दिक बधाई देती हूं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती ऊषा चौधरी।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन विधेयक, जो संसद् में पेश किया गया है, का पूरी तरह से समर्थन करती हूं और इसलिए बोलने के लिए खड़ी हुई हूं कि जैसा कि दण्डवते जी ने कहा, देश के कोने कोने से गोवा मुक्ति आन्दोलन मे लोग शामिल हुए और जहां बड़े बड़े नेता शामिल हुए, वहां मेरे क्षेत्र से, अमरावती जिले से, जहां से मैं आती हूं, एक किसान का बेटा उस गोवा के आन्दोलन में शहीद हुआ था। इसलिए हमारी भावनाएं और देश के कोने कोने के लोगों की भावनाएं गोवा के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे मनोरंजन भक्त जी अंडमान और निकोबार के बारे में बड़े दुःख और स्पष्टता से बोल रहे थे कि हमारा जिक्र किसी ने नहीं किया लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी अन्डमान और निकोबार की गोद में, उस भूमि में बड़े प्यार से पले हैं और हमारी स्वतन्त्रता की भावना वहां तक पहुंच गयी थी और जैसी गोवा, दमण और दीव के प्रति भावना देश के कोने कोने में है, उसका समर्थन करते हुए, मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि जहां राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, गोवा संघ शासित क्षेत्र था और आज उसको राज्य का दर्जा प्राप्त हो रहा है, वहां केवल राज्य का दर्जा देने से उसकी समस्या सुलझ नहीं पाएगी। हमने सुना है कि वहां करोड़ों रुपये का बजट में यदि डेफीसिट हो, घाटा हो, तो राज्य का दर्जा देने के बावजूद लोगों पर टैक्स न बढ़ जाएं, यह देखना होगा। केन्द्रीय शासन की सिम्पैथी गोवा, दमण और दीव के साथ रही है और उसके द्वारा उस पर ध्यान दिया जाता रहा है। राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी पूरी तरह से केन्द्र सरकार उसकी तरफ ध्यान देगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको शान्ति मिले, अमन मिले और जिन्दगी के लिए सुविधाएं मिलें। यह जो कदम उठाया गया है, यह बहुत अच्छा कदम है और मैं इसका समर्थन करती हूं।

हमारे जो अपोजीशन के भाई हैं, वे भाषण दे कर चले जाते हैं और सुनने के लिए कभी रुकते नहीं हैं लेकिन हम लोग जो सरकार की तरफ से बोलते हैं या पार्टी की तरफ से बोलते हैं, उनको बहुत सोच-समझ कर चलना पड़ता है। बात करके चले जाएं, यह हमारी पार्टी और हमारी सरकार का काम नहीं है। बहुत सोच-समझ कर सरकार ने कदम उठाया है और जो कदम गोवा के लिए उठाया गया है, वह अन्डमान और निकोबार और दूसरी जगहों के लिए भी उठाया जा सकता है। आज इस बिल का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि दमण और दीव के बारे में जो बताया गया है, उसे आप राज्य बनाइए या किसी प्रान्त में शामिल करें, वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। उसका हमेशा शोषण किया जाता है। वहां के गरीब और पिछड़े लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए।

साथ ही साथ, हमारे प्रधान मन्त्री जी ने जो कदम उठाया है, उसके लिए मैं समर्थन करती हूं। जब हमारे अपोजीशन के भाई बोल रहे थे तो कह रहे थे कि जब आन्दोलन और खूनखराबा होता है तो

हमारी सरकार कुछ करती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम इतिहास बनाने जा रहे हैं तो यह कहना कि कहीं खून बह रहा है, कहीं लोगों की जान जा रही है कहां तक ठीक होगा। हम भारत को जोड़ने के लिए तैयार होते हैं, हम भारत की अखण्डता के लिए अगर अलग प्रान्त बनाना भी जरूरी हो तो उसके लिए हम तैयार होते हैं। इस समय हम गोआ राज्य बनाने जा रहे है, हमें कोई और बात नहीं करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ में आशा करती हूं कि गोआ को जो राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, उससे वहां के लोगों को अपनी जिन्दगी में तरक्की करने का और भी अवसर मिलेगा। हमारी सरकार ने, हमारे गृह मन्त्री जी ने, हमारे प्रधान मन्त्री जी ने सही उसूलों पर, अपनी पार्टी और अपने देश की संस्कृति का तरीका अपना कर जो यह कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं। मुझे आशा है कि हम सभी लोग सही रास्ते पर चलेंगे। यह कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

12.58 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

***श्री पी० षण्मुखम** (पांडिचेरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज खुशी का दिन है, क्योंकि गोआ को जो कि संघ राज्य क्षेत्र था, अब राज्य का दर्जा मिल रहा है। हमारे मन्त्री द्वारा पेश किए गए गोआ, दमन, दीव पुनर्गठन विधेयक, 1987 का मैं समर्थन करता हूं। मैं गोआवासियों को उनकी काफी अर्से से चली आ रही मांग को पूरा होने पर बधाई देता हूं।

इस अवसर पर मैं माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गोआ को राज्य का दर्जा प्रदान पर, गोआवासियों की इच्छाओं का आदर किया है। हाल ही में प्रधान मन्त्री ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया था।

श्रीमन्, 250 वर्षों से अधिक समय तक पांडिचेरी, कराइकल, माहे और येनाम क्षेत्र फ्रांस के अधीन रहे। पांडिचेरी और इन क्षेत्रों के लोगों ने भारत में मिलने का फैसला किया, अतः उन्होंने फ्रांस के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। 1954 ई० में यह विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प० जवाहर लाल नेहरू ने अपनी राजनैतिक सूझबूझ और विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञता से फ्रांस सरकार से बातचीत कर, दोनों दलों के साथ समझौता किया और इस तरह पांडिचेरी को आजाद कराया।

1-11-1954 को फ्रांस के चुंगल से पांडिचेरी स्वतन्त्र हुआ, और यह संघ राज्य क्षेत्र बना। पांडिचेरी की विशेष सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए प० नेहरू ने पांडिचेरी को विशेष दर्जा प्रदान किया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जब तक पांडिचेरी के लोग नहीं चाहेंगे, यह विशेष दर्जा जारी रहेगा। उन्होंने वहां के लोगों और संस्कृति पांडिचेरी के विकास के लिए सभी सम्भव सहायता प्रदान की।

अपने पिता की तरह श्रीमती गांधी ने भी उसी तरह पांडिचेरी को सहायता प्रदान की। उन्होंने पांडिचेरी के विकास में विशेष दिलचस्पी दिखाई।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी० षण्मुख]

माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी भी पांडिचेरी के विकास और पंडित जी द्वारा प्रदान किए गए इसे विशेष दर्जे को बनाए रखने में विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। अब पांडिचेरी राजनैतिक और प्रादेशिक राज्य में एक सक्षम इकाई बन गया है और पूर्ण राज्य बनाने की सभी शर्तें पूरी करता है।

पांडिचेरी के लोग भी काफी समय से पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं। लोगों की इच्छाओं का आदर करते हुए पांडिचेरी विधान सभा ने 8-5-1987 को सर्वसम्मति से एक संकल्प द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि इस संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य बनाया जाए।

अतः, मैं माननीय प्रधानमन्त्री और माननीय गृहमन्त्री से अनुरोध करता हूं कि जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए, ताकि लोगों द्वारा लोगों के लिए नई विधान सभा का गठन किया जा सके।

1.00 म० प०

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इससे पहले कि आप उत्तर दें मैं कहना चाहता हूं कि आप कृपया उस बात का उत्तर अवश्य दें जो कई लोगों के मन में है। जहां तक बम्बई उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन का सम्बन्ध है, क्या आपने बार-काउंसिल और महाराष्ट्र सरकार से भी परामर्श किया है? विधेयक के अनुसार बम्बई उच्च न्यायालय का नाम महाराष्ट्र और गोवा उच्च न्यायालय में बदल दिया जाएगा। क्या सम्बन्धित प्राधिकारियों से इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया था?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं इस सभा के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के साथ गोवा की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारत के महान सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूं। जैसा कि प्रो० मधु दण्डवते ने अभी उल्लेख किया है कि बम्बई में एक विद्यार्थी के रूप में गोवा के मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वालों में से वह भी एक महान नेता हैं, तो इस बात पर भी मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, श्री वी० के० कृष्णा मैनन के नेतृत्व में मैंने भी कुछ योगदान दिया था। गोवा की मुक्ति में बम्बई के छात्रों ने भी अपनी भूमिका निभायी थी। इसके अतिरिक्त, पंजाब से भी एक शहीद थे जिनका नाम श्री रामूवालिया ने मास्टर करनैलसिंह बताया है। वह उस निर्वाचन क्षेत्र से थे, जिसका मैंने इस सभा में प्रतिनिधित्व किया है। उनका गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में था। हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने गोवा राज्य तथा वहां की जनता की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए।

वर्तमान संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव में आने वाली तथा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित ये तीनों भिन्न और भौगोलिक पृथक इकाइयां 19 दिसम्बर, 1961 तक पुर्तगाल शासन के अधीन थी। जब 1947 में शेष सारा देश स्वतन्त्र हो गया तो इस क्षेत्र की जनता की भावनाएं और भी मजबूत हो गयी। इनके स्वतन्त्रता संघर्ष ने तेजी पकड़ी और वर्ष 1954 में दो छोटी इकाईयां— दादरा और नागर हवेली पुर्तगाल के गुलामी के जुए को उतार फैंकने में सफल हो गई। इनको बाद में दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में गठित कर दिया गया। गोवा की जनता को मुक्ति प्राप्त करने के लिए और 7 वर्ष का कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अखिरकार 19 दिसम्बर, 1961 को गोवा की जनता शेष स्वतन्त्र भारत देश के साथ जुड़ गयी।

इन लोगों और क्षेत्रों के भविष्य के दर्जे के बारे में, सरकार का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस सम्बन्धों में तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों में सुन्दर ढंग से संक्षेप में कहा है :—

"हम इस बात को मानते हैं कि गोवा की अपनी विशिष्टता और इतिहास है इसको तब तक बनाए रखा जाना चाहिए जब तक स्वयं जनता इसमें परिवर्तन न करना चाहे। ऐसा करते हुए हम भारतीय संघ में ही उस विशिष्टता को मान्यता देंगे और इसकी स्व-शासन चलाने का तंत्र देंगे जो संघीय सरकार का हिस्सा होगी। जहां तक भविष्य में किए जानेवाले परिवर्तनों का सम्बन्ध है, इनको स्वभावत: वहां की जनता से परामर्श और सहमति के बाद ही किया जाएगा।"

हमारे महान नेता, पंडित जवाहर लाल नेहरू की यह दूर दर्शिता थी। हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इस महान सदन में कई बार गोवा के लोगों को यह आवश्वासन दिया है कि भारत सरकार और यह महान सभा गोवा को राज्य का दर्जा देने पर अनुकूल दृष्टि विचार करेगी। गोवा में भाषा का मसला ही आड़े आ रहा था।

जैसा कि आप जानते हैं, गोवा की जनता ने अपनी विधान सभा के माध्यम से भाषायी मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। गोवा में कोंकणी सरकारी भाषा बन गयी है जब कि इस राज्य के गोवा जिले में मराठी भाषा का सरकारी कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। विधान सभा के इस बढ़िया निर्णय के साथ, गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ और स्थिति पैदा हुई।

शानदार अवसर पर, मैं इस सम्पूर्ण सभा की ओर से माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को धन्यवाद देता हूं जिनकी कृपा से गोवा की जनता को पूर्ण राज्य का दर्जा सम्भव हो सका है। गोवा देश का 25वां राज्य होगा।

जैसा कि आपको ज्ञात है गोवा में अपने सुन्दर दृश्यों के लिए अद्वितीय है। यहां के निवासी अपनी सुहृदयता के लिए सुविदित हैं। इस भू-भाग में सुन्दर दृश्यों के बीच अलग-अलग मौसम सुन्दरता को और बढ़ा देते हैं और वहां की दृश्यावली में मणि-आभा वाले : रंग-बिरंगे दृश्य बहुत शोभनीय है और यह हरियाली से भरपूर है, यहां पर शान्तिपूर्ण नदियों के मुहाने हैं और मुलायम चांदी सदृश रेत पर ल .रों की सुन्दर ध्वनि होती रहती हैं; यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हें सांस्कृतिक विरासत जो मिली है वह बहुत सम्पन्न हैं, यह सब हमारी मातृभूमि को और अधिक समृद्ध बनाने वाली मूल्यवान चीजे हैं।

मेरे माननीय साथी श्री एडुआर्डो फैलीरो ने गोवा को एक छोटा और सुन्दर···(**व्यवधान**)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने कब से पोयेट्री लिखनी शुरू कर दी है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : प्रो० दण्डवते जी ने कहा है कि गोवा के लोग सुन्दर हैं। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं कि गोवा के लोग स्नेहमय और महान हैं, और राज्य छोटा परन्तु सुन्दर है। ये गोवा की कुछ अद्वितीय विशिषताएं हैं। गोवा और इसकी जनता की सबसे विशिष्ट बात यह है कि हमारे देश के सभी प्रमुख धर्म वहां पर बड़े मेलजोल से रहते हैं और वहां पर कभी कोई सांप्रदायिक समस्या सामने नहीं आयी है यहां तक कि भाषायी मुद्दे को लेकर भी। इस मुद्दे पर अधिकतर भाषायी स्तर पर आंदोलन क्रिया गया न कि सांप्रदायिक स्तर पर। गोवा के ये लोग सांप्रदायिक मेल-जोल के वातावरण देश की एकता, दूसरे धर्मों के लिए प्यार और सहिष्णुता को निश्चित तौर पर बढ़ावा देंगे। हमारे सामाजिक जीवन में गोवा की जनता ने इन गुणों का प्रदर्शन किया है।

माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए हैं। श्री शांताराम नायक ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, जिन्हें दूसरे सदस्य ने भी उठाया। एक मुद्दा नये उच्च न्यायालय के नामकरण से सम्बन्धित प्रश्न का है। हमने इसका नाम वर्तमान बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को गोवा राज्य के क्षेत्रों और दमण एवं दीव तक बढ़ाने के उद्देश्य से बदला है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य प्रो० मधुदण्डवते जी ने और स्वयं माननीय प्रधानमन्त्री ने बम्बई उच्च न्यायालय के बारे अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि हम इसका विधि मन्त्रालय से परामर्श से इस पर विचार करेंगे। अगर इसका नाम यही रखा जा सकता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हमने ऐसा सिर्फ प्रशासनिक लक्ष्यों के लिए किया था क्योंकि वर्तमान उच्च न्यालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना था ·· (व्यवधान) सैद्धांतिक रूप से तो यह ठीक है परन्तु चूंकि यह कानूनी मामला है मैं इस पर विधि मन्त्रालय से पूछूंगा और यदि प्रक्रिया के दौरान हम यदि—सलाह प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं तो हम इसे अन्त में कर सकते हैं। परन्तु सैद्धांतिक रूप से हम वर्तमान नाम से सहमत हैं इसके पीछे कुछ इतिहास है।

प्रो० मधु दण्डवते : भविष्य में आपका विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी जांच कर लिया कीजिए।

सरदार बूटा सिंह : कानूनी विशेषताओं की आप किस तरह व्याख्या करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है लेकिन मैंने वायदा किया है कि मैं विधि मन्त्रालय से इसकी जांच करूंगा यदि मुमकिन हुआ तो, हम अदालत का नाम (बम्बई हाई कोर्ट) बम्बई उच्च न्यायालय ही रखने की कोशिश करेंगे।

मेरे मित्र श्री मनोरंजन भक्त जी अण्डमान और निकोबार में प्रशासनिक ढांचे की बात को राज्य का दर्जा दिए जाने से जोड़ रहे हैं। सदन को मालूम है कि हाल ही में हमने द्वीप विकास प्राधिकरण का गठन किया है उसके अध्यक्ष प्रधान मन्त्री जी स्वयं हैं। तथा इस प्राधिकरण की पहली बैठक हमने हाल ही में की थी। मेरे विचार से शायद यह ही एक मात्र लोग प्राधिकरण है जिसके चेयरमैन स्वयं माननीय प्रधान मन्त्री जी हैं तथा इन द्वीपों के विकास के बारे में अण्डमान तथा निकाबोर और लक्षद्वीप से आने वाले माननीय सदस्यों को कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार द्वीपों का विकास करने के लिए है तथा इन्हें हमारे राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए बहुत उत्सुक है। विधेयक के अन्य उपबन्ध···

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : क्रियान्वयन यहां के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रधान मन्त्री सिर्फ मार्गदर्शी सिद्धान्त बताते हैं।

सरदार बूटा सिंह : सम्पूर्ण देश में यहां तक कि पूर्ण राज्य में भी क्रियान्वयन का कार्य अधिकारी गण करते हैं। इस तरह से हमारा सम्पूर्ण संविधान बना हुआ है।

श्री शांताराम नायक ने दमन और द्वीव के बारे में एक और मुद्दा उठाया है कि गोवा में दमन और द्वीप विधान सभा के माननीय सदस्यगणों को दमन और द्वीप क्षेत्रों में उनका अपना-अपना दर्जा दिया जाए तथा उन्हें सलाहकार परिषद दी जाए। सरकार इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर रही है और हमने दमन और द्वीप को पहले ही एक पृथक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया है। हम सलाहकार परिषद बनाएंगे तथा ये सदस्यगण उस सलाहकार परिषद के सदस्य होंगे तथा इन क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जाएगी। हम दमन और द्वीव के विकास पर पूरा ध्यान देंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा ये कुछ मुद्दे उठाए गए थे। मुद्दे पूर्ण विश्वास है कि सभा के सभी सदस्य गोवा, दमन ओर दीव लोगों को इस बात के लिए बधाई देंगे कि उन्हें एक पूर्ण राज्य मिल रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के समक्ष पारित करने के लिए सिफारिश करता हूं।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : गृह मन्त्री जी ने जो कुछ कहा मैं उसके अलावा सिर्फ कुछ ही शब्द और कहूंगा। गोवा राज्य के इतिहास में आज एक नया मोड़ आया है। पहले गोवा पुर्तगाल के अधीन था, उससे वह मुक्त हुआ और आज हम यह विधेयक पारित कर रहे हैं जिससे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।

सर्वप्रथम मैं गोवा के लोगों को बधाई देता हूं। गोवा हमारे देश का अत्यन्त रमणीय स्थान है और वहां पर बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। उनके सामने जो मुश्किल और जटिल समस्याएं आयीं, उनका उन्होंने परिपक्वता से सामना किया। इन दिक्कतों से उबरने और जिस तरीके से उन लोगों ने इन दिक्कतों को दूर किया उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं तथा भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में मैं उनका स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड 2 से 8 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 9—(दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)

संशोधन किया गया

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 9 से 11, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करिए :—

दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

"9. सम्पूर्ण दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा जो दमन और दीव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा और नियत दिन के पश्चात्, यथा शीघ्र, उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए लोकसभा का निर्वाचन ऐसे किया जाएगा मानो उस निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो और ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 149 के उपबन्ध, यावत्शक्य लागू होंगे।" (3)

(सरदार बूटा सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 से 14 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड-15 (अनन्तिम विधान सभा का अध्यक्ष)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 15 से 17, के स्थान पर प्रतिस्थापित करिए :

अनन्तिम विधान सभा का अध्यक्ष

"15. वह व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पहले विद्यमान संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा का अध्यक्ष है, उस दिन से ही अनन्तिम विधान सभा का अध्यक्ष होगा। (4)

(सरदार बूटा सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 से 19 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 20 से 30। श्री शान्ताराम नायक, आप प्रस्ताव करना चाहते हैं···?

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक आप बोल नहीं सकते हैं। आप इसे अस्वीकृत करवाना चाहते हैं···?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 से 30 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 31 से 59 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 60—श्री शान्ताराम नायक—संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 60 से 72 और विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 60 से 72 विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, विधेयक पारित होने से पूर्व मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। इस शुभ अवसर पर मैं उस श्रद्धांजलि को दोहराना चाहता हूं जो पहले हमारे मित्रों ने पंडित नेहरू, श्री कृष्णा मेनन और अनेक व्यक्तियों को और उन सभी संसद सदस्यों को अर्पित की जिन्होंने उस समय उनका समर्थन किया इसके अतिरिक्त, मैं राम मनोहर लोहिया को विशेष रूप से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो बाद में इस सदन के सदस्य बन गए, जिन्होंने समस्त भारत से गोआ की जनता की स्वतन्त्रता के लिए तथा उस क्षेत्र को शेष भारत के साथ मिलाने के लिए आन्दोलन आरम्भ करने की अपील की। पुर्तगाली साम्राज्यवाद सबसे बुरा था और इसने हमारी जनता को धार्मिक और आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उत्पीड़ित किया और इसका श्रेय उन सैकड़ों लोगों को नहीं है अपितु समस्त भारत के उन सहस्रों स्वतन्त्रता सेनानियों को जाता है जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बंबई और उसके पश्चात महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमाओं पर भी गए और सबसे भयानक लाठी चार्ज का सामना किया और सभी तरह के अत्याचार सहे और इस प्रकार सरकार को वह कार्यवाही करने का मार्ग प्रशस्त किया जिसका महत्व श्री कृष्णा मेनन और समर्थन श्री जवाहर लाल नेहरू वीरता पूर्वक कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संविधान (सत्तावनवां) संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान सभा में मत विभाजन द्वारा होगा। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

मत-विभाजन संख्या 4 **1.25 म० प०**

पक्ष में

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन,
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अडईकलराज, श्री एल०
अतीन, श्री आर० धनुषकोडी
अदियोडी, डा० के० जी०
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अर्जुन सिंह, श्री
अरुणाचलम्, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
एन्टनी, श्री पी० ए०
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमला कुमारी, कुमारी
कल्पना देवी, डा० टी०
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
कुजूर, श्री मारिस
कुन्जम्बु, श्री के०
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलु, श्री पी०
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कोनयक, श्री चिंगबांग
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
खत्री, श्री निर्मल

खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री खुर्शीद आलम
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोरपडे, श्री एम० वाई०
घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई० के०
चिदम्बरम्, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री समर ब्रहम
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जय मोहन, श्री ए०

जाटव, श्री कमोदीलाल,
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवारथिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जैनुल बशर, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
टाइटलर, श्री जगदीश
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल
ढिल्लन, डा० जी० एस०
तपेश्वर सिंह, श्री
तम्बिदूराई, श्री एम०
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तुलसीराम, श्री वी०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दलवाई, श्री हुसैन

पाटिल, श्री प्रकाश बी०
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री शिवराज बी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पादेवी, कुमारी
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधान, श्री के० एन०
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बनर्जी, कुमारी ममता
बेलरामन, श्री एल०
बसवराजु, श्री जी० एस०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
बीरन्द्र सिंह, श्री
बूटा सिंह सरदार
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैरागी, श्री बालकवि
बैरो, श्री ए० ई० टी०
ब्रह्मदत्त, श्री
भण्डारी, श्रीमती डी० के०
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बी० आर०

भरत सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूपति, श्री जी०
भूमिज, श्री हरेन
भोये, श्री एस० एस०
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री आर० एस०
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल,
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री विजय कुमार
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मूरुगई, श्री ए० आर०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोदी, श्री विष्णु

यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के० एच०
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राजू, श्री विजय कुमार
राजेश्वरन, डा० वी०
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
राम धन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राम बहादुर सिंह, श्री
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह
राम, श्री आई रामा
राय, श्री राजकुमार
राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री श्रीहरि
रावणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री बैजावाड़ा पपी

रेड्डी, श्री सी० माधव
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेश, डा० वी०
वैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाहबुद्दीन, सैयद
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई०
शैलेश, डा० बी० एल०
संगमा, श्री पी० ए०
संतोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी० एम०
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री अतीशचन्द्र
सिंह, श्री एन० टोम्बी
सिंह, श्रीमती किशोरी

सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, सत्येन्द्र नारायण
सिद्नाल, श्री, एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सेठ, श्री अजीज
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोलानाथ
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोमू, श्री एन० बी० एन०
सोरन, श्री हरिहर
स्वामी, श्री डी० नारायण
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
षण्मुख, श्री पी०
हाल्दर, प्रो० एम० आर० (मथुरापुर)

विपक्ष में

कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम ** इस प्रकार है :

पक्ष में : 310
विपक्ष में : शून्य

**निम्नलिखित सदस्यों ने पक्ष में अपना मतदान किया :—

श्री चिरंजी लाल शर्मा, श्री एच० बी० पाटिल, श्री जी० जी० स्वैल, श्री राम सिंह यादव, श्री नटवर सिंह, श्रीमती मनेम्मा अंजैया, श्री अशोक चव्हाण, श्री डालचन्द्र जैन, श्री कटूरी नारायण स्वामी तथा श्री सी० सम्बु।

दलबीर सिंह, श्री
दलबीर सिंह, चौधरी
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे श्री भीष्म देव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवी प्रा० चन्द्र भानु
धारीवाल, श्री शांति
नटराजन, श्री के० आर०
नटवर सिंह, श्री के०
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नेगी, श्री चन्द मोहन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू० एच०
पटेल, श्री जी० आई०
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री मदन
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से दीर्घाएं पहले ही खाली हो गई हैं। अगर सदन सहमत हो तो हम आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

मत-विभाजन संख्या 5 **1.28 म० प०**

पक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अदियोडी, डा० के० जी०
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अर्जुन सिंह, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
एन्टनी, श्री पी० ए०
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमला कुमारी, कुमारी

कल्पना देवी, डा० टी०
कांबले, श्री अरबिन्द तुलसीराम
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुन्जम्बु, श्री के०
कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलु, श्री पी०
केन, श्री लालाराम
केयूर भूषण, श्री
कोनयक, श्री चिंगबांग
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
क्षीरसागर, श्रीमती केशर बाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री खुर्शीद आलम
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरधर
गोहिल, श्री जी० बी०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोरपड़े, श्री एम० वाई०

घोष, श्री एस० जी०
घोलप, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई० के०
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री समर ब्रह्म
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जाटव, श्री कमोदीलाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवारथिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री डाल चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
टाइटलर, श्री जगदीश
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल
ढिल्लन, डा० जी० एस०
तपेश्वर सिंह, श्री
तम्बिदूराई, श्री एम०
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तुलसीराम, श्री बी०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्रिपाठी डा० चन्द्र शेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दण्डवते, प्रो० मधु
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दलबीर सिंह, चौधरी
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री विपिनपाल
दास, श्री सुदर्शन
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवी प्रो. चन्द्र भानु
धारीवाल, श्री शांति
नटराजन, श्री के. आर.
नटवर सिंह, श्री के.

नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी. के.
नारायणन, श्री के. आर.
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
फकीर मोहम्मद, श्री ई. एस. एम.
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम.
पटेल, श्री यू. एच.
पटेल, श्री जी. आई.
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी. डी.
पनिका, श्री राम प्यारे
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री मदन
पायलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एच. बी.
पाटिल, श्री प्रकाश बी.
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री विजय एन.
पाटिल, श्री शिवराज बी.
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तन, श्री बक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे श्री शांताराम
प्रधान, श्री के० एन०

प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बनर्जी, कुमारी ममता
बलरामन, श्री एल०
बलराजु, श्री जी० एम०
बसराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बूटा सिंह, सरदार
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैरागी, श्री बालकवि
बैरो, श्री ए० ई० टी०
ब्रह्मदत्त, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बी० आर०
भरत सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूपति, श्री जी०
भूमिज, श्री हरेन
भोये, श्री एस० एस०
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मसुदल हुसैन श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री आर० एस०

माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री विजय कुमार
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मूरुगई, श्री ए० आर०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोदी, श्री विष्णु
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगराथ, श्री के० एच०
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राजू, श्री विजय कुमार
राजेश्वरन, डा० वी०

राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
राम धन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राम बहादुर सिंह, श्री
रामूयालिया, श्री बलवन्त सिंह
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री श्रीहरि
रावणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री बैजावाड़ा पपी
रेड्डी, श्री सी० माधव
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांयफा
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेश, डा० बी०
वैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाहबुद्दीन, सैयद
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई०
शैलेश, डा० बी० एल०
संगमा, श्री पी० ए०
सन्तोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी० एम०
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री अतीशचन्द्र
सिंह, श्री एन० टोम्बी
सिंह, श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण
सिद्नाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बूरमन, श्री ए. जी.
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री

सुल्तानपुरी श्री के. डी.
सेठ, श्री अजीज
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सोज, प्रो. सैफुद्दीन
सोमू, श्री एन. बी. एन.
सोरन, श्री हरिहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्वैल, श्री जी. जी.
षण्मुख, श्री पी.
हाल्दर, प्रो. एम. आर.

विपक्ष में

कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम ** इस प्रकार है :

पक्ष में : 313

विपक्ष में : शून्य

पूरी तरह से बाजी मार ली।

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1—(संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ)

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, "सत्तावनवां" के स्थान पर "छप्पनवां संशोधन" प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

(सरदार बूटा सिंह)

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

श्रीमती आबिदा अहमद, श्री नटवर सिंह सोलंकी, श्री दिग्विजय सिंह, श्री अशोक चव्हाण, श्रीमती डी० के० भंडारी, श्री अमल दत्त, श्री कटूरी नारायण स्वामी और श्री सी० सम्बु।

अध्यक्ष महोदय : अब, दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

मत-विभाजन संख्या 6 **1.30 म० प०**

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अदियोडी, डा० के० जी०
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बास, श्री के० जे०
अर्जुन सिंह, श्री
अरुणाचलम्, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री
एन्टनी, श्री पी० ए०
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमला कुमारी, कुमारी
कल्पना देवी, डा० टी०
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुन्जम्बु, श्री के०

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलु, श्री पी०
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कोनयक, श्री चिंगवांग
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री, एस०
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री खुर्शीद आलम
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोहिल, श्री जी० बी०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोरपडे, श्री एम० वाई०
घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम.

चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चह्वाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए.
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई. के.
चिदम्बरम्, श्री पी.
चिन्ता मोहन, डा.
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री समर ब्रह्म
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जय मोहन, श्री ए.
जाटव, श्री कमोदीलाल
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवारथिनम, श्री आर.
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री डाल चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन. पी.
टाइटलर, श्री जगदीश
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन.
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल
ढिल्लन, डा. जी. एस.
तपेश्वर सिंह, श्री
तम्बिदूराई, श्री एम.
तारादेवी, कुमारी डी. के.
तारिक अनवर, श्री

तिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
तुलसीराम, श्री वी.
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्रिपाठी, डा. चन्द्र शेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा
थामस, प्रो. के. वी.
थुंगन, श्री पी. के.
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दण्डवते, प्रो. मधु
दत्त, श्री अमल
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दलबीर सिंह, चौधरी
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री बिपिनपाल
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवी, प्रो. चन्द्र भानु
धारीवाल, श्री शांति
नटराजन, श्री के. आर.
नटवर सिंह, श्री के.
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी. के.
नारायणन, श्री के. आर.
नेगी, श्री चन्द मोहन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द

पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई. एस. एम.
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम.
पटेल, श्री यू. एच.
पटेल, श्री जी. आई.
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी. डी.
पनिका, श्री राम प्यारे
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री मदन
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एच. बी.
पाटिल, श्री प्रकाश बी.
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री विजय एन.
पाटिल, श्री शिवराज बी.
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तम, श्री बक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पुरूमान, डा० पी० बल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधान, श्री के. एन.
प्रधानी, श्री के.
प्रभु, श्री आर.
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बनर्जी, कुमारी ममता
बलरामन, श्री एल.

बसवराजु, श्री जी. एस.
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा० राजेन्द्रकुमारी
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
वीरेन्द्र सिंह, श्री
बूटासिंह, सरदार
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैरागी, श्री बालकवि
बैरो, श्री ए. ई. टी.
भण्डारी, श्रीमती डी. के.
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच. के. एल.
भगत, श्री बी. आर.
भरतसिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भुपति, श्री जी.
भूमिज, श्री हरेन
भोये, श्री एस. एस.
भोसले, श्री प्रतापराव बी.
मकवान, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मसुदल हुसैन श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई. एस.
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री आर. एस.
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल,
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त

मिश्र, श्री जी. एस.
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री विजय कुमार
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा. प्रभात कुमार
मीराकुमार, श्रीमती
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मूरुगई, श्री ए. आर.
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोदी, श्री विष्णु
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी. पी.
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के. एच.
रंगा, प्रो० एन. जी.
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राजेश्वरन, डा. वी.
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
रामधन, श्री

रामपाल सिंह, श्री
रामप्रकाश, चौधरी
रामबहादुर सिंह, श्री
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह
राय, श्री राजकुमार
राव, श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर
राव, श्री के. एस.
राव, श्री जे. चोक्का
राव, श्री जे. वेंगल
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राव, श्री श्रीहरि
रेड्डी, श्री बैंजावाड़ा पपी
रेड्डी, श्री सी. माधव
लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरसेन, श्री
वैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी.
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाहबुद्दीन, सैयद
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगड़ा, श्री डी. बी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री अलीम आई.
शैलेश, डा. बी. एल.

संगमा, श्री पी. ए.
सन्तोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी. एम.
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
साहा, श्री गदाधार
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद
सिंगरावडीवेल, श्री एस.
सिंह, श्री अतीशचन्द्र
सिंह, श्री एन. टोम्बी
सिंह, श्रीमती किशोरी
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, सत्येन्द्र नारायण
सिद्दीक, श्री हाफिज मौहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन.
सुन्दरराजन, श्री एन.
सुब्बूरमन, श्री. ए. जी
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के. डी.
सेट, श्री अजीज
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेन, श्री भोलानाथ
सोज, प्रो. सैफुद्दीन
सोमू, श्री एन. वी. एन.
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री नटवर सिंह
स्वामी, श्री डी. नारायण
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री

स्वैल, श्री जी. जी.
षण्मुख, श्री पी.

विपक्ष में

कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम ** इस प्रकार है :

पक्ष में : 311
विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

सरदार बूटा सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या 7 **1.33 म० प०**

पक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अख्तर हसन, श्री
अग्रवाल श्री जयप्रकाश

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :—

श्री आई० रामाराव, श्री पी० सी० सेठी, प्रोफेसर एम० आर० हाल्दर, श्री कटूरी नारायण स्वामी, श्री सी० सम्बु और डा० वी० वेंकटेश।

अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी
अदियोडी, डा० के० जी०
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अर्जुन सिंह, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अहमद, श्रीमती आबिदा
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भगवत झा
आनन्द सिंह, श्री
एन्टनी, श्री पी० ए०
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयार, श्री चनैया
कमला कुमारी, कुमारी
कल्पना देवी, डा० टी०
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुन्जम्बु, श्री के०
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलु, श्री पी०
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कोनयक, श्री चिंगबांग
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण कुमार, श्री एस०
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री खुर्शीद आलम
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
गुहा, डा० फूलरेणु
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोहिल, श्री जी० बी०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोखडे, श्री एम० वाई०
घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्राकर, श्री चन्द्र लाल
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई० के०
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री समर ब्रह्म
चौधरी, श्री सैफुद्दीन

जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जाटव, श्री कमोदीलाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जोवारथिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री डाल चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
टाइटलर, श्री जगदीश
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
डामर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डोण गांवकर, श्री साहब राव पाटिल
ढिल्लन, डा० जी० एस०
तपेश्वर, सिंह, श्री
तम्बिदूराई, श्री एम०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तुलसीराम, श्री वी०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दलवाई, श्री हुसैन

दलबीर सिंह, श्री
दलबीर सिंह, चौधरी
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री विपिनपाल
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवी, प्रो० चन्द्र भानु
धारीवाल, श्री शान्ति
नटराजन, श्री के० आर०
नटवर सिंह, श्री के०
नायक, श्री शान्ताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू० एच०
पटेल, श्री जी० आई०
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री मदन
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री एच० बी०

पाटिल, श्री प्रकाश बी०

पाटिल, श्री बालासाहेब विखे

पाटिल, श्री विजय एन०

पाटिल, श्री शिवराज बी०

पाठक, श्री चन्द्र किशोर

पाणीग्रह, श्री श्रीबल्लभ

पारधी, श्री केशवराव

पासवान, श्री राम भगत

पुजारी, श्री जनार्दन

पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम

पुरोहित, श्री बनवारी लाल

पुष्पा देवी, कुमारी

पेरूमान, डा० पी० वल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रधान, श्री के० एन०

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

बनर्जी, कुमारी ममता

बलरामन, श्री एल०

बसवराजु, श्री जी० एस०

बाजपेयी, डा० राजेन्द्रकुमारी

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

वीरेन्द्रसिंह, श्री

बूटासिंह सरदार

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैरागी, श्री बालकवि

बैरो, श्री ए० ई० टी०

भण्डारी, श्रीमती डी० के०

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री एच० के० एल०

भगत, श्री बी० आर०

भरतसिंह, श्री

भारद्वाज, श्री परसराम
भूपति, श्री जी०
भूमिज, श्री हरेन
भोये, श्री एस० एस०
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मसुदल हुसैन श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री बाई० एस०
महावीर प्रसाद, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माधुरीसिंह, श्रीमती
मानवेन्द्रसिंह, श्री
माने, श्री आर० एस०
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री विजय कुमार
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मीराकुमार, श्रीमती
मुखापाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुत्तेमबार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मूरुगई, श्री ए० आर०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोदी, श्री विष्णु
यादव, श्री कैलाश

यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महाबीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के० एच०
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राजू, श्री विजय कुमार
राजेश्वरन, डा० वी०
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम समुझावन, श्री
रामधन, श्री
रामपालसिंह, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राम बहादुर सिंह, श्री
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री श्रीहरि
रेड्डी, श्री बेंजावाड़ा पपी
रेड्डी, श्री सी० माधव

लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री वांगफा
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरसेन, श्री
वेंकटेश, डा० वी०
बैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाहबुद्दीन, सैयद
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शेरवानी, श्री सलीम आई०
शैलेश, डा० बी० एल०
संगमा, श्री पी. ए.
संतोष कुमार सिंह, श्री
सईद, श्री पी. एम.
सकरगयम, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिव प्रसाद
सिगरावडीवेल, श्री एस.
सिंह, श्री अतीशचन्द्र
सिंह, श्री एन. टोम्बी
सिंह, श्रीमती किशोरी

सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, सत्येन्द्र नारायण
सिनाल, श्री एस. बी.
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन.
सुन्दरराजन, श्री एन.
सुब्बूरमन, श्री ए. जी.
सुमन, श्री रामप्यारे
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के. डी.
सेट, श्री अजीज
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सोज, प्रो. सैफुद्दीन
सोमू, श्री एन. बी. एन.
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री नटवर सिंह
स्वामी, श्री डी. नारायण
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्वैल, श्री जी. जी.
षण्मुख, श्री पी.
हाल्दर, प्रो. एम. आर.

शून्य

कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम ** इस प्रकार है :

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत पक्ष में दर्ज कराये :—

श्रीमती बसवराजेश्वरी, श्री अशोक चव्हाण तथा कुमारी डी० के० तारा देवी

पक्ष में　:　315

विपक्ष में　:　शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा मतदान करने वाले उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ। विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.33 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.35 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———————

2.40 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.40 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अरुणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि पूर्व संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की विधान सभा के 3 मनोनीत सदस्यों को भी अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 की धारा 11 के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश की अस्थायी विधान सभा के सदस्यों में सम्मिलित किया जाये।

अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के लागू होने के साथ अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी, 1987 से भारत संघ का 24 वां राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत, संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य अस्थायी विधान-सभा के सदस्य होंगे। उस अधिनियम में यह उपबंध था। संघ राज्य विधान मंडल के तीन मनोनीत सदस्यों को यद्यपि राज्य की अस्थायी विधान सभा के सदस्यों में सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर भी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश के माननीय सांसदों ने तीन मनोनीत सदस्यों को अस्थायी विधान सभा में बने रहने के लिए इस आधार पर हमें निवेदन किया था कि ये तीनों मनोनीत सदस्य राज्य के सबसे पिछड़ी जनजातियों के हैं। चूंकि ये सदस्य अब अरुणाचल प्रदेश नये राज्य की अस्थायी विधान सभा के सदस्य नहीं हैं इसलिए पिछड़ी जनजातियों के लोगों में बहुत असंतोष है। उन्होंने निवेदन किया है कि अस्थायी विधान सभा में निर्वाचत सदस्यों के साथ मनोनीत सदस्यों की सदस्यता भी जारी रखी जाये! विधेयक अस्थायी बिधानसभा में इन तीन मनोनीत सदस्यों

[सरदार बूटा सिंह]

की सदस्यता को जारी रखने के लिए है। अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत एक स्पष्टीकरण उपबंध भी सम्मिलित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के निर्वाचित सदस्य अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य माने जायेंगे।

अधिनियम में संशोधन करने से उन पिछड़ी जनजातियों में असंतोष दूर हो जायेगा जिनसे मनोनीत सदस्य सम्बन्ध रखते हैं। इस संशोधन के जरिये तीन मनोनीत सदस्य अस्थायी विधानसभा में पिछड़े वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सभा से इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अरुणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक हमारे गोआ राज्य विधेयक को पारित करने के बाद आया है, मेरे विचार से यह उचित होगा कि मैं कुछ शब्द गोआ के लोगों को बधाई देने के लिए कहूं। गोआ राज्य, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश का एक सुन्दर और विशिष्ट हिस्सा है, और देश के प्रति उनका सहयोग उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता और बहुत से नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता, परन्तु हमें मालूम है, उदाहरण के तौर पर, कि आज के पंजाब की सभी समस्याओं पर नियंत्रण एक ऐसे व्यक्ति पर केन्द्रित हैं, जोकि गोआ निवासी हैं अथवा गोआ मूल का व्यक्ति है। इससे इन लोगों द्वारा संपूर्ण भारत को दिये गये सहयोग का पता चलता है जो कि हमारे देश का अंग हैं।

अब अरुणाचल प्रदेश विधेयक पर आते हुए, जैसे कि गृह मंत्री ने कहा है, यह एक साधारण विधेयक है क्योंकि हमारे अरुणाचल विधेयक को पारित करते समय जो त्रुटि पता नहीं लग पायी थी, आज अरुणाचल विधानसभा के तीन मनोनीत सदस्यों को अस्थायी विधानसभा में जारी रहने की अनुमति देकर ठीक किया जाना है! परन्तु, महोदय, इस साधारण होने के पीछे, मैं जिस जल्दबाजी, अपर्याप्त ज्ञान तथा अनाड़ीपन से अरुणाचल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी अन्य क्षेत्र के मामलों पर यहां कार्य किया जाता है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं गृह मंत्री या सरकार के अच्छे इरादों पर सन्देह नहीं कर रहा हू लेकिन उनके पास समस्या को समझने की कोशिश करने के लिए समय नहीं है। यह एक थोड़ी आश्चर्य की बात है कि जब आपने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया तब यह मामला आप के ध्यान में नहीं आया और इसके एकदम बाद ही आपने एक संशोधन विधेयक को लाना आवश्यक समझा जो कि मैं समझता हू ठीक और उचित है तथा इसे हम समर्थन देंगे।

यह कहने के उपरान्त पहला सवाल यह उठता है कि क्या नामंकन के सिद्धान्त को बरकरार रखा जाए। यहां हमारे सलन में नामंकन किया जाता है ये नामांकन जोकि हम कुछ विशेष लिहाज के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय को देते हैं—वे हमारे देश, हमारे लोगों के अभिन्न अंग हैं लेकिन वे सारे देश में इस तरह से बिखरे हुए हैं कि एंग्लों इंडियन समुदाय के किसी भी सदस्य के लिए किसी भी निर्वाचित क्षेत्र विशेष से अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करना सम्भव नहीं है और यही वजह है कि

हमने संविधान में इस तरीके का सहारा लिया। इसी तरह के सिद्धांत का अनुसरण अरुणाचल में करना पड़ा। उस राज्य के तीन सबसे अधिक पिछड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन मनोनीत सदस्य हैं यदि उन्हें मनोनीत न किया जाता तो उन्हें राज्य विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का और सुने जाने का कोई मौका न मिलता। जहां तक मुझे जानकारी है वे हैं पांगी जनजाति जिसके केवल 4000 लोग हैं सुलोंग जनजाति जिसके केवल 5000 लोग हैं तथा हिलस मीरी जनजाति जिसके लगभग 7000 लोग हैं। ये खानाबदोश लोग हैं। मैं कहूंगा कि ये वे लोग हैं जो अभी तक भोजन की तलाश करने वालों की और शिकारियों की अवस्था में हैं। ऐसे लोग हैं जिनका कोई विशेष धन्धा नहीं है तथा जो कहीं भी नहीं बस पाये हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल वनों से भोजन एकत्र करने या वन में जन्तुओं का शिकार करने के लिए फिरते रहते हैं, कभी कभार उन्हें कार्य मिल जाता है तथा उन्हें कुछ अमीर लोगों के यहां उनकी भूमि पर बन्धुवा मजदूरों के रूपों में कार्य करना होता है, जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है उन्हें निकाल दिया जाता है और बाद में उन्हें फिर बुला लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति है, और वे सारे राज्य में फैले हुए हैं। यह ठीक ही है कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिले और इन लोगों की बात सुनी जाये।

परन्तु मैं गृह मन्त्री का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूंगा। आप कितने समय तक ऐसे करते रहेंगे। कब तक आपका इस प्रकार की नामांकन पद्धति को चलाते रहने का विचार है और कब तक इसी तरह की बातें करते रहेंगे? क्या अरुणाचल में इस प्रकार की व्यवस्था करना अधिक उचित, अधिक संवैधानिक नहीं है कि समाज में प्रत्येक वर्ग को सामान्य लोकतान्त्रिक प्रणाली में प्रतिनिधित्व का मौका मिले? महोदय, मैं गृह मन्त्री को याद दिलाना चाहूंगा कि अरुणाचल विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि अरुणाचल राज्य विधान सभा में केवल 40 सदस्यों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और यह हमारे देश के उस भाग के प्रति न्यायोचित नहीं है···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं समझता हूं कि 40 की संख्या से गलतफहमी हो सकती है।

श्री जी० जी० स्वैल : ठीक है, यह 420 तो नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं 'अलीबाबा' का जिक्र कर रहा था···

श्री जी० जी० स्वैल : अलीबाबा के अनुसार, ठीक है। (**व्यवधान**)

मैं इस बात को दोहराता हूं कि अरुणाचल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 84000 वर्ग मील है; यह असम से बड़ा है; यह लगभग असम तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के बराबर बड़ा है। इतना बड़ा होने के साथ-साथ यह, बर्फीली चोटियों से लेकर जहां लगभग उत्तर ध्रुवीय जलवयु है, निचली पहाड़ियों तक जहां भूमध्यसागरीय और यूरोपीय जलवायु है और नीचे तराई क्षेत्र तक, जहां उष्णकटिबन्धीय जलवायु है फैला हुआ है। एक विशाल और रंग बिरंगा क्षेत्र है। यह एक विशाल क्षेत्र है अरुणाचल के विभिन्न भागों से इस नगर तक आने में लोगों को कठिनाई होती है और लोगों की भाषा या जनजातीय सम्बन्धों में भिन्नता है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि पांगी, सोलुन्ग और हिल मिरिस जैसे लोगों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, आप इतना तो कर सकते हैं कि विधान सभा में स्थानों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दें, जोकि संविधान के मुताबिक भी न्यूनतम संख्या है। आपका यह कहना असंवैधानिक है, असंगत है क्योंकि संविधान के एक भाग में कहा गया है कि सदस्य संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए और फिर भी आप कहते है कि कहीं सदस्यों की संख्या 40 से अधिक नहीं होनी

[श्री जी० जी० स्वैल]

चाहिए। आपने यह मिजोरम के मामले में किया है। अतः मैं अपील करूंगा कि आप इन विसंगतियों को दूर करें। इसे इस समय दूर करें या बाद में एक अन्य विधेयक पेश करके करें जिसमें आप अरुणाचल के लोगों को 60 स्थान दें, और निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह विभाजित करें कि आरक्षित स्थानों को कुछ महत्व मिले। अरुणाचल प्रदेश में भी पागी, सोलुंगस और हिल मीरीस जैसे अत्यधिक पिछड़े लोगों के लिए विधान सभा में कुछ स्थानों को आरक्षित घोषित करना आपके लिए आवश्यक हो सकता है।

केवल तभी आप इन लोगों को भारत का, इस राज्य का अंग होने की भावना का अहसास दिला पायेंगे। मेरा गृह मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इस विषय पर अत्यधिक गम्भीरता से विचार करें तथा एक व्यापक विधेयक पेश करें तथा इन सभी असंगतियों को दूर करें।

महोदय, अन्त में हमें अरुणाचल प्रदेश पर विशेष मामले के रूप में चर्चा करनी चाहिए। आज यह भारत का सीमावर्ती राज्य है, जिसकी सीमाएं चीन के साथ लगी हुई हैं, जहां आज भी वांगडांग और सुन्दरानचुंग घाटी के भागों में आज भी चीन के लोग रह रहे हैं। यह आवश्यक है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग यह महसूस करें कि वे भी भारत के विशेष अंग हैं। अतः आपको बारीकियों पर नहीं जाना चाहिए अपितु उस राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश की जनता के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे उन्हें संतोष हो।

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, सर्वप्रथम, मैं प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री जी को यह संशोधन लाने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं तीन विधायकों, अरुणाचल प्रदेश के निर्वाचित विधायक तथा हमारे मुख्य मन्त्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं जिनकी सिफारिश से यह संशोधन रखा गया है। किन्तु यदि यह विधेयक न लाया जाता तो हमारे तीन नाम-निर्देशित विधायकों को, जो अरुणाचल प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभा में अपना स्थान छोड़ना पड़ता। यही कारण है कि अपने विधायकों तथा तीनों जनजातियों की ओर से मैं प्रधान मन्त्री जी तथा गृह मन्त्री जी को यह संशोधन लाने के लिए धन्यवाद करता हूं।

यह संशोधन माननीय प्रधान मन्त्री जी द्वारा पांच महीने पहले इस सभा में अरुणाचल प्रदेश की जनता को दिए गए आश्वासन का समर्थन करता है जबकि हम अरुणाचल राज्य के मुख्य विधेयक पर चर्चा कर रहे थे। केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह के संशोधन से तथा केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार के शुभ लक्षणों से निश्चय ही इस प्रदेश की जनता को आश्वासन मिलता रहेगा तथा लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा तथा लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी जो इस संकट की घड़ी में बहुत जरूरी है, चीन ने अरुणाचल राज्य में घुसपैठ की है और चीन के लोग कई तरह से अरुणाचल राज्य की देशभक्त जनता को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे है। यही कारण है कि यह भारत तथा केन्द्र सरकार के लिए अच्छा संकेत है कि वे अरुणाचल राज्य की जनता को प्रोत्साहित करें तथा अरुणाचल प्रदेश के विकास तथा देश की एकता और अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष को आगे ले जाएं।

यदि गृह मन्त्री ने तीन और संशोधन रखे होते, जैसाकि मैंने उन्हें इस माननीय सभा में दिसम्बर माह में अरुणाचल प्रदेश से राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में मुख्य विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान अनुरोध किया था, तो मुझे बहुत खुशी होती। किन्तु मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि ऐसा लगता है मन्त्री महोदय ने मेरे उस अनुरोध को नजरअन्दाज कर दिया है। उन्हें याद होगा कि इस सत्र के शुरू

में भी मैंने इस बारे में कहा था और व्यक्तिगत रूप से उनसे यह कहने के लिए 4-5 बार भेंट भी की थी कि उन संशोधनों को भी पेश किया जाए। देर आयद दुरुस्त आयद। मैं निराश नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे आशा है कि माननीय गृह मन्त्री जी अगले सत्र में उन तीनों संशोधनों को पेश करने की कोशिश करेंगे।

वे तीन संशोधन इस प्रकार हैं सर्वप्रथम, अरुणाचल प्रदेश के आकार और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 40 सीटों की बजाय 60 सीटें देना। इस संशोधन से स्पष्ट है कि अधिक विधायक निर्वाचित करके जनता का प्रतिनिधित्व करना कितना जरूरी है। दूसरा संशोधन, जिसे मैं संवैधानिक मानता हूं, अरुणाचल प्रदेश की जनता को भूमि, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को संरक्षण देने के बारे में है। इन संशोधनों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने तथा जैसाकि मैंने कहा हमारी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में समय लगेगा।

यदि आप अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची पर नजर डालें तो देखेंगे कि ऐसी कुछ असंगतियां है जिन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारी कुछ जनजातियों के नाम के सामने कुछ बड़े अपमानजनक नाम रखे गए हैं। आदीज को आबोर कहा जाता है। निशियों को डाफला कहा जाता है और हमारे तिराप जिले को सभी जनजातियों को नागा जनजातियां कहा जाता है। इन असंगतियों को दूर किया जाना चाहिए ताकि हमारे देश की जनता की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी० के० थुंगन : चूंकि आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह अपना वायदा पूरा करें तथा अगले सत्र में उन तीन संशोधनों को भी पेश करें।

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अपनी आरम्भिक टिप्पणियों में इस बात का उल्लेख किया था कि वर्तमान उपबन्ध केवल एक समर्थकारी उपबन्ध है जिससे वे तीनों सदस्य जोकि भूतपूर्व अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में नामनिर्दिष्ट हुए थे अरुणाचल प्रदेश के नए राज्य की विधान सभा के सदस्य बने रहेंगे।

जैसाकि श्री स्वैल ने कहा है, वे अरुणाचल प्रदेश की अत्यन्त पिछड़ी जनजातियों से सम्बद्ध हैं। यह उपबन्ध करके यह सभा उन तीनों जनजातियों अर्थात हिल (पर्वती) मीरी, सुलंगों और पंगियों को प्रतिनिधित्व देकर पूरी तरह उचित कार्य ही करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मुद्दा यह है कि पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया। मूल विधेयक में इसे क्यों नही सम्मिलित किया गया था ?

3.00 म० प०

सरदार बूटा सिंह : उस समय इसमें केवल निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था की गई थी किन्तु अब इस उपबन्ध से उस कमी को पूरा किया जाएगा और नामनिर्दिष्ट सदस्य पूर्ण विधान सभा के सदस्य होंगे।

श्री थुंगन ने दो बातें और कही हैं। जहां तक जनजातियों के पारम्परिक अधिकारों तथा धार्मिक

[सरदार बूटा सिंह]

समारोहों की रक्षा का सम्बन्ध है मेरे विचार में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि श्री थुंगन ने जिन बातों का उल्लेख किया है उनमें से अधिकांश राज्य विधान सभा के कार्यक्षेत्र में आती हैं। राज्य विधान सभा इन कानूनों को पारित करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। यदि श्री थुंगन इसे संसद द्वारा पारित कराना उचित समझते हैं तो हम कानून पारित कर सकते हैं और वे उपबन्ध अरुणाचल प्रदेश को दे देंगे। मैं श्री थुंगन को बता दूं कि यदि राज्य विधान सभा इसे पारित नहीं करती, तो किसी उचित समय पर इन कानूनों को हम पारित करेंगे और अरुणाचल प्रदेश की जनता को संतुष्टि का अनुभव कराएंगे।

जहां तक संख्या को चालीस से बढ़ाकर साठ करने का सम्बन्ध है चूंकि चुनाव 1988-89 में होने हैं तो चुनावों से पूर्व किसी उचित समय पर इस उपबन्ध पर भी विचार किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं यह सिफारिश करता हूं कि यह सभा इस विधेयक को पारित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सरदार बूटा सिंह : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.04 म० प०

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री एम० अरुणाचलम द्वारा 8 मई, 1987 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात :—

"कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

श्री सी० जंगा रेड्डी भाषण दे सकते हैं।

***श्री सी० जंगा रेड्डी** (इनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कांग्रेसी लोगों के लिए पुनर्वास केन्द्र है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो सत्ता से बाहर कांग्रेसी लोगों को रोजगार प्रदान करता है। महोदय, विभिन्न संगठनों जैसे हैदराबाद खादी बोर्ड, भाग्यनगर खादी बोर्ड, वारंगल खादी बोर्ड और मेह पल्ली खादी बोर्ड इत्यादि की स्थापना करके कांग्रेसी लोग इस बोर्ड का उपयोग अपने निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। नाम चाहे कुछ भी रखा जाए, सच्चाई यह है कि कांग्रेसियों को पैसा कमाने का अवसर देने के लिए विभिन्न खादी बोर्ड बनाए जा रहे हैं। एक ऐसे खादी बोर्ड में एक कैबिनेट स्तर के मन्त्री, अध्यक्ष थे और उस बोर्ड में 12 लाख रुपए गबन किया गया था। अभी तक इस मामले की कोई भी जांच नहीं की गई है। इस प्रकार खादी बोर्ड कांग्रेस का पर्याय बन गया है। यहां तक कि गांवों में अब भी लोग यह सोचते हैं कि खादी बोर्ड कांग्रेस द्वारा चलाया जाता है और कि यह एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से कांग्रेसी लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। महोदय, इसलिए लोगों के दिमाग से इस धारणा को हटाने का ठीक समय आ गया है। अब तक, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का उत्पादन सिर्फ खादी वस्त्रों तक सीमित था। अब, विभिन्न लघु और कुटीर उद्योगों को लगाकर तथा प्रोत्साहन देकर आयोग के क्षेत्र को बढ़ाना है। निस्संदेह, छोटे व्यवसाय से सम्बन्धित लोगों जैसे मोची, बढ़ई और कुम्हार इत्यादि को ऋण दिए जा रहे हैं। हमने सोचा था कि इन धन्धों में लगे हुए लोगों की आर्थिक सहायता करके महात्मा गांधी के स्वप्नों को साकार किया जाएगा। हमने सोचा था कि गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे और एक बार फिर वहां पर चहल-पहल हो जाएगी। परन्तु यह आशा भ्रम बनकर रह गई। क्योंकि असलियत में इन गरीब ग्रामीणों तक लाभ नहीं पहुंचा। इसकी बजाय, सिर्फ कांग्रेसियों को ही इससे लाभ हुआ है। मैं इस अवसर पर आपसे अनुरोध करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में खादी बोर्ड की गतिविधियों की एक जांच करवाई जाए। ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं। परन्तु इन ऋणों का भुगतान सिर्फ कागजों में होता है। विभिन्न संगठन और सोसाइटी बनाए जा रहे हैं। दियासलाई निर्माताओं, मोचियों इत्यादि की कई ऐसी सोसायटियों का गठन दिन-प्रतिदिन हो रहा है। एक सोसाइटी का निर्माण करने और सभी फायदों का उपयोग करने के लिए सिर्फ 11 सदस्यों को इकट्ठा होने की जरूरत है और इस तरह वे पैसा कमा रहे हैं। इस तरह से आन्ध्र प्रदेश में करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की गतिविधियों की पूरी जांच की जाए। भूतपूर्व कैबिनेट मन्त्री और वर्तमान कैबिनेट मन्त्री इस मामले में शामिल हैं। उनके विरुद्ध कार्यवाही करने वाला कोई भी नहीं है। आरम्भ में यह एक संगठन था, फिर दो संगठन हो गए और बाद में ये कई संगठन हो गए। इन संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उनको नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनको विभिन्न तरह की तकलीफें उठानी पड़ती हैं। इसलिए, खादी बोर्ड के सम्पूर्ण कार्यकरण की पूरी तरह समीक्षा की जानी चाहिए। इन बातों का पता लगाया जाना चाहिए कि इन संगठनों द्वारा कितने लोगों को लाभ दिया गया, मोचियों, कुम्हारों तथा दूसरे लोगों को कितना ऋण दिया गया है। आजकल

*मूलत: तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी. जंगा रेड्डी]

सोसाइटियों को लाखों रुपये दिए जा रहे हैं जिनका गठन सिर्फ ऋण प्राप्त करने के लिए । । सदस्यों से कर लिया जाता है । चार से छह प्रतिशत की ब्याज दर पर लाखों रुपये ऋण के रूप में दिए जा रहे हैं । परन्तु एक साधारण आदमी को इससे कोई भी लाभ नहीं हो रहा है । इसलिए सम्पूर्ण मामले की जांच की जानी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि ऋण से गरीबों को सहायता देने का वास्तविक मकसद पूरा हो । ऋण के रूप में दिए गए लाखों रुपये गरीबों तथा जरूरतमन्द लोगों को नहीं मिल पाते हैं । इसलिए, इन बोर्ड अथवा सोसायटियों की इन गतिविधियों की पूरी तरह समीक्षा की जानी चाहिए ।

गैर-सरकारी निदेशकों की सहायता से कुछ लोग खादी बोर्ड के असली स्वरूप को ही बदलने का प्रयास कर रहे हैं । चाहे यह भाग्य नगर खादी बोर्ड अथवा मेट्टूपल्ली खादी बोर्ड हो । चाहे यह आन्ध्र प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश में हो, स्थिति हर जगह एक समान है । अगर सरकार, देश में खादी बोर्डों की कार्यकरण की समीक्षा करे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यद्यपि आजादी के बाद काफी निवेश किया गया है परन्तु इसे कोई खास सफलता नहीं मिल सकी । कृपया अपने कार्य निष्पादन की समीक्षा एक बार फिर कीजिए । आपने कितना धन व्यय किया है ? कितने लोगों को रोजगार दिया गया ? कितने लोगों को ऋण दिया गया । महोदय, विभिन्न संगठन, सरकार से सिर्फ ऋण तथा अनुदान प्राप्त करने के लिए बनाये जा रहे हैं । ये संगठन सरकार से प्राप्त इस धन को गरीबों के बीच नहीं बांट रहे हैं । इस गलत कार्य में काफी कांग्रेसी लोग शामिल हैं । अब तक कोई भी जांच नहीं की गई है । स्थिति को सही करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है । अधिक से अधिक बोर्डों की स्थापना करने का क्या फायदा है । ऐसे बोर्डों की स्थापना कुछ ऐसे कांग्रेसी लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्होंने अपना पद खो दिया है । अन्यथा इसका कोई भी फायदा नहीं है । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि गरीबों को रोजगार देने में इसको कहां तक सफलता मिली है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हस्त शिल्पों में लगे कितने लोगों को रोजगार दिया गया है । लेपाक्षी आन्ध्र प्रदेश में स्थित है । निर्मल नामक स्थान चित्रकला, काष्ठकला और हस्तशिल्प के लिए विख्यात है । विदेशी बाजार में इनकी बहुत अधिक मांग है । लकड़ी तथा पीतल की वस्तुएं हर जगह लोकप्रिय हैं । इन हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या आपने कोई प्रयास किए हैं । विदेशी बाजार में हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या आपने अब तक कोई प्रयास किया है ? आपने अब तक कितनी विदेशी मुद्रा कमाई है ? कई माननीय सदस्यों ने पहले से ही यह कहा है कि खादी तथा ग्रामोद्योग रोजगार के अवसर पैदा करता है महोदय, खादी और ग्रामोद्योगों का शानदार इतिहास है । स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने विदेशी प्रभुत्व और निर्भरता के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी । विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ लड़ाई के ये मुख्य साधन थे । दुर्भाग्यवश, आजकल, ये ही संस्थायें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं । आजकल इन संस्थाओं में धन का गबन किया जाता है । अब इसको खत्म किया जाना चाहिए । ग्रामोद्योग में लगे सभी लोगों को सहायता दी जानी चाहिए । ग्रामोद्योग में लगे लोगों को उनके व्यापार की आवश्यकता के मुताबिक कम से कम 50 से 75 प्रतिशत आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इससे इन लोगों को रोजगार में मदद मिलगी । परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं । कुछ औजारों की खरीद में मदद करके आप उनको आत्मनिर्भर नहीं बना सकते । उनको आत्म-निर्भर बनाने के लिए, सहायता देने का आपका क्या प्रस्ताव है ? आजकल, एक कुम्हार अथवा एक मोची को 500 रुपये सहायता के रूप में मिलते हैं । परन्तु क्या यह धनराशि पर्याप्त है ? यह बहुत कठिन कार्य

है। यह काम सीधे सरकार को स्वयं करना चाहिए। यह इतना विशाल कार्य है कि इसे स्वयंसेवी संस्थाएं नहीं कर सकती। महोदय, विभिन्न संस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता है। यह 500 रुपये की थोड़ी-सी धनराशि पर्याप्त नहीं है। खादी तथा ग्रामोद्योग के उत्पादों को खरीदने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। पहले सरकार को सभी आवश्यक सामान और यन्त्र देने चाहिए और बाद में उत्पादों की खरीद करनी चाहिए। उनकी सहाता करने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप बाटा ब्रांड के जूतों का इस्तेमाल करते हैं तो गांव में एक मोची द्वारा निर्मित जूतों का इस्तेमाल कौन करेगा। अगर आप इस्पात का का फर्नीचर खरीदते हैं तो लकड़ी का फर्नीचर कौन खरीदेगा ? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यह देखना हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। बड़े उद्योगों द्वारा इसी तरह के उत्पादों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना होगा। सजावट में इस्तेमाल की जाने वाली चटाईयों, गलीचों और दूसरी वस्तुओं का वारांगल, आन्ध्र प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। इन वस्तुओं पर भी आपको सहायता देनी चाहिए। इस सबके लिए काफी धनराशि की जरूरत पड़ेगी। इस तरह धन का सदुपयोग करने की बजाय, सरकार क्षेत्रीय कार्यालय खोलने में पैसा खर्च कर रही है जिनके ऊपर इसका बिल्कुल भी नियन्त्रण नहीं है। दिल्ली और बम्बई जैसे बड़े-बड़े शहरों में कार्यालय खोलने से आम आदमी को कोई मदद नहीं मिलेगी जो ग्रामीण उद्योगों में लगा हुआ है। ये लोग दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके पास कोई धन नहीं है। इनमें से अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो संस्था इन छोटे कारीगरों के लिए हैं वह इनके लिए सहायक साबित नहीं हो रहो है। आजकल खादी बोर्डों पर कुछ ही लोगों का नियन्त्रण है जो इनको अपनी इच्छानुसार चला रहे हैं। सम्पूर्ण ढांचे का पुनर्गठन करने का सही समय आ गया है। फिलहाल कारीगरों को दी जाने वाली 500 रुपये की राशि में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर देना चाहिए। हस्तशिल्पों की खरीद के लिए सिर्फ सरकार को ही आगे नहीं आना चाहिए, बल्कि, इन वस्तुओं की विदेशी बाजार में बहुत मांग है और सरकार को विदेशी आर्डर दिलवाने के लिए भी इनकी मदद करनी चाहिए। आजकल खादी बोर्ड गरीब कारीगरों का शोषण कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन बोर्डों द्वारा अब तक खर्च की गई धनराशि का हिसाब दिया जाना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार ने यह भी बताना चाहिए कि किस हद तक ये बोर्ड रोजगार देने में सफल रहे हैं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण की जांच की जाए। इन संगठनों में कर्मचारियों की हालत सन्तोषजनक नहीं है। महोदय, खादी बोर्ड हमें कांग्रेस की याद दिलाता है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की याद दिलाती है। एक बार फिर, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण की जांच की जाए। फिलहाल यह संस्था कारीगरों के लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं है। इस संगठन में भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए। मैं विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री एन० डेनिस (नागर कोईल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और निम्न लिखित बातें कहना चाहता हूं।

खादी तथा ग्रामोद्योगों और उनके बढ़ावे की मूल विचारधारा स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से उभरी स्वदेशी आन्दोलन ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए मुख्य आर्थिक सिद्धान्त है। गांधी जी का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक

[श्री एन. डेनिस]

परिवार में कोई न कोई आर्थिक क्रियाकलाप होना चाहिए ताकि प्रत्येक परिवार के लिए सही जीवन निर्वाह सुनिश्चित किया जा सके। गांधी जी का इरादा नजदीक में ही लघु उद्योगों की स्थापना के जरिए घर पर भी रोजगार प्रदान करने का था जो स्व-रोजगार एवं अधिक से अधिक नौकरियां दोनों के लिए अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार, वे बेरोजगार लोगों के लिए स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए बहुत उत्सुक थे।

आज, हमने उसी भावना और समर्पण की विचारधारा से खादी तथा ग्रामद्योगों को बढ़ावा देना है। जहां तक खादी तथा ग्रामोद्योगों का सम्बन्ध है, उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह गरीबों, कारीगरों, अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित लोगों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और समाज के दूसरे दलित-वर्गों के लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, खादी तथा ग्रामोद्योग एक बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और अधिकाधिक धन के आवंटन के जरिए इस क्षेत्र के सम्बर्द्धन के लिए अधिक बल दिया जाना चाहिए।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और लगभग हमारे 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। दूसरे, 36 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृषि सिर्फ मौसमी रोजगार प्रदान करती है और कृषि पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग वर्ष में अधिकतर समय तक बेरोजगार रहते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकलापों का विन्यास इस ढंग से होना चाहिए कि गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों और वर्ष में अधिकतर समय तक बेरोजगार रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। इससे ग्रामीण गरीबी को काफी हद तक कम करने भी मदद मिलेगी।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, यह उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन का परिणाम है। विशेषज्ञ समिति ने खादी तथा ग्रायोद्योग आयोग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और कुछ सिफारिशें की। यह विधेयक उन्हीं सिफारिशों का ही परिणाम है। इस विधेयक का उद्देश्य खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास करना तथा बढ़ावा देना है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन किए गए हैं। आयोग के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने और उन्हें बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है, जहां पर हमारी 70 प्रतिशत जनता निवास करती है। बदलते हुए समय और हमारे उद्योगों के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, जबकि अधिक से अधिक उद्योग लगाए जा रहे हैं, वे सभी उद्योग जिनका निवेश 15000 रुपए से अधिक नहीं है, उनको ग्रामोद्योगों में सम्मिलित किया गया है। निस्सन्देह, इस कार्यवाही से काफी नये उद्योगों को शामिल किया जा सकेगा। आयोग के प्रभावी कार्यकरण के लिए भी सामान्य सेवा सुविधायें आरम्भ की गयी हैं।

मूल अधिनियम की धारा 2 में किए गए संशोधन के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। खण्ड 2(ज) में पूंजी निवेश की सीमा 15,000 रुपए रखी गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि साज सामग्री तथा अन्य सामान की कीमतों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। 15,000 रुपए की राशि बहुत कम है और मैं समझता हूं कि इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि गांवों में

लाभप्रद ढंग से चलने वाली इकाइयों की स्थापना की जा सके तथा लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें।

विधेयक के खण्ड 4 में किए गए संशोधन के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि आयोग की सदस्यता 5 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। ऐसा व्यापक प्रादेशिक या भौगोलिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से किया गया है। मैं कहूंगा कि सदस्यों की संख्या मात्र बढ़ा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। विधेयक में खण्ड 4 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि "केवल 4 विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।" मैं यहां दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह कि सभी विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति होने चाहिए, तथा इन चारों व्यक्तियों को भी मात्र विशेष ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। इस अधिनियम को कार्यान्वित करते समय सैद्धान्तिक ज्ञान को अमल में लाना होगा। उन्हें खादी ग्रामोद्योगों के प्रति समर्पित होना चाहिए।

दूसरे, सभी व्यक्तियों को विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरा यह सुझाव है कि सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए अर्थात कम से कम राज्यों के बोर्डों के अध्यक्षों को तो प्रतिनिधित्व दिया ही जाना चाहिए। साथ ही श्रमिकों तथा महिलाओं के प्रतिनिधियों को भी आयोग में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

खण्ड 5 तथा 5 क में कहा गया है कि "मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार के कार्यों को परिभाषित किया जाना चाहिए।" यह अच्छा लक्षण है। उनके कार्यों का सीमा निर्धारण होना चाहिए। इससे काम के दोहराव होने से बचने तथा आयोग के निर्बाध कार्यकरण में सहायता मिलेगी।

अधिनियम में अध्यक्ष के कृत्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस कारण, अध्यक्ष शक्तिहीन व्यक्ति हो जाएगा। अधिनियम में कहा गया है कि "मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अध्यक्ष के नियन्त्रण तथा निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए।" इस काम के अतिरिक्त, उसका एक मात्र कार्य है बैठकों की अध्यक्षता करना। अध्यक्ष के बारे में अधिनियम में इन दो ही कार्यों का जिक्र है। मैं तो कहूंगा कि अध्यक्ष के कृत्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

खण्ड 11, 12, और 13 अर्थात मूल अधिनियम की धारा 18, 19 और 12 में किए गए संशोधनों के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि तीन पृथक बजट पेश करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु बजट के तीन भाग हो सकते हैं। इन तीनों भागों को एक ही भाग में समाहित किया जा सकता है।

खण्ड 15 अर्थात मूल अधिनियम की धारा 27 सामान्य सेवा सुविधा देना—में किए गए संशोधन में सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि यह विधेयक में स्वागत योग्य बात है। यह स्वागत योग्य कदम है। इससे कर्मचारियों की शिकायतें दूर की जा सकेंगी। वे लम्बे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए।

खण्ड 7 जोकि मूल अधिनियम की धारा 13 का स्थानापन्न है—के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, अच्छा होगा यदि मूल प्रणाली को ही बेहतर बनाया गया होता।

मैं यहां एक-दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं। खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास

[श्री एन. डेनिस]

के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस क्षेत्र में अनुसन्धान और इसके विकास के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यहां मण्डियों, मिल तथा अन्य क्षेत्रों में कड़ी प्रतियोगिता की भी समस्या है। मैं चाहता हूं कि इस उद्योग का संरक्षण और विकास किया जाए। अब जो आवंटन किए गए हैं, वे पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अधिक आवंटन किए जाने चाहिए।

आय कर, बिक्री कर और ऐसे अन्य शुल्कों में छूट दी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही विभिन्न संस्थाओं को हर तरह से सहायता देनी होगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम देश के प्रत्येक हिस्से में लागू होना चाहिए। प्रत्येक खण्ड में एक इकाई होनी चाहिए। यह श्रमिकोन्मुखी क्षेत्र है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता का उत्थान करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। अतः अधिक राशि आवंटन और संरक्षण पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। खादी और ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जाना चाहिए।

पहले भी एक अवसर पर मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था कि तमिलनाडु में महानिषेध लागू होने के बाद वहां कई टेपर्स बेरोजगार हैं। इस निगम के माध्यम से पाल्मीयरा निकालने वाले उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

शहद उद्योग को भी विकसित किया जाना चाहिए। शहद विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० आर० नटराजन (डिंडीगुल) : अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक मुनेत्र कषघम की ओर से मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) अधिनियम का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

खण्ड 9 (2) (क) से (झ) तक में आयोग के कृत्यों का उल्लेख है। विधेयक में उल्लिखित उद्देश्य बड़े प्रशंसनीय हैं। किन्तु इन कृत्यों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। ग्रामोद्योग की यह व्याख्या है कि प्रति व्यक्ति निवेश 15000 रु० तक होगा। मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 25000 रुपए किया जाना चाहिए। सदस्यों का कार्यकाल अब 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, इसे घटाकर 3 वर्ष किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि अन्यथा सदस्य निहित स्वार्थ विकसित कर सकते हैं और उनके काम में कुछ त्रुटियां होने की भी सम्भावना हो सकती है। अतः इस अवधि को कम किया जाना चाहिए।

गांधी जी ने कहा था : 'भारत गांवों में बसता है।' दूसरे शब्दों में गांवों की अर्थ-व्यवस्था से ही देश की अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक झलक मिलती है। अतः यदि देश की अर्थ-व्यवस्था को विकसित करना है, तो गांवों की अर्थ-व्यवस्था को विकसित किया जाना चाहिए। किसान, कृषक, खेतिहर मजदूर, कारीगर और असंगठित मजदूर केवल गांवों में ही रह रहे हैं।

कृषि मौसमी व्यवसाय है। सूखा पड़ने पर यहां कोई काम नहीं होता। अतः लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि कुटीर और ग्रामोद्योग खोलें जाएं। प्रत्येक गांव में ऐसे उद्योग होने चाहिए और यहां इन श्रमिकों और किसानों को रोजगार मिलना चाहिए। अन्यथा उनकी अर्थ-व्यवस्था बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो जाएगी। पिछले 40 वर्षों के दौरान हम गांधी जी के

आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त से दूर हटते जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता का प्राथमिक महत्त्व है किन्तु हम उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। गांधीजी को स्वदेशी आंदोलन पर भरोसा था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने अंग्रेजी और अन्य विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार किया था किन्तु हम विदेशी वस्तुएं आयात कर रहे हैं। हम स्वदेशी विकसित नहीं कर रहे हैं।

यही कारण है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था का विकास नहीं हुआ है। गांवों के लोग या तो बेरोजगार हैं या उन्हें थोड़ा रोजगार मिला हुआ है। अतः प्रत्येक गांव में कोई न कोई उद्योग खोला जाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

आजकल स्वीटजरलैंड और जापान में घड़ी बनाने के उद्योग और यहां तक कि आधुनिक वस्तुओं के उद्योग भी कुटीर उद्योग बन गए है। इन उदाहरणों का भारत में अनुकरण किया जाना चाहिए। हम अपने गांवों में घड़ी, बिजली का सामान और अन्य वस्तुएं बनाना शुरू कर सकते हैं। दक्षिण-पूर्व के देश अपने गांवों में अर्थ-व्यवस्था का विकास इस तरह कर रहे हैं इसीलिए वहां बेरोजगारी नहीं है। उन्होंने वहां रोजगार समाप्त करने के जो सिद्धान्त अपनाएं हैं हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। इस तरह हम धीरे-धीरे बेरोजगारी या अल्परोजगार की स्थिति को समाप्त कर सकते हैं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खादी और ग्राम आयोग (संशोधन) विधेयक, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं।

हम जानते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग से हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन में चरखा इसका प्रतीक था जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में कुछ संशोधन किए जाएं। यदि इस सत्र में वे संशोधन लाना सम्भव न हो तो मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इसे पूर्ण विधेयक बनाने के लिए अगले सत्र में वे संशोधन लाए जाएं जिससे न केवल हमारी अर्थ-व्यवस्था ही सुदृढ़ होगी अपितु यदि इसमें संशोधन किया जाए तो इससे हमारी ग्रामीण जनता आत्मनिर्भर बनेगी और इससे ग्रामीण लोगों विशेषकर ग्रामीण स्त्रियों, जोकि देश की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत हैं, को भी रोजगार मिलेगा।

इस विधेयक में, मन्त्री महोदय ने यह सुझाव दिया है कि पूरे देश को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा और खादी आयोग में प्रत्येक क्षेत्र से कुछ सदस्य लिए जाएंगे। मेरा सुझाव है कि इसे भौगोलिक क्षेत्र बनाने की बजाए प्रत्येक राज्य के खादी बोर्ड से एक-एक सदस्य लिया जाए। इस विधेयक में, खादी आयोग में 12 सदस्यों का उपबन्ध किया गया है। पहले इनकी संख्या 3 से 5 तक थी। इसमें सन्देह नहीं कि इससे इसका स्वरूप अधिक प्रतिनिधिपरक हो सकेगा किन्तु यदि आप खादी आयोग में प्रत्येक राज्य से एक सदस्य लेते हैं तो इससे इसका स्वरूप और अधिक प्रतिनिधिपरक हो सकेगा और इससे विधेयक का सम्पूर्ण प्रयोजन पूरा हो पाएगा।

इसके साथ ही जिन व्यक्तियों को खादी आयोग का सदस्य बनाया जाए उन्हें ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, ग्रामोद्योग, खादी उद्योग और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की पूरी जानकारी होनी चाहिए। विशेष कर वे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होने चाहिए। वे ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले होने चाहिए। साथ-साथ विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि सभापति पूर्णकालिक सदस्य होंगे और अन्य सदस्य पूर्ण-कालिक नहीं हैं। मेरा विचार यह है कि यदि आयोग के सभी सदस्य पूर्णकालिक हैं तो वे न केवल इस खादी आयोग के सुधार के लिए अधिक समय दे सकेंगे। किन्तु देश में भी खादी तथा ग्रामोद्योग आंदोलन में सुधार लायेंगे।

[श्री चिन्तामणि जैना]

मुझे माननीय मन्त्री को बधाई देनी चाहिए कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराना है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक में जिन तीन निधियों की व्यवस्था की गई है अर्थात खादी निधि, ग्रामीण उद्योग निधि तथा सामान्य और विविध निधि उनको मिला दिया जाए और केवल एक ही निधि बनाई जाए क्योंकि उद्देश्य मुख्यत: रोजगार उपलब्ध कराना है।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि यह विधेयक चूंकि समाज में वास्तव में गरीबी दूर करने के लिए है, सरकार हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के ऐतिहासिक 20-सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण उद्योग को भी सम्मिलित करने पर विचार करें जिसमें वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव जी ने अधिकतम तेजी लायी है।

चूंकि इस विधेयक का उद्देश्य कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है, यह सचमुच हम सभी के लिए भारी चिन्ता का विषय है कि खादी की लोकप्रियता दिन प्रति दिन घटती जा रही है और इसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए तथा इस घटती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि इसे अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाया जाए।

इस सम्बन्ध में मैं दो बातों का सुझाव देना चाहूंगा। खादी कपड़े में मिल का सूत और पोलिएस्टर सूत जैसे अन्य सूत मिश्रित करके ऐसा हो सकता है। अतः यह एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमारी सरकार मिलों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे रही है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि खादी और ग्रामीण उद्योग अधिक से अधिक लोकप्रिय हों और खादी का प्रयोग सामान्य जनता द्वारा हो।

इसके अतिरिक्त हाथ से कता और बुना वस्त्र अधिक लोकप्रिय हैं और पश्चिमी देशों तथा अन्य उन्नत देशों में भी इनकी भारी मांग है। इनको अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इनसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके और हमारी विदेशी मुद्रा आय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

राज्यों में बहुत से खादी बोर्डों में अब क्या हो रहा है कि कुछ सरकारी अधिकारी इन बोर्डों को चलाने से सम्बद्ध हैं। मैं निवेदन करता हूं कि अब उन खादी बोर्डों को चलाने के लिए कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद हो रहा है कि इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय रामकृष्ण समिति प्रतिवेदन का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया गया है जिससे रामकृष्णय्या समिति द्वारा दिए गए अनेक नुसंगत सुझाव इस विधेयक में सम्मिलित नहीं किए गए। इन सुझावों पर विचार किया जाए।

खादी और ग्रामोद्योग के कुल कर्मचारियों में से 46 प्रतिशत महिलायें हैं। किन्तु इनकी हालत इतनी दयनीय है और वे इतनी गरीब हैं कि सरकार को देखना चाहिए कि इन महिलाओं को पर्याप्त मजदूरी दे दी जाए...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। थोड़ा समय बाकी है। मन्त्री को भी उत्तर देना है।

श्री चिन्तामणि जेना : इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग संशोधन विधेयक 1987 जो प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। विधेयक के जो उद्देश्य बताए गए हैं, वे भी बहुत सराहनीय हैं, और मैं उन उद्देश्यों का भी समर्थन करता हूं।

हम अगर स्वतन्त्रता के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और खादी को उस संघर्ष में अपनाया था और खादी को अपनाने के लिए विदेशी माल की होली भी जलाई थी, उसका बहिष्कार किया था।

उपाध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन एक्ट 1956 में पास हुआ था और उसकेबाद इसमें अमेंडमेंट प्रस्तुत किए गए हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्लाज फोर में 6 नान आफिशियल मेम्बर्स रखे गए हैं, जिनको ज्योग्राफिकल जोन्स के अनुसार लिया जाता है। ये जोन्स बड़े-बड़े हैं और एक-एक जोन्स में कई प्रदेश आते हैं। महाराष्ट्र जोन है, राजस्थान जोन है, इसमें कई प्रदेश हैं। मैं यह चाहता हूं कि हर जोन से एक मेंबर न लेकर हर प्रदेश से एक प्रतिनिधि लिया जाना चाहिए, ताकि हर राज्य का प्रतिनिधित्व वहां पर हो सके। आज मान लीजिए जो 6 सदस्य लिए जाते हैं, उनमें राजस्थान का प्रतिनिधि न हो तो राजस्थान के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि वहां पर अकाल पड़ता है और अकाल में खादी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारे यहां बाड़मेर और जैसलमेर की ऊनी खादी बहुत मशहूर है और अगर हमारा कोई प्रतिनिधि इसमें न हो तो खादी कमीशन में हमारी पैरवी न होने से हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हर प्रांत का प्रतिनिधि इसमें होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैंने कुछ जानकारी प्राप्त की है, आंकड़ों से भी पता लगता है कि खादी के काम में 14 लाख मजदूर लगे हुए हैं और 26 लाख लोग ग्रामोद्योग में लगे हुए हैं। अगर कारखानों से इनकी तुलना की जाए तो पता चलेगा कि कारखानों में जितनी पूंजी लगी हुई है और जितने मजदूर काम करते हैं, उसके मुकाबले में खादी और ग्रामोद्योग में एक परसेंट इनवेस्टमेंट है और रोजगार कारखानों के मुकाबले में इसमें 200 प्रतिशत अधिक मिलता है, यह इसमें एक विशेष बात है। बड़े-बड़े कारखानों में करोड़ों रुपए की पूंजी लगायी जाती है, लेकिन मजदूर बहुत कम काम करते हैं, इसमें कम पूंजी लगती है और मजदूर अधिक काम करते हैं।

इसमें जो अमाउण्ट लगाया गया है, उसमें साठ करोड़ का आपने 1986-87 में प्रोविजन किया है और साठ करोड़ का प्रोविजन करके आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार यह नहीं बढ़ सकता है। खादी का विस्तार करना चाहते हैं तो और राशि इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और कम से कम तिगुनी राशि इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यह प्लान भी बनाइए कि अगर चालीस लाख मजदूर काम कर रहे हैं तो एक करोड़ बीस लाख मजदूरों को रोजगार मिल सके। खादी अगर पैदा करें तो मार्किट का प्रश्न भी सामने आता है। इस सम्बन्ध में आपने बहुत ही लॉडेबल फंक्शन्स रखे हैं। उसमें कहा गया है कि ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, पूरी तरह से नॉलेज प्राप्त करके डिजाइन्स बना कर और माडर्नाइज करके इस खादी का पूरा विकास कर सकते हैं। इस प्रकार यह खादी एक्सपोर्ट भी हो सकती है। हमारे बाड़मेर और जैसलमेर जिले में ऊनी खादी की बहुत गुंजाईश है। अभी हम बड़ी कठिनाई में हैं। लगातार पन्द्रह वर्षों में से बारह वर्ष बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान के क्षेत्रों

[श्री वृद्धिचन्द्र जैन]

में अकाल की स्थिति रही है। हम नहीं चाहते कि अकाल राहत के अस्थाई कार्य खुलें और लोगों को इस प्रकार का एम्पलायमेंट मिले जिसकी कोई सरटेन्टी न हो। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में ऊनी खादी का कार्यक्रम अकाल के समय में बड़ी भारी सहायता दे सकता है। आपने फेमिन और ड्राट प्रोन एरियाज के बारे में कर्नाटक में बीजापुर, यू० पी० में रायबरेली, तमिलनाडु में रमनड और पंजाब में विशेषतौर से योजना बनाई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में बाड़मेर, और जैसलमेर जिलों को सम्मिलित करके ऊनी खादी का विकास किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ भेड़ों के ब्रीड के भी डेवलपमेंट की आवश्यकता है।

शिप ब्रिडिंग डिपार्टमेंट को लिखा जाना चाहिए कि ब्रीड्स में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हमारी ब्रीड्स आस्ट्रेलिया जाती है और हम आस्ट्रेलिया की ऊन पसन्द करते हैं। देश की चालीस परसेंट ऊन हमारे बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्रों में पैदा होती है। इसलिए, इन क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि खादी के काम में जो मजदूर लगे हुए हैं, उनका भी बड़ा भारी शोषण होता है। इस सम्बन्ध में मैंने अमेंडमेंट भी प्रस्तुत किए हैं, उनका जवाब बाद में दूंगा। जो महिलाएं सात-आठ घंटे कताई का काम करती हैं उनको सिर्फ चार-पांच रुपए मिलते हैं। यह उनका शोषण होता है। एक तरफ तो खादी का कपड़ा महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ मजदूरों का शोषण हो रहा है। खादी को महात्मा गांधी ने अपनाया और कांग्रेस ने भी अपनाया। कांग्रेस का अभी तक यह नियम है कि जो सक्रिय सदस्य हैं, वे खादी पहनने वाले होने चाहिए। मुझे दुख होता है जब मैं मन्त्रियों को और कांग्रेस के लोक सभा व राज्य सभा के सदस्यों को देखता हूं क्योंकि वे खादी नहीं पहनते हैं। अगर महात्मा गांधी की फिलासफी को पसन्द करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं तो अवश्य खादी पहननी चाहिए।

अगर वह नहीं पहनते हैं तो ऐसे सदस्यों को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को इन सदस्यों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में खादी पहनना जरूरी है। ऐसे ही जनता पार्टी में भी नियम बना हुआ है। मोरारजी देसाई जब प्रधान मन्त्री थे तो उन्होंने खादी पहनने पर जोर दिया था। अगर हम खादी का उपयोग करेंगे तो इसका विस्तार होगा। आज स्थिति यह है कि हमारे विभाग में जो नियम बने हुए हैं, कोई भी विभाग उसका पालन नहीं करता, सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी खादी की होती है और कोई खादी नहीं खरीदता। जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वह खादी नहीं पहनते, कांग्रेस के पदाधिकारी खादी नहीं पहनते। इसलिए खादी का प्रचार करना बहुत जरूरी है और इसका विस्तार करने की भी आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी ने जो प्रथा चलाई खादी पहनने की वह हमें बनाई रखनी चाहिए। खादी पहनकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। खादी में जो पालिएस्टर खादी आ रही है, यह खादी का सत्यानाश कर रही है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। यह पालिएस्टर की फिलासफी गलत है। जो लोग नकली खादी का उपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। आप अपने आयोग में ऐसे सदस्यों को डायरेक्टर बनाएं जिनकी खादी में आस्था हो, जो खादी पहनते हों चरखा चलाना जानते हों। आज ऐसी स्थिति हो रही है कि लोगों का खादी पर से विश्वास उठ रहा है, इसको रोकना चाहिए। उनमें खादी के प्रति विश्वास पैदा किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मुझे लगता है कि इस विधेयक पर बोलने वाले वक्ताओं की लम्बी सूची है। आपने श्री लंका का मामला 4 बजे उठाने का वादा किया था। क्या आप यह मुद्दा उठा रहे हैं अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे लगभग 4 बजे उठायेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम इसको बहुत बढ़ा रहे हैं। हमें श्रीलंका के मुद्दे पर चर्चा के लिए अधिक समय देना चाहिए। हमें श्रीलंका का मुद्दा उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्रीलंका के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय देंगे।

श्री पी० कुलनवईवेलू : इस विधेयक के पश्चात आप श्रीलंका का मुद्दा उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हां, इसको समाप्त करके हम श्री लंका का मुद्दा उठ लेंगे।

श्री पी० कुलनवईवेलू : मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर बोलने वाले वक्ता 6 बजे तक का समय लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, तब तक नहीं। हम इसे समाप्त करेंगे।

(व्यवधान)

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : आप किस समय तक श्रीलंका का मुद्दा उठायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : साढ़े चार के आस-पास।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : कृपया उन लोगों को इस विधेयक पर मत बोलने दीजिए जो खादी नही पहनते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मानवेन्द्र सिंह।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय, उपाध्यक्ष जी, मैं खादी और ग्रामोद्योग संशोधन विधेयक, 1987 का समर्थन करता हूं। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय बापू महात्मा गांधी ने जो भारतवर्ष में आजादी का आन्दोलन प्रारम्भ किया था उसके साथ-साथ उन्होंने खादी का भी आन्दोलन चलाया। महात्मा गांधी ने इस आन्दोलन को भारत के उन पिछड़े हुए देहातों से प्रारम्भ किया, उन शहरों से प्रारम्भ किया जहां पर उन्होंने देखा कि गुलामी के जीवन में भारतवर्ष की अधिकतर जनता के शरीर पर कपड़ा नहीं था। उन्होंने उस आन्दोलन में चरखा आन्दोलन को जोड़ा और भारतवर्ष के उन लोगों को एक प्रेरणा सूत्र में बाधा कि प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि वह स्वय खादी की कताई करके बुनें···ताकि वह उन लोगों को जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं हैं, और यदि हैं भी तो चिथड़े मात्र, स्वदेशी हाथ का बना हुआ कपड़ा प्रदान कर सकें। भारतवर्ष को आज़ाद हुए लगभग 40 साल ज्योति हो चुके हैं परन्तु आज भी हम देखते हैं कि जहां महात्मा गांधी जी ने भारत की आजादी के आन्दोलन

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

के साथ खादी आन्दोलन को भी उसका एक अंग बनाया था ताकि हमारे गांवों में रहने वाली गरीब जनता को वहीं रोजगार मिल सके, व्यवसाय मिले, खादी उनके लिए आजीविका का साधन बने, उसके जरिए खादी का प्रचार और प्रसार हो, उस क्षेत्र में हम उतनी प्रगति नहीं कर पाये, जितनी प्रगति हमने दूसरे क्षेत्रों में की है। यह बात भी निर्विवाद सत्य है कि भारतवर्ष में आजादी प्राप्त होने के समय तक एक सुई भी नहीं बनती थी, सारी चीजें विदेशों से आती थी, और गुलामी के जमाने में हमारी उद्योगों की सारी व्यवस्था चरमरा गयी थी, आजादी के बाद, हमने हर क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त कीं परन्तु उस प्रगति की तुलना जब हम खादी के क्षेत्र में हुई प्रगति से करते हैं तो हमें यह देखकर दुख होता है जिस खादी आन्दोलन को महात्मा गांधी जी ने आजादी के आन्दोलन के साथ जोड़कर चलाया था, उस क्षेत्र में हम पीछे होते गए। जैसाकि इस बिल में लिखा हुआ है और मैं इस संशोधन के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि अब 10 हजार की आबादी तक के नगरों में खादी और ग्रामोद्योग के साथ साथ अन्य उद्योगों को भी इसके क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सकेगा और खादी के साथ साथ आपने उनका नाम भी परिवर्तित कर दिया है। इतना ही नहीं, देश के 6 भौगोलिक परिक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले, खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में अनुभव-प्राप्त 6 सदस्यों को आप इसमें प्रविष्ट करायेंगे, उसके अनुभव से लाभ उठाया जाएगा, यह भी वास्तव में सराहनीय पग है। उसका कारण यह भी है कि सरकार में बैठे हुए ब्यूरोक्रेटस खादी और ग्रामोद्योग का महत्व नहीं समझते, देहातों में रहने वाले व्यक्तियों की खादी और ग्रामोद्योग से सम्बन्धित जरूरतों से भी अनभिज्ञ हैं, इस कारण देहाती लोगों को भी वे लाभ नहीं मिल पाते जो वास्तव में उन्हें मिलने चाहिए। गांधी जी ने कल्पना की थी कि खादी के माध्यम से गांववासियों को मजबूत आधार मिले, जिसे अब तक हम सार्थक नहीं कर पाये।

इसके साथ-साथ यह संशोधन भी स्वागतयोग्य है कि आपने हस्तशिल्प उत्पादों को भी खादी और ग्रामोद्योग के नाम से जोड़ दिया है। हम देखते हैं कि हमारी हस्तशिल्प कलाओं का देहातों में धीरे धीरे पतन होता जा रहा है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से हम हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि हमारे ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, काम मिले, हर गांव में खादी ग्रामोद्योग के ट्रेनिंग सैन्टर्स हों, जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारी महिलाएं, बच्चे और पुरुष अपने उद्योग स्थापित कर सकें, खादी बना सकें, हस्तशिल्प की चीजें बना सकें, उनके द्वारा बनी चीजें बाजारों में आयें और उनका जीवनस्तर ऊंचा हो। मेरा एक सुझाव यह भी है कि उन्हें ऐसी चीजें बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाए जिन्हें हम विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें, जिनका एक्सपोर्ट किया जा सके ताकि उनको अधिक पैसा मिले। मुझे स्मरण है कि हमारे चुनाव कार्य में तत्कालीन खादी और ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष, आचार्य लक्ष्मी रमण जी हमारे साथ थे, उन्होंने एक योजना का प्रारूप हमारे सामने रखा, चुनाव सभाओं में उन्होंने रिक्षावालों के लिए एक योजना सुझायी थी जिसमें दो साल में वह रिक्षा उन लोगों की हो जाएंगी, जो उनको चलाते होंगे।

4.00 म० प०

और वह रिक्शे करीब 48 लाख लोगों को 2 साल में दिए जाएंगे और उसकी एन्सीलरी इन्डस्ट्रीज में करीब 2 लाख लोगों को एम्पलायमेंट मिलेगी। मैं इस सभा के माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उस योजना को आगे बढ़ायें जिसके माध्यम से वह वर्ग जो मेहनत करके रिक्शे चलाकर,

बहुत परेशानी के बाद पैसा कमाता है, उसे रिक्शे प्रदान हों और वह उस रिक्शे का मालिक बन सके और करीब 48 और 2, 50 लाख लोगों को 2 साल में एम्पलायमैंट मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सलाउद्दीन गोड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 1987 का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डिप्टी स्पीकर महोदय, इस बिल के अन्दर जो अमेंडमैंट लाये गए हैं, यह खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी कदम माने जायेंगे। खादी इन्डस्ट्रीज, गांव के उद्योग धन्धे और विलेज इन्डस्ट्रीज का भारत के आर्थिक विकास से बहुत ही निकट सम्बन्ध रहा है। इतिहास साक्षी है, भारत में बनी हुई खादी उस समय भी इग्लैंड में शादी-विवाह के अवसर पर बड़े ही शुद्ध रूप में लोगों द्वारा स्वीकार की जाती थी और इससे लोग अपने को बड़ा गौरवान्वित समझते थे। भारत की खादी को प्रयोग में लाने के लिए ढाके का मलमल भी खादी का एक रूप था। भारत को खादी के ऊपर हमेशा से गर्व रहा है।

भारत गांव का देश है और इसकी 80 प्रतिशत आबादी गांव में बसती है और खेती पर निर्भर है। साल के 5 महीने लोग खेती करते हैं और बाकी 7 महीने हमारा किसान बेकार बैठा रहता है। खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्री का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो किसान गांव में साल के 7 महीने बेकार बैठा रहता है, उसके लिए विलेज में ही हम उद्योग की व्यवस्था कर दें ताकि साल के 7 महीने वह काम करके अपनी आय में कुछ वृद्धि कर सके।

हमारे किसान एक तरफ आर्टिजन है और कारीगर भी हैं और दूसरी तरफ वह खेती भी करते हैं। इतिहास साक्षी है कि हमारे कलाकारी की खादी को राज-दरबार में लोग स्वीकार करते थे, उसको मुआवजा देते थे और मुंह मांगा इनाम देते थे, लेकिन जैसे ही भारत में राज-दरबार का विनाश होने लगा, ये हमारे कारीगर भूखे मरने लगे। खादी इन्डस्ट्रीज के गांव के कारीगरों की कला की चीजें राज-दरबार में पेश की जाती थीं लेकिन जैसे ही राज-दरबार खत्म हुए, इन कलाकारों को पूछने वाला कोई नहीं रहा और वह भिखारी बनने लगे। वह कलाकार मजदूर बन गए। जैसे-जैसे कारखाने बनने लगे, फैक्टरीज का इन्वेंशन हुआ तो आहिस्ता-आहिस्ता कलाकार उनमें मजदूर बनने लगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि खादी इन्डस्ट्रीज केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि खादी और विलेज इन्डस्ट्री का महत्व इस देश में सोशल दृष्टिकोण से भी है। वह इकनामिक प्राबलम नहीं है बल्कि खादी और विलेज इन्डस्ट्री एक सोशल प्राबलम है, सोशल प्रासेस है जिसके माध्यम से देश की बेकारी को हम ट्रांस्फार्म करके विकास की प्रगति में एक नई दिशा दे सकते हैं।

डिप्टी स्पीकर सर, यह मामला जो कि खादी का मामला है और विलेज इन्डस्ट्री का मामला है, इसके लिए महात्मा गांधी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां से हर घर में चरखे और चक्की की आवाज आती हो। लेकिन योजना बनाने वालों ने इसके अनुरूप योजना नहीं बनायी। इसका नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता इस उद्योग का पतन होने लगा।

[श्री सलाउद्दीन गोड्डा]

आज हम सब देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चारों तरफ बेरोजगारी है। बेरोजगारी हमारे देश के लिए एक चैलेंज है। अतः इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है जिसमें खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम को नई परिभाषा मिली है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में लोगों में विशेषकर युवा पीढ़ी में आज यह आम धारणा है कि यह आयोग केवल खादी बुनने और धागा कातने के लिए है और उनके हित में नहीं है। महोदय, किन्तु आबादी को अपने ही ढंग से बढ़ने देने और देश की आवश्यकता और संसाधनों और सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं की उपयुक्तता के अनुसार इसे न रोकने की दृष्टि से यह सरकार समेत सभी की जिम्मेदारी है कि देश में कोई बेरोजगार न हो। ऐसा केवल तभी सम्भव है जब खादी और ग्रामोद्योग आयोग जैसी संस्थाएं इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें, और देखे कि अधिक से अधिक ग्रामीण जनता को रोजगार प्राप्त हो विशेषकर ग्रामीण उद्योगों में, और इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाये और यदि आवश्यकता पड़े तो इसे 20-सूत्री कार्यक्रम के साथ भी सम्बद्ध किया जाए।

विपक्ष के सदस्यों ने यह कहकर इस सम्बन्ध में बहुत आलोचना की है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री अमल दत्त : ···जिस प्रकार बैंकों में हो रहा है।

श्री के० एस० राव : मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका काम केवल यह आलोचना करना है कि भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, अथवा यह देखना भी है कि वे अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लें और यह सुनिश्चित करें कि कार्यक्रम भलीभांतिपूर्वक कार्यान्वित हों और देखें कि उन त्रुटियों को ठीक किया जाए। हर समय केवल आलोचना करने और यह सोचने में कोई तुक नही है कि उनका काम पूरा हो गया। ऐसी बात नहीं है।

श्री अमल दत्त : आप किन लोगों को खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य बनाते हैं ?

श्री के० एस० राव : संसद सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं। आप भी संसद सदस्य हैं। हम भी संसद सदस्य हैं। उस विशेष क्षेत्र में जहां आप रहते हैं, यदि आप भी गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और देख लेंगे कि सही लाभभोगियों का पता लगाने मे नीतियों और कार्यक्रमों को उचित ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है तो इसकी आलोचना करने का हमारे पास कोई कारण नहीं होगा। किन्तु हम में से कोई भी किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र अथवा स्थानीय कार्यालय में उपयुक्त लाभभोगियों का पता लगाने की जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व नहीं लेता है। यदि हम उन्हें उपयुक्त लाभभोगी का चयन करने में इस प्रकार सहायता करेंगे तो हम उपयुक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि उचित दिशा में उपलब्धि हो रही है जैसे कि अधिनियम के इस संशोधन के लाने से आशा की जा रही है। हमारी जिम्मेदारी केवल इसकी आलोचना करना मात्र ही न हो।

मैं मानता हूं कि किसी प्रकार का ह्रास हुआ है अथवा कुछ लोगों ने धन का दुरुपयोग किया हो। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग से उपलब्ध विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और सुविधाओं के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाए। यह आम लोगों को मालूम नहीं हैं। ये बातें तो किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न स्तर के जनता के प्रतिनिधियों को भी मालूम नहीं हैं। माननीय मन्त्री जी को यह देखने की जिम्मेदारी उठाने दीजिए कि इसका काफी ज्यादा प्रचार हुआ है, यदि आवश्यक हो तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभिन्न योजनाओं का प्रभारी बनाया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सही आदमी की भर्ती किये जाने के लिए कहा जाना चाहिए। इसे करने के बाद निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि जिस उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी वह प्राप्त किया गया है या नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति हो जायेगी। महात्मा गांधी के जमाने में खादी योजना को लाये जाने का मूल उद्देश्य, लोगों में एकता, वचनबद्धता, आत्म-सम्मान तथा देशभक्ति लाना था और उस उद्देश्य की पूर्ति की गई है—आजकल के लोगों को इसके मूल उद्देश्य की जानकारी नहीं है क्योंकि हम लोग नई पीढ़ी के हैं। लेकिन समय के साथ-साथ यदि किसी चीज में कमी आती है तो ग्रामोद्योगों की संख्या में वृद्धि करके, जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण है हम इसे निश्चित रूप में बढ़ा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे परिभाषा को सीमित क्यों कर रहे हैं?

श्री के० एस० राव : मैं पहले ही कह चुका हूं खादी और ग्राम कमिशन…

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कमिशन मत कहिए। जैसे ही आप कमीशन का नाम लेते हैं उन्हें शुबहा होने लगता है।

श्री के० एस० राव : कार्यक्रमों को तभी लागू किया जा सकता है जबकि ग्रामीण लोगों को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाए। दुर्भाग्य की बात है कि लाभ प्राप्त कर्ताओं में अधिकतर उपयुक्त नही हैं उनके पास पर्याप्त कुशलता नहीं है, उन्हें दी जाने वाली सहायता का सही उपयोग वे नहीं कर सकते हैं। सहायता तो दी गई है उसका उपयोग किए बिना न तो उन्हें कोई लाभ होगा अपितु कार्यक्रम की क्रियान्विति भी ठीक से नहीं होगी। अत: मैं चाहता हूं कि प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए और देखना चाहिए कि क्षेत्रों की स्थिति के मुताबिक विभिन्न व्यवसायों में ग्रामीण व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाये फिर इन्हें वित्तीय सहायता दी जाये।

सदस्यों की नियुक्ति करते समय, चाहे वह सदस्य हो अपना उसका कर्मचारी हो, सर्वप्रथम उसकी पृष्ठभूमि (अतीत) को देखना होगा कि उसका चरित्र या निष्ठा अथवा वचनवद्धता तथा उसकी धारणाएं इन योजनाओं के अनुरूप हैं। यदि नहीं, तो अगर व्यक्ति का चयन किसी व्यक्तिगत स्तर अथवा राजनैतिक दबाव के कारण या किसी के प्रिय होने के कारण अथवा किसी के अनुरोध पर किया गया है तो इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। हम यह देखते हैं कि बहुत से शहरों, क्षेत्रों जहां पर खादी भण्डार स्थित हैं वहां पर लोग इन योजनाओं के प्रति जरा भी सजग अथवा समर्पित नहीं है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह देखे सिर्फ निष्ठावान् व्यक्ति ही कर्मचारी या सदस्य के में रूप भर्ती किये जाएं। आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों को उनकी पृष्ठभूमि एवं उनकी धारणाओं को दृष्टिगत रखकर चयन करने के बाद सबसे बड़ा उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।

[श्री के. एस. राव]

इस आयोग को विभिन्न जिलों में डी० आर० डी० ए० के साथ निकट का सम्पर्क रखना चाहिए जिसके बिना, क्रियान्वयन कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। ग्रामउद्योगों के सम्बन्ध में आधुनिक प्रोद्योगिकी का आयात करना होगा और वहां के लोगों को भी उस प्रोद्योगिकी को अपनाने के लिए बराबर स्तर पर लाना होगा।

भ्रष्टाचार या घोटालों (षड्यन्त्रों) को समाप्त करने के लिए गम्भीरता से सोचना चाहिए तथा आवश्यक कार्यवाही करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए।

मैं श्री अरुणाचलम् तथा वैंगल राव से कामना करता हूं, जोकि मन्त्री हैं, कि वे इन पहलुओं को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि वे इन मसलों पर आवश्यक एवं शीघ्र कार्यवाही करते हैं।

उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जोकि कर्ज आदि की ठीक समय पर अदायगी करते हैं उन्हें ब्याज की दर कम करके या उनमें कोई प्रतियोगिता पैदा करके कोई पुरस्कार देकर उनकी मदद करनी चाहिए। विपणन एक बड़ी समस्या है। जो चीजें गांवों में बनाई जाती हैं उनकी सही कीमतें नहीं मिल पाती हैं। इसमें भी बिचौलिये पैसा बनाते हैं। इसको खत्म करना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभी जगह बिचौलिये हैं।

श्री के० एस० राव : यह तभी मुमकिन है जब सरकार इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी ले।

हमारे यहां का ग्रामीण हस्तशिल्प समाप्त होता जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह भी देखिये कि वे लोग स्विस बैंक में पैसा न जमा करवायें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते, इस तरह के शब्दों को कार्यवाही से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। क्या यह ठीक नहीं है? इन्हें कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

श्री के० एस० राव : बहुत सी ऐसी चीजे हैं जोकि गांवों में बनाई जा रही हैं और जिनके निर्यात की सम्भावनाएं हैं। सरकार को ग्रामीण मेलों का आयोजन करके और उनको प्रोत्साहित करने के अवसर देने चाहिएं इस तरह की चीजों की विश्व में काफी मांग है। इस पहलू की पूरी तरह से संवीक्षा किए जाने एवं प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए मैं निश्चित ही इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस बात पर ध्यान दें कि समय-समय पर ठीक से देख-रेख करके सही तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। उन्हें गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए अधिक कठोर उपाय करने चाहिएं।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : महोदय, इस संशोधनकारी विधेयक पर कुछ शब्द बोलने का अवसर दिया गया उसके लिए मुझे काफी प्रसन्नता है। निश्चित ही, इस विधेयक से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आमदनी में वृद्धि करने से स्थिति में परिवर्तन होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : परिवर्तन से स्थिति बदतर होगी।

डा० फूलरेणु गुहा : मैं इसमें विश्वास नहीं करती। इसीलिए मैं अभी भी खादी पहनती हूं और मुझे विश्वास है कि खादी से काफी कुछ किया जा सकता है। यदि खादी और ग्रामोद्योग जैसे लघु-

उद्योगों का विस्तार किया जाए तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सभी प्रयासों के बावजूद भी, बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या विशेष रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी समाप्त नहीं हुई है...

श्री सोमनाथ चटर्जी : कितने कांग्रेसी खादी पहनते हैं ? (**व्यवधान**)

डा० फूलरेणु गुहा : कृषकों के पास सिर्फ मौसम में काम होता है। बाकी समय वे बेरोजगार रहते है। अत: यदि गांवों में लघु-उद्योग लगाये जायें तो गांववासियों को इससे आमदनी होगी तथा निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या सुलझ सकती है।

महोदय, यह सुझाव दिया गया है कि 5 सदस्यों की बजाय 12 सदस्यों की एक समिति होनी चाहिए। विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि इसमें छह गैर-सरकारी सदस्य होने चाहिए और ये व्यक्ति सिर्फ आयोग से संबद्ध ोने चाहिए जिनको खादी और ग्रामोद्योग का अनुभव हो। अन्यथा, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य खत्म हो जायेगा। विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि अर्थ-शास्त्र, आयोजना, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि से होने चाहिए। इन विशेषज्ञों को खादी और ग्रामोद्योगों के विकास में पूर्ण विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। जब तक उनमें यह निष्ठा नहीं होंगी कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संस्थानों को आयोग द्वारा पूरा प्रोत्साहन, सहायता तथा तकनीकी मदद दी जानी चाहिए। इसे सबसे बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए तथा सभी 165 जिलों में इसे पहुंचाया जाना चाहिए। यह प्रत्येक खण्ड में पहुंचना चाहिए। नयी संस्थाओं का कार्य करने के लिए मदद दी जानी चाहिए। लेकिन वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उन्हें जीवित रखने के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए इसके लिए कठोर कानून हैं परन्तु इसमें कुछ तो लचीलापन होना ही चाहिए।

महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगी। खादी कामगारों की स्थिति बहुत ही असन्तोष-जनक है। इसमें कार्य करने वाली महिलाओं की स्थिति और भी शोचनीय है। यही उचित समय है जबकि विभिन्न योजनाओं, महिला योजनाओं को बढ़ावा दिया जाये। महिला योजनाओं को बढ़ाने तथा ग्रामीण व्यक्तियों को बराबर के अवसर दिये जाने के लिए विशेष संरक्षण उपाय किये जाने की आव-श्यकता है। बच्चों की देखभाल करने, प्रसूति अवकाश तथा अन्य सहायक सेवाओं सम्बन्धी प्रावधानों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि ये बात इस संशोधनकारी विधेयक में भी नहीं हैं।

अन्तिम बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी यह है कि गरीबी-विरोधी कार्यक्रम जैसे कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों में सरकार तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को मिलकर काम करना चाहिए। इन्हें आपस में समन्वय रखना चाहिए। अन्यथा गांवों से निर्धनता दूर करना मुमकिन नहीं हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, खादी के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं एक वैचारिक रूप में इस विषय को रखना चाहता हूं ताकि विपक्ष के साथीगण भी इस का पूरी तरह से समर्थन करें और मुझे विश्वास है कि वे इस बिल का पूरी तरह से समर्थन

[श्री केयूर भूषण]

करेंगे। कारण यह है कि खादी का प्रारम्भ एक राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलन के रूप में हुआ। मैं समझता हूं कि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। हमें साम्राज्यवादियों पर चोट करने के लिए जिन साम्राज्यवादियों ने हमारी अर्थ-व्यवस्था को चौपट करने का लक्ष्य बना लिया था, हमें सदियों तक गुलाम रखने के लिए, हमारी अर्थ-व्यवस्था को चौपट करने के लिए हमारे यहां उद्योगों को न बढ़ने देकर हमें बाजार बनाने का प्रयत्न किया था, उसका मुकाबला करने के लिए महात्मा गांधी खादी को अपने हथियार के रूप में सामने लाए। यह खादी वह खादी है, जिसने साम्राज्यवाद पर चोट की और आज इतिहास यह बताता है कि इसको फिर से दोहराने का प्रयत्न हो रहा है। वह साम्राज्यवाद हमारे देश पर चोट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वैचारिक दृष्टि से जो कुछ भी हो रहा है, वह आप सब जानते हैं। यह साम्राज्यवाद का षड़यन्त्र है, जो हिन्दुस्तान को बरबाद करने के लिए सामने आया है और इस समय फिर से वह गांधी खादी के नाम से पैदा हो गया है। यह खादी वह खादी है, जिसे मात्र वस्त्र न माना जाए जिसे मात्र रोजी देने के लिए रोजगार न माना जाए। आज खादी फिर से पुर्नस्थापित हुआ है साम्राज्यवाद पर चोट पहुंचाने के लिए। आज हम अपने देश को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। स्वावलम्बो बनाने के लिए क्या हम वैज्ञानिक उपकरणों को बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं और क्या प्रत्येक को रोजगार दे सकते हैं। इन साम्राज्यवादियों का मुकाबला करने के लिए भारत को मजबूती से खड़ा करने के लिए हर एक हाथ में रोजगार देना होगा। आज सब को रोजगार देने के लिए क्या खादी के सिवाय, अम्बर चरखे के सिवाय, ग्रामोद्योगों के सिवाय ओर कोई उपकरण है, जो प्रत्येक को रोजगार दे सकता है, प्रत्येक को स्वावलम्बी बना सकता है। आज इस की बड़ी आवश्यकता है। और उन देशों के लिए, जिन की आवादी ज्यादा है, ऐसा करना बहुत जरूरी है। जो विकसित देश हैं, उनकी आजादी आप देखिए बहुत कम है। वे वैज्ञानिकीकरण के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो उन के यहां रोजगार मुहय्या हो सकते हैं मगर हमारे जैसे देश के लिए, चीन जैसे देश के लिए, उन देशों के लिए जिन की आबादी बहुत अधिक है क्या वैज्ञानिक उपकरण के आधार पर हम रोजगार दे सकेंगे, बल्कि ये तो बेरोजगारी पैदा करते हैं। यन्त्रों का उपयोग करके हम अधिक उत्पादन बढ़ाते हैं। इसलिए गांधी जी ने अगाह किया था कि यन्त्रों का उतना ही उपयोग किया जाए जितना कि वे मानव विकास के लिए उपयोगी हों और मानव के हाथों को काटने के लिए यन्त्रों का उपयोग न हो। गांधी जी ने यन्त्रों का उपयोग बहुत ही उपयुक्त रूप में सामने रखा था। विज्ञान के विकास के गांधी जी विरोधी नहीं थे नगर विज्ञान का उपयोग अगर मानवता को समाप्त करने के लिए, मानवता की उपयोगिता को कम कर के लिए, होता है, तो उन्होंने कहा था कि विज्ञान को मानवता पर न बैंठने दो। इस चीज को आप देखें। खादी और ग्रामोद्योग के जरिए आप गांवों में रोजगार दें और गांवों को स्वावलम्बी बनाएं मेरा एक निवेदन है कि खादी ग्रामोद्योग को आप अन्य उद्योगों की तरह मत देखिए। इसका विकेन्द्रीकरण करिए ताकि प्रत्येक गांव के अन्दर एक उद्योग स्थापित हो और वहां के लोगों को रोजगार मिले और गांव स्वावलम्बी बनें। इस ओर आपको बढ़ना होगा।

एक निवेदन यह है कि खादी ग्रामोद्योग को एक तरह से राजनीतिज्ञों का शरणगाह बनाया गया है। किसी को कहीं जगह नहीं मिलती है, तो उसके अन्दर उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है या सदस्य बना दिया जाता है। खादी के ऐसे लोगों को जिन्होंने खादी पर अपना पूरा जीवन बिता दिया है, ऐसे लोगों को आप उस में रखिए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रारम्भ में जब कमीशन बनाया गया था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधान मन्त्री थे। उन्होंने स्व० बैकुण्ठ लाल मेहता को इस का चेयरमैन बनाया था जो कि खादी के बहुत बड़े विज्ञ थे। आज भी ऐसे सैकड़ों

लोग हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप उन में से लोगों को चुनिये और उनको लेकर इस काम को आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ मेरा निवेदन यह भी है कि आप जितना उद्योगों पर खर्च करना चाहते है, ठीक है वह कीजिए। देश के उद्योगीकरण के लिए आप खर्च कीजिए। देश के उद्योगीकरण में देश की रक्षा है। मगर आप उसका कम से कम एक-चौथाई खर्च गांवों के उद्योगों और खादी के विकास के लिए कीजिए। इस सम्बन्ध में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि खादी के उत्पादन से पहले जो सूत बनता है उसमें ही कम से कम 25 आदमी लगते हैं, 25 आदमियों को रोजगार मिलता है। उसके बाद बुनाई है, छपाई है, रंगाई है। एक अम्बर चर्खे से कम से कम दस लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए इस बिल का समर्थन करते हुए मैं आप से कहना चाहता हूं कि खादी के सन्दर्भ में, खादी की उपयोगिता के सन्दर्भ में गांधी जी ने कहा था और उस वक्त कहा था जब हम साम्राज्यवादियों से लोहा ले रहे थे, अब हम देश को मजबूत कर रहे हैं, कि हम एक साल में साम्राज्यवादी अंग्रेजों को यहां से भगा रहे हैं। अब फिर साम्राज्यवादी एक साथ मिलकर हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। हम खादी के एक-एक तार से उन साम्राज्यवादियों पर चोट करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। खादी और इसके कार्यक्रम के पीछे मूल सिद्धान्त, जिसकी गांधी जी ने वकालत की हैं, 'स्वदेशी' हैं अर्थात् अपने देश में उत्पादित वस्तु, 'स्वावलम्बन' का अर्थ है आत्म निर्भरता और 'स्वाभिमान' का अर्थ है ससम्मान गौरव। खादी और ग्रामीण उद्योगों के साथ अर्थ व्यवस्था के विकास को अपना कार्यक्रम माना जाना चाहिए तथा उद्योगों की बढ़ोतरी में खादी और ग्रामीण उद्योगों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। खादी और ग्रामीण उद्योगों में कुल पूंजी निवेश 500 करोड़ रुपये से कुछ अधिक है जबकि सरकारी उपक्रमों में 50000 करोड़ रुपये है।

महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जिनकी संख्या लगभग 300 है, लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार देते हैं जबकि इस सरकारी उपक्रम का 1 प्रतिशत पूंजी निवेश 200 प्रतिशत रोजगार के अवसर दे सकता है। इसी कारण हमें खादी और ग्रामीण उद्योगों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और सरकार ग्रामोन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि इसे अविकसित राज्य के नगरों और एन० आई० सी० क्षेत्र में भी लागू किया जाए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या को शहरी क्षेत्र माना जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि छः क्षेत्रों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करने वाला एक आयोग होगा। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय में ये क्षेत्रीय प्रतिनिधि सभी राज्यों में हों। अभी तक, उड़ीसा को प्रतिनिधित्व करने का कोई भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरे, हम जानते हैं कि 1100 पंजीकृत निकाय तथा 30000 सहकारी समितियां हैं। लेकिन वे वित्त की कमी से समाप्त हो रही हैं। अतः हम और अधिक वित्तीय सहायता देने का आग्रह करते हैं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थानों को अनुदान और ऋण के रूप में पूर्ण वित्त सहायता प्राप्त हो।

महोदय, खादी और ग्रामीण उद्योगों में आर्थिक सहायता आई० आर० डी० पी० के बराबर हो। हम जानते हैं कि कुछ खादी और ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों की आलोचना की जा रही हैं कि उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि विभिन्न खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड के फील्ड विंग को मजबूत बनाया जायें, ताकि कार्यक्रम को अच्छी प्रकार से लागू किया जा सके। इसके अतिरिक्त सभी औद्योगिक बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में एक वैतनिक सचिव होना

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

चाहिए और उसका वेतन खादी और ग्रामीण उद्योग द्वारा वहन किया जाएं ताकि कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि प्रौद्योगिकी सहायता अवश्य की जाए। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिए तथा इसके अतिरिक्त, जनजाति क्षेत्रों में एक क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए, ताकि जनजाति क्षेत्रों में वित्तीय सहायता तथा बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सहायता दी जा सके।

मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खादी और ग्रामीण उद्योगों की गतिविधियों के सन्दर्भ में शीघ्र औद्योगिक साधन क्षमता का सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की एक-एक समिति भेजने के लिए खादी आयोग से निवेदन किया जाए। उड़ीसा में, कालाहाड़ी, कोरापुर, फूलबानी और बोलनगिर क्षेत्र हैं। इनका ध्यान रखा जाये।

खादी आयोग ने सूखे से प्रभावित कुछ राज्यों को 1986-87 में वित्तीय सहायता दी है। लेकिन उड़ीसा को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की अधिक जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा को विशेष सहायता दी जाएं।

मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि पोलीवस्त्र योजना को, जो खादी और ग्रामीण उद्योग के अन्तर्गत आती है उड़ीसा में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और यह सोचा गया था कि योजना को राज्य के सभी 314 ब्लाकों में शुरू किया जाएगा। अभी तक, यह योजना 126 ब्लाकों में शुरू हो चुकी हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 3654 स्त्रियों को रोजगार मिला हुआ है। पहले के कुछ वक्ताओं ने बिक्री समस्याओं के बारे में बताया है। दुर्भाग्य से, तैयार माल आशा के अनुरूप नहीं बिक रहा है। 70 लाख रुपये का पोलिएस्टर वस्त्र उड़ीसा राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड तथा उड़ीसा राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, जो खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की तरफ से पोलिएस्टर वस्त्रों को तैयार कर रहे हैं, की गोदामों में जमा हो गया है। इन दो संगठनों के पास हाथ के कता हुआ सूत भी बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो गया है। 40 प्रति० छूट के बावजूद—20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत खादी आयोग द्वारा—ये वस्त्र हमारी संतुष्टि के अनुरूप नहीं बिक रहे हैं। अतः, भारत सरकार संबंधित संगठनों को इन पोलिएस्टर वस्त्रों को बेचने के लिए विपणन सहायता देने के लिए अनुदेश दे। क्योंकि इसमें बहुत सी महिलाओं को रोजगार मिला हुआ हैं और यह एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में दोनों तरफ के पक्षों के अपने साथियों का खादी और ग्रामीण उद्योग आन्दोलन में रुचि लेने तथा अपने मूल्यवान सुझाव देने के लिए बहुत आभारी हूं। इस सम्मान्नित सभा के अन्तिम दो दिनों में खादी और ग्रामीण उद्योग सशोधन विधेयक पर हुई चर्चाओं से मुझे बहुत जानकारी हुई हैं। मैं उनको शुरू में ही आश्वासन देना चाहूंगा कि मैंने सभी सुझावों को भलीभांति नोट कर लिया है और उनका पालन करने का प्रयास करूंगा।

मुझे याद है कि राज्य सभा ने इस विधेयक पर विचार कर लिया था तथा कुछ संशोधनों के

साथ इसे सर्वसम्मिति से पारित कर दिया था। संशोधन आयोग के गठन से सम्बन्धित था, संगठन के मिशनोन्मुख होने पर जोर दिया गया है जो नौकरशाही व्यवस्था से बिलकुल भिन्न होगा। मैंने नोट किया है कि मेरे विद्वान मित्र तथा वरिष्ठ साथी श्री चटर्जी के सिवाय जिन्होंने एक संशोधन दिया है, इस सभा में सर्वसम्मत विचार था कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग गांवों की बेहतर सेवा करे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक अच्छा संशोधन है, आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री एम० अरुणाचलम् : संशोधन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे ग्रामीण उद्योगों को हमें शहरों में भी शुरू करना होगा। मैं स्वयं इस देश के सुदूर दक्षिण कोने के एक दूरस्थ गांव से आया हूं। मैं गांवों की समस्याओं तथा उनके जीवन के बारे में भली प्रकार से जानता हूं। मुझे यह भी मालूम है कि अगर मौका दिया जाए तो हमारे ग्रामीण लोग उच्च स्तर की दक्षता और पहल शक्ति हासिल कर लेंगे। उनमें प्रतिभा है। हमें सिर्फ प्रतिभा का उपयोग करके मार्ग प्रशस्त करना है।

मैं महात्मा गांधी जी के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं जिन्हें चर्चा के दौरान कई बार याद किया गया था। 'फ्री इण्डिया' में लिखते समय गांधी जी ने दिसम्बर 1929 में कहा था :

"गांवों की सेवा स्वराज की स्थापना है और सब तो स्वप्नवत है।"

महोदय, हमारे अनुभवी व्यक्ति प्रो० रंगा के भाषण की यह मुख्य भावना थी। जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा कि खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र स्व-रोजगार उपलब्ध कराता है जो आत्म सम्मानजनक है, अतः यह और अधिक संतोषजनक तथा लाभदायक है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू के ध्यान में यह बात थी जब उन्होंने फरवरी, 1953 में अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड के उद्घाटन पर बोलते हुए कहा था कि :

> "मसला सिर्फ खादी और ग्रामीण उद्योगों का उन्नति नहीं हैं। इसमें राष्ट्र की प्रगति तथा लोगों का भला निहित हैं। अतः इसे समग्र रूप से लोगों की आम योजना का अंग बनाया जाए।"

महोदय, नये उद्योगों को ग्रामीण उद्योगों की परिभाषा में सम्मिलित करने के लिए यह सभा पूरी तरह से सहमत हैं और यह एक स्वागत योग्य बात है। मेरे मित्र, सर्वश्री रामचन्द्र रेड्डी, दास, कृष्ण अय्यर, व्यास, जंगा रेड्डी, डेनिस, नटराजन, राव तथा अन्यों ने यह महसूस किया है कि हम सीमा को और थोड़ा बढ़ाकर 25000 रुपये अथवा 30,000 रुपये कर सकते थे जैसी कि रामाकृष्ण समिति ने सिफारिश की थी।

महोदय, मैं कहूंगा कि हम कुछ अधिक सतर्कता बरतने के लिए दोषी हैं। हम उस भारी प्रतिक्रिया के प्रति सजग हैं जो परिभाषा में परिवर्तन करने से कारीगरों में उत्पन्न होगी लेकिन हमें उनकी आशाओं को पूरा करने की क्षमता भी उत्पन्न करनी चाहिए। अतः हमने सोचा कि हम इससे कुछ कम 15000 रुपये की सीमा से शुरू करें और जैसे-जैसे हमें अनुभव होगा तथा जैसे-जैसे हमारा संगठन मजबूत होगा, हम सीमा को बढ़ा देंगे। इसी कारण विधेयक में उस अधिसूचना के जरिए सीमा बढ़ाने का उपबन्ध है जिसे इस सभा में रखा जाएगा।

इस सन्दर्भ में मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि सभा में यह मांग की गई है कि खादी और ग्रामीण उद्योगों के लिए आबंटित की जाने वाली राशि को कई गुना बढ़ाया जाए। प्रो० रंगा ने कहा

[श्री एम. अरुणाचलम्]

है कि इस राशि के आवंटन को 10 गुना बढ़ाया जाये। 15,000 रुपये की इस सीमा के कारण भी खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के पास इतनी संसाधनों की कमी आयेगी कि मुझे वित्त मन्त्रालय में अपने साथी तथा योजना आयोग के पास अतिरिक्त धनराशि के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे इस क्षेत्र के लिए अधिक राशि के नियत करने हेतु इस सभा का समर्थन प्राप्त है इसलिए हमें अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है।

वाद-विवाद में उठाए गए अन्य मुद्दों पर बोलने से पहले मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि खादी संस्थाओं को शहरी क्षेत्रों में खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा सहायता तथा प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): केवल मौजूदा इकाइयां।

श्री एम० अरुणाचलम्: हां निःसन्देह। हम शहरी क्षेत्रों में खादी उद्योगों के विषय में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में हम ग्रामीण क्षेत्रों में केवल ग्रामीण उद्योगों पर ध्यान देना चाहते हैं। हमने ग्राम उद्योग कार्यक्रम के जरिए अपने केवलथोड़े से गांवों को शामिल किया है और यह जरूरी है कि हम कम से कम इस शताब्दी के अन्त तक देश के सभी गावों को इस कार्यक्रम में या तो एक-एक करके या समूहों में शामिल कर लें। इस सम्बन्ध में मुझे सभा के कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई एक आशंका का जिक्र करना चाहिए कि प्रस्तावित परिभाषा से किसी गांव को इससे निकाल दिया जाएगा। मैं पुनः सदस्यों का ध्यान विधेयक के शब्दों पर दिलाऊगा। सभी गांव नई योजना में शामिल किए जाने के योग्य होगे। हमने यह कहा है कि गांवों के अतिरिक्त 10000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र या इसी तरह की अन्य संख्या जैसी कि निर्धारित की गई हो, को भी योग्य समझा जाएगा क्योंकि हमने पाया है कि कुछ राज्यों में ऐसे भी नगर और नगर पंचायतें हैं जिनकी जनसंख्या 10000 से भी कम है। महोदय, पुनः हमने इस परिभाषा का राष्ट्रीय ग्रामीण तथा कृषि विकास बैंक अधिनियम में अनुसरण किया है और विधेयक के शब्दों में यह साफ है कि यदि कोई कठिनाई है तो एक इस संख्या को अधिसूचना द्वारा बदल सकते हैं जो कि इस सभा में रखी जायेगी। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यदि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई आती है तो वे हमें बताएं, मैं इस पर तुरन्त कार्यवाही करने का वचन देता हूं।

आंध्र प्रदेश के मेरे मित्र श्री जंगा रेड्डी ने आन्ध्र प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में कुछ अनियमितताओं, भ्रष्टाचार के आरोपों धन के दुरुपयोग के आरोप लगाये हैं। महोदय, उनकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा शासित होते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे की चर्चा राज्य सरकार से करें। यदि वे कोई विशेष उदाहरण देने के लिए तैयार हैं तो हम राज्य सरकार के साथ यह मामला विपक्ष के अपने नेता श्री माधव रेड्डी के जरिए उठाएंगे या मुख्य मन्त्री से सीधे बात करेंगे।

महोदय, कारीगरों की रहन-सहन की स्थिति पर कई बार काफी जिक्र हुआ है। श्री दास, श्री व्यास, श्री चतुर्वेदी, श्री प्रधान, श्री रावत और अन्य सदस्यों ने इसका जिक्र किया है। यह एक प्रमुख समस्या है—जो कि हमारी चिन्ता का कारण है। ग्राम उद्योग क्षेत्र में जो मजदूरी दी जाती है उसे कम से कम कुछ जीवन निर्वाह हो जाता है लेकिन खादी के क्षेत्र में जहां औरतें नौकरी करती हैं मजदूरी अभी तक अपर्याप्त है। अभी दो साल पहले ही हमने कताई करने वालों और बुनकरों की

मजदूरी 25 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक बढ़ाई थी। इससे कीमत बढ़ी और हमने इसलिए स्थाई छूट को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ाया। अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है और इस सभा के समर्थन से मुझे आशा है कि हम अपने कारीगरों की अच्छे ढंग से सहायता कर पाएंगे।

मैंने श्रम मन्त्रालय से श्रम कानूनों के सवाल पर भी चर्चा की है। हमें इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता के साथ-साथ कारीगरों के हितों का भी ख्याल रखना है। इसका हल उत्पादकता बढ़ाने में है और इसी विचार से हमने आयोग में वैज्ञानिकों और प्रोद्योगिकीविदों को शामिल करने का प्रस्ताव किया था।

महोदय, रामाकृष्णय्या समिति ने अपनी रिपोर्ट जो ग्रन्थालय में रखी गई है—के दूसरे भाग में विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के बारे में काफी उल्लेख किया है और अगली सदी के०वी०आई०सी० के लिए एक चुनौती पूर्ण काल होगा क्योंकि उन्हें अपनी गतिविधि बढ़ानी होगी, उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी, उत्पादन के नए साधन शुरू करने होंगे और चाकरी को समाप्त करके तथा मजदूरी के स्तर में वृद्धि करके कारीगरों के जीवन स्तर को बढ़ाना होगा।

अतः जैसा कि माननीय सदस्यों ने पिछले दो दिनों में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि इस सन्दर्भ से आयोग के सदस्यों का चयन बहुत महत्व रखता है।

महोदय, मुझे सदस्यों को आश्वासन देना चाहिए कि सभा के प्रति उत्तरदायित्व होने के नाते यह सुनिश्चित करना मेरा कर्त्तव्य है कि आयोग में नियुक्त किए गए सदस्य खादी और ग्रामोद्योग दर्शन में विश्वास रखते है और वे इस क्षेत्र में कार्यक्रमों का क्रियान्यन करने के योग्य हैं और वे केवल कल्पना की उड़ान भरने वाले नहीं हैं।

महोदय, श्री कृष्ण अय्यर ने जानना चाहा है कि क्या सरकार ने रामकृष्णय्या समिति की सभी सिफारिशों को मान लिया है। महोदय, हमने समिति की रिपोर्ट जो कि जून 1986 में पेश की गई थी, के पहले भाग में दी गई सभी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, और यह विधेयक दिसम्बर, 1986 में पुनःस्थापित किया गया था—रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर। महोदय, इससे पता चलता है कि हमने रिपोर्ट कितनी गम्भीरता तथा वचनबद्धता के साथ तैयार की। दूसरा भाग इस वर्ष फरवरी में प्राप्त हुआ है और उस पर गौर किया जा रहा है। यह रिपोर्ट प्रायः के० वी० आई० सी० की आन्तरित व्यवस्था से सम्बन्धित है—और इसमें आयोग के कार्य में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा की गई है तथा इससे अधिनियम में आगे संशोधनों की कोई आवश्यकता भी न पड़े।

इस क्षेत्र में विपणन सम्बन्धी समस्याओं का जिक्र था। परसों मैं गांधी जी की 'एक्सपेरीमेन्टस विद् ट्रुथ' की कहानी पढ़ रहा था और मैंने पाया कि जब उन्होंने खादी आन्दोलन आरम्भ किया तब गांधी जी को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पहले तो सूत को प्राप्त करना ही मुश्किल था और अन्ततः जब खादी के पहले टुकड़े का निर्माण किया गया तो उन दिनों इसकी कीमत प्रति गज 17 आना पड़ी और यह बहुत मोटा था।

यहां मैं गांधी जी को उद्धृत करता हूं :

> "मुझे इस बहुत मोटी खादी को उस भाव पर उन मित्रों को देने में हिचकिचाहट नहीं हुई जिन्होंने स्वेच्छा से कीमत चुकाई।"

[श्री एम. अरुणाचलम्]

लेकिन हम खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों को केवल भावनात्मक आधार पर ही नहीं बेच सकते हैं। वह उस किस्म की होनी चाहिए जैसी कि मेरे विद्वान साथी श्री महाजन जी ने सभा में कहा था। उन्हें उपयुक्त रूप से प्रतिस्पर्धा योग्य होना चाहिए। हमारी एक अच्छी विपणन नीति होनी चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए समिति ने रिपोर्ट के दूसरे भाग में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत एक अलग विपणन निगम स्थापित करने की सिफारिश की है। हमें अभी तक इस पर अन्तिम रूप से विचार करना है परन्तु माननीय सदस्यों ने नोट किया होगा कि विधेयक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अलग संगठनों की स्थापना और रख-रखाव करने की व्यवस्था है।

श्री रावत जी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की संस्थाओं की सहायता बढ़ाने के लिए बैंककारी क्षेत्र के सहयोग का जिक्र किया है। पिछले 2-3 वर्षों में हमने बैंककारी क्षेत्र का सहारा लिया है —और इसका परिणाम अच्छा रहा है। 1979-80 में यह 7.75 करोड़ रुपये से बढ़कर 1985-86 74.34 करोड़ रुपए हो गई है।

जैसा कि प्रो० रंगा जी ने कहा है कि अन्य कार्यक्रमों के एकीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। हमने पहले ही कुछ जिलों में, इस दिशा में एक कदम उठाया है। हम आने वाले वर्षों में इसका विस्तार करने की आशा करते हैं।

मैंने इस बहुत अधिक शिक्षाप्रद वाद-विवाद में उठाए गए सभी मुख्य मुद्दों को शामिल करने की कोशिश की है। यदि मैंने किसी मुद्दे विशेष का किसी खास वजह से जिक्र नहीं किया है तो इसलिए नहीं कि यह कम महत्व का है लेकिन इसलिए कि मैं पहले ही माननीय सदस्यों का काफी समय ले चुका हूं। जो कुछ मैंने कहा है—उसे ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि सदस्य अपने संशोधनों के लिए जोर नहीं देंगे।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई): कर्मकारों के लिए शिशु देखभाल और प्रभूति कल्याण की व्यवस्था करने के बारे में क्या किया जा रहा है?

श्री एम० अरुणाचलम: मैं उसकी बात करूंगा।

प्रधान मन्त्री ने 1987-88 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था:

> "हमने शहरी गरीबों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। मैंने व्यापक रूप से दौरा किया है—और अपने देश के अत्यधिक पिछड़े तथा दूर-दराज के गांवों में किए जा रहे कार्य को देखा है। लोगों से आमने-सामने बात करते हुए, मैं जानता हूं कि कितना अधिक कार्य और किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि हम गरीबी के विरुद्ध अपने संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं।"

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो संशोधन हम आपके समक्ष लाए हैं—वह केवल उस आश्वासन की पूर्ति है—जो हमारे प्रिय प्रधान मन्त्री ने दूर-दराज के गांवों के लोगों को दिया था।

मैं अपना भाषण पंडित जवाहर लाल नेहरू के एक उद्धरण से समाप्त करना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं:

"मेरे अपने मन में एक विचार प्रतिदिन आता रहता है—कि वह मापदण्ड जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक देश की आर्थिक प्रगति को माप सकता है, रोजगार जुटाना है—। हम एक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। एक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है —जहां प्रत्येक नागरिक एक साझीदार है और इसके लाभों तथा उत्तरदायित्वों पर उसका समान रूप से साझा है—। नागरिक को यह समझना चाहिए कि वह वास्तव में राज्य का एक सहभागी है—। लोगों को पूरा रोजगार मिलना चाहिए। एक राज्य कल्याणकारी राज्य कैसे हो सकता है—यदि लोगों को रोजगार न मिल सके? बेरोजगारों के लिए कल्याणकारी राज्य का कोई अर्थ नहीं है।"

महोदय, सदन के समक्ष यह विधेयक इस दिशा में, इस देश के नागरिकों को रोजगार दिलाने की दिशा में एक कदम है।

मैं सभा के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन देने की तथा करतल ध्वनि से इसे पारित करने की अपील करता हूं। हमारी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था :—

"खादी और ग्रामोद्योग देश के लिए न केवल आवश्यक हैं—अपितु महत्वपूर्ण हैं और मैं आशा करती हूं कि आजमाये और परखे गए कर्मचारियों के अतिरिक्त युवा पीढ़ी भी रचनात्मक कार्य के इस क्षेत्र में रुचि विकसित करेगी।"

हमारा उन्हें याद करना केवल तभी सार्थक होगा जब हम आज इस विधेयक को पारित कर देंगे क्योंकि हम ग्रामोद्योग खोल रहे हैं—ताकि इसमें युवा पीढ़ी को शामिल किया जा सके।

जहां तक माननीय महिला सदस्य श्रीमती फूलरेणु गुहा द्वारा उठाए गए मुद्दे का सम्बन्ध है। मैं सूचित करना चाहूंगा कि हमने इस मामले को श्रम मन्त्रालय के साथ उठाया है। श्रम मन्त्रालय ने श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी हम इसका अध्ययन करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री सोमनाथ चटर्जी, क्या आप खंड 2 में अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, हां। मैं अपने संशोधन पेश करता हूं। चूंकि चार संशोधन हैं अतः मुझे इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप खंड 2 में अपने तीन संशोधनों को प्रस्तुत करें।

खण्ड 2—(धारा 2 का संशोधन)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2—

(एक) पंक्ति 5,

"नगर" के पश्चात् "या शहर, महानगर के सिवाय" अन्तःस्थापित किया जाए।

(दो) पंक्ति 6 और 7,

"जिसकी जनसंख्या 10 हजार या ऐसी अन्य संख्या से अधिक नहीं है जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे" का लोप किया जाये। (4)

पृष्ठ 2—

पंक्ति 10 से 29 का लोप किया जाए। (5)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 15 से 19,—

"और जिसमें प्रतिशिल्पी या कर्मकार नियत पूंजी विनिधान पन्द्रह हजार या ऐसी अन्य राशि से अधिक नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" का लोप हो जाए। (6)

महोदय, अपने संशोधनों पर बोलने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आयोग में कितने सदस्य होंगे। मैं विशेषतौर पर यह प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि जो विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है उसमें सदस्यों की संख्या 12 दी गई है। अब यह दस हो गई है। क्या इसमें जानबूझ कर परिवर्तन किया गया है अथवा यह मुद्रण में हुई गलती है ?

दूसरे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह विधेयक हमारी अर्थव्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र से सम्बन्धित है, जिसमें ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्र शामिल है। स्वयं मन्त्री महोदय ने कहा है कि गरीबी के विरुद्ध हमारे संघर्ष में यह एक साधन है। उन्होंने प्रधान मन्त्री के नाम का भी जिक्र किया है। निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष बहुत आवश्यक है और इस दिशा में खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संविधान के अनुच्छेद 78 की व्याख्या करना। जैसाकि आप जानते हैं अनुच्छेद 78 के 3 उप-अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 78 का सच्चा अर्थ क्या है ? इस सम्बन्ध में देश में एक विवाद चल रहा है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसका क्या औचित्य है ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे इतने निराश क्यों हैं ? क्या 'भारत का संविधान' शब्द असंसदीय हैं ? उनको इतनी चिढ़ क्यों हैं ? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध में वे अनुच्छेद 78 की व्याख्या कैसे करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम नहीं जानते हैं कि राष्ट्रपति ने क्या प्रश्न पूछे हैं।

श्री एम० अरुणाचलम : मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इसका खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम से क्या मेल है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस क्षेत्र द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह बहुत सम्भव है कि राष्ट्रपति कुछ जानकारी मांग लें। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके आप इस विधेकक तथा अपने संशोधनों तक ही सीमित रहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : वह राष्ट्रपति जी के प्रति अनादर व्यक्त कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल संशोधन पर ही बोलिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा, महोदय। क्या रारत के राष्ट्रपति असंसदीय है? क्या भारत का संविधान असंसदीय है? मैं क्या कर सकता हूं? मुझे आपके सामने झुकना होगा। यह संशोधन क्या है? माननीय मन्त्री जी कहते हैं "15,000 से कम जनसंख्या वाला कोई भी गांव तथा कस्बा इसमें शामिल होगा···

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : दस हजार।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं ठीक करता हूं—दस हजार से कम। क्या मन्त्री जी यह कह सकते हैं कि गरीब लोग केवल गांवों में ही रहते हैं? शहरी क्षेत्रों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी गरीब लोग हैं। हम नहीं जानते हैं। श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह के राज्य से बाहर आने वाले इतने अधिक लोगों को—आजीविका के साधन प्रदान करने होंगे। (**व्यवधान**)

मेरे कहने का अर्थ है हम परवाह नहीं करते हैं। हम बहुत खुश हैं। वे पश्चिम बंगाल में खुश हैं। कोई साम्प्रदायिक गड़बड़ी नहीं है, जातीय गड़बड़ी नहीं है, जनजातीय समस्या नहीं है तथा कोई कानून व्यवस्था सम्बन्धी समस्या नहीं है। प्रजातांत्रिक अधिकार है। कोई निरोधक नजरबन्दी नहीं है। किसी तरह की पुलिस मौजूद नहीं है। इसलिए लोग यहां आने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि वे सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ नहीं रह सकते हैं और जब तक···(**व्यवधान**)

उन्होंने कलकत्ता का जिक्र क्यों किया? मुझे उन्हें जवाब देना है।

इसलिए, मैं यह कह रहा हूं कि यदि उद्देश्य गरीबी दूर करना है, क्योंकि वह सभापति हैं, उन्हें स्वयं को रोकना चाहिए···

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह एक सदस्य के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। क्या किया जाए?

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी दिन वह आपत्ति प्रकट करेंगे और अध्यक्ष पीठ से ही वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। तब समस्या होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से वह अध्यक्ष भी बन सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं कि गरीबी दूर करने तथा निर्धन लोगों को इतने महत्व का एक उद्योग शुरू करने, जिस पर यहां विचार किया जा रहा है, पर बल दिया जा रहा है तो इसे केवल 10,000 तक ही क्यों सीमित रखते हैं?

मुझे विश्वास है कि श्री सन्तोष मोहन देव जिनका निर्वाचन क्षेत्र सिलचर है जिसमें बहुत से गरीब लोग हैं। उन लोगों के लिए भी उद्योग शुरू करने के लिए वे इस बात का समर्थन करेंगे यानि खादी और ग्रामोद्योग। परन्तु इसे सीमित क्यों रखा जाए ? महोदय, वे नहीं बोल सकते हैं। उनका मुंह बन्द हो गया है। उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। केवल हम बोल सकते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बात कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए, मैं यह कह रहा हूं कि इसमें शहरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मैंने महानगरों को शायद इसलिए छोड़ दिया कि मन्त्री जी को उनसे चिढ़ है। परन्तु आप अन्य संशोधनों को स्वीकार कीजिए, यानि इसमें शहरों को शामिल किया जाना चाहिए। और फिर इस उपबन्ध को हटाने के लिए आवश्यक उपसाध्य का प्रयोग किया जा रहा है। प्रतिबन्ध लगाने की क्या आवश्यकता है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती है। यदि आपका उद्देश्य विधेयक के क्षेत्र को व्यापक बनाना है, ताकि देश के विभिन्न भागों में अधिकाधिक "उद्योगों की स्थापना की जा सके, तो आप इस विधेयक में एक प्रतिबन्धात्मक उपबन्ध क्यों बना रहे रहे हैं ? इसलिए, हम यह नहीं चाहते हैं। हम सहमत नहीं हैं। जब यह अधिनियम नहीं था तो इस विधेयक में प्रतिबन्धात्मक उपबन्ध रखने का मूल आधार क्या है, हमारी समझ में नहीं आता है। जैसा कि परिभाषित किया गया है खादी और ग्रामोद्योगों का कार्य—क्षेत्र वर्तमान अधिनियम में प्रतिबन्धात्मक कार्य क्षेत्र की तुलना में व्यापक क्यों है ? बेशक वे इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यह लिखित उत्तर में नहीं है।

दूसरे, अन्य महत्वपूर्ण बात ग्रामोद्योगों की परिभाषा के सम्बन्ध में है। निःसन्देह आप इससे सम्बन्धित हैं। मेहरबानी करके ग्रामोद्योगों की परिभाषा पर ध्यान दीजिए। महोदय, मैं जानता हूं कि आपको इसकी जानकारी है। क्या मैं आपको याद दिला सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, आप बताइए। यह सबको मालूम है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, महोदय। कृपा करके इसे देखिए। परन्तु अब वे इसे कैसे तोड़-मरोड़ रहे हैं ?

'ग्रामोद्योग' से अभिप्राय है :

> "सभी या कोई उद्योग जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उसमें कोई अन्य उद्योग शामिल है जो अधिसूचना द्वारा अनुसूची विनिर्दिष्ट किया गया माना गया हो।"

यह धारा 3 के अन्तर्गत है। यह वर्तमान कानून है। वह यह करना चाह रहे हैं कि भविष्य में शहरी अथवा अर्ध-शहरी या छोटे कस्बों में स्थापित किए जाने वाले सभी उद्योगों को शामिल नहीं कर रहे हैं। इस परन्तुक में केवल चालू प्रावधान को ही शामिल किया गया है। परन्तु इस विधेयक के क्षेत्र में शहरों में कोई भी नया उद्योग नहीं आएगा। यह किसके फायदे के लिए किया जा रहा है? हमारी समझ में यह बात नहीं आती है। सामान्यतया, मूल उद्देश्य हमारी अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को मजबूत बनाना है जो वास्तव में नौकरियों का सृजन कर सकता है, जो वास्तव में लोगों की सहायता कर सकता है और

जो वास्तव में गरीबी मिटाने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम बन सकता है। परन्तु आप उन्हें क्रियान्वित कैसे कर रहे हैं? यदि आपका विचार इसे अधिकाधिक प्रतिबन्धात्मक बनाने का है तो यह लोगों तथा देश की भलाई के लिए नहीं हो सकता है। यही कारण है कि मैंने यह सुझाव दिया है कि इसे उद्योगों तक ही सीमित कर देना चाहिए जैसा कि ग्रामोद्योगों के अर्थ के प्रथम भाग में दिया गया है। इसके बाकी भागों में संशोधन कर दिया जाना चाहिए।

मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मेरा संशोधन संख्या 6 संशोधन संख्या 5 का विकल्प है। यदि वे संशोधन संख्या 5 को स्वीकार नहीं करते हैं तो कम से कम उन्हें संशोधन संख्या 6 को स्वीकार करना चाहिए, ताकि यह कानून अधिक प्रभावी बन सके, यानि यह विधेयक गरीबी दूर करने में या गरीबी दूर करने की कोशिश में एक अधिक प्रभावी साधन बन सके—जब तक वे सत्ता में रहेंगे यह जारी रहेगी, हमें कोई सन्देह नहीं है; परन्तु फिर भी गरीबी दूर करने का एक बहाना होना चाहिए; परन्तु जब तक वे सत्ता में हैं गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है।

श्री एम० अरुणाचलम् : यद्यपि यह बात उनके संशोधन के संगत नहीं है, मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग में 10 सदस्य होंगे—6 गैर-सरकारी सदस्य होंगे, 2, विशेषज्ञ···

श्री सोमनाथ चटर्जी : उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में कहा गया है कि 12 सदस्य होंगे। (व्यवधान)

श्री एम० अरुणाचलम् : मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए। (व्यवधान) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वित्तीय सलाहकार दोनों सरकारी सदस्य हैं। उनको मतदान का अधिकार नहीं है। विधेयक में यह बात स्पष्ट है। संशोधन पर आ रहा हूं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह समस्या है। मन्त्री जी के पास उद्देश्यों तथा कारणों के कथन को पढ़ने का समय नहीं है। उसमें कहा गया है :

> "आयोग के ग्रामोद्योगों के बढ़ाने में नये उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए आयोग को सुदृढ़ करने और अधिकतम सदस्य संख्या को बढ़ाकर बारह करने का प्रस्ताव है।"

और जो विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया है उसमें 12 सदस्यों का प्रावधान है। मैं पूछता हूं कि अचानक इसे बढ़ाकर 10 क्यों कर दिया गया है। महोदय, आपने मुझे यह पूछने की अनुमति नहीं दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे 12 से घटा कर 10 क्यों कर दिया गया है, जब कि इनके उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में कहा गया है कि ये 12 होंगे। (व्यवधान)

श्री एम० अरुणाचलम् : राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद इस विधयक को प्रस्तुत किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने यह क्यों किया है?

श्री एम० अरुणाचलम् : यह राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह जबाब है? क्या राज्य सभा में यही सरकारी संशोधन था? (व्यवधान)

श्री एम० अरुणाचलम् : यह राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन है। मैं यह बात पुनः दोहरा रहा हूं कि यह संशोधन राज्य सभा में किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य सभा में किया गया था; बस।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो बात उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में निहित है उसमें उन्होंने क्यों बदल दिया ? मन्त्री जी कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सभा में उन्होंने संशोधन किया है। वे यह कह चुके हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे क्या कह चुके हैं ? क्या वह सरकारी संशोधन था या गैर-सरकारी संशोधन था जिसे स्वीकार किया गया था ?

श्री एम० अरुणाचलम् : मेहरबानी करके राज्य सभा की कार्यवाही का अध्ययन कीजिए। आपको ज्ञात हो जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मन्त्री महोदय का उत्तर है···

श्री एम० अरुणाचलम् : शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के प्रति माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को मैं समझता हूं। परन्तु मुझे अशंका है कि जहां तक ग्रामोद्योगों का सम्बन्ध है, भविष्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को गांवों पर ध्यान देना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने ध्यान दिया होगा कि किसी भी नगर में खादी उद्योगों के आवंटन के लिए वर्तमान निर्धारण व्यवस्था को हम किसी भी तरीके से नहीं छोड़ रहे हैं। वर्तमान में देश में 6 लाख गांवों में से 1.5 लाख गांवों में ही खादी और ग्रामोद्योग कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए कोई औचित्य नहीं है कि वह शहरी क्षेत्रों में इकाइयों की सहायता करे। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की संस्थागत वित्त के लिए बेहतर पहुंच है। इस विधेयक से खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामीण औद्योगीकरण पर अधिक ध्यान दे सकेगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस ले लेंगे। अन्यथा, हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन्हें वापस नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 4,5,6, सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 से 6 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 5—(धारा 5 और 6 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

"पंक्ति 42 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(च) यदि वह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा किसी राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सहायता अथवा मान्यता प्राप्त खादी और/अथवा ग्रामोद्योग संस्था या सहकारी समिति का न्यासी/पदाधिकारी है।" (1)

[हिन्दी]

मेरा अमेंडमेंट यह है कि—

[अनुवाद]

"6. किसी भी व्यक्ति को आयोग के सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया जाएगा..."

[हिन्दी]

उसके नीचे सब-क्लाज ए से ई तक दिया हुआ है कि ये लोग डिसक्वालिफाई होंगे। इसमें मैं "एफ." जोड़ना चाहता हूं, ऐसे लोग डिसक्वालिफाई होने चाहिए, जिनको कि वैस्टेड इंटरैस्ट है। वैस्टेड इन्टरैस्ट वाले कौन से लोग हैं—

[अनुवाद]

यदि वह खादी ग्रामोद्योग आयोग अथवा किसी राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सहायता अथवा मान्यता प्राप्त खादी और/अथवा ग्रामोद्योग संस्था या सहकारी समिति का न्यासी/पदाधिकारी है।

[हिन्दी]

मैंने यह अमेंडमेंट इसलिए दिया है कि ऐसे वैस्टेड इन्टरैस्ट वाले लोगों को कमीशन का मैम्बर बना दिया जाए, तो वे इन्स्टीचूशन की ज्यादा मदद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सी खादी और विलेज इण्डस्ट्रीज में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं और उनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। जो गड़बड़ी वाले इन्स्टीचशन के लोग हैं, अगर इस संस्था के कमीशन के मैम्बर बन जाएंगे, तो अपनी संस्था को बचाने के लिए कई प्रकार के काम करेंगे। इसलिए ऐसे आदमियों को मैम्बर नहीं बनाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम् : मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि खण्ड 6(क) से (ङ) से वही उद्देश्य पूरा होगा जो माननीय सदस्य इस संशोधन के माध्यम से चाहते हैं। इसमें वे सभी स्थितियां हैं, जहां सदस्यता समाप्त हो जाती है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं?

श्री गिरधारी लाल व्यास : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 से 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 9 (धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 9, श्री गिरधारी लाल व्यास का संशोधन है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

[हिन्दी]

फंक्शन्स में मैं यह जोड़ना चाहता हूं।

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(टट) खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं/सहकारी समितियों, जिनमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग की निधि प्रत्यक्षतः अथवा उसके किसी अभिकरण के माध्यम से अन्तर्ग्रस्त है, द्वारा काम पर लगाए गए कर्मकारों/कारीगरों के शोषण के विरुद्ध उनके हित का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा उनके नियोजन की युक्तियुक्त शर्तें सुनिश्चित करना।" (2)

मैं, खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं/सहकारी समितियों, जिनमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विधि प्रत्यक्षतः अथवा उसके किसी अभिकरण के माध्यम से अन्तर्ग्रस्त है, द्वारा काम पर लगाए गए कर्मकारों/कारीगरों के शोषण के विरुद्ध उनके हित का संरक्षण सुनिश्चित करने तथा उनके नियोजन की युक्तियुक्त शर्तें सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन रख रहा हूं।

[हिन्दी]

मेरा मकसद यह है कि जैसा कि मन्त्री जी ने भी कहा है कि जो खादी की संस्थाएं हैं, वे आर्टीशन्स को और कतवारिन वगैरह को तीन, तीन और चार, चार रुपये देती हैं जब कि मिनीमम वेज 11, 11 रुपये तक है। ऐसी अवस्था में इनके प्रोटेक्शन की पावर अगर कमीशन को नहीं देंगे, तो ठीक नहीं होगा। कतवारिन और आर्टीशन्स को मिनीमम वेज दिया जाए और इसके सम्बन्ध में कोई कानून बनाया

जाए। ऐसी हालत में वह पावर कमीशन को मिलनी चाहिए ताकि इन लोगों के इन्ट्रैस्ट्स की देखभाल वह कर सके और किसी प्रकार का विक्टेमाइजेशन न हो। इनका शोषण न हो, इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। 40 लाख लोग इसमें लगे हुए हैं और उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है और उनका जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी नम्र प्रार्थना है कि इस मेरे एमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया जाए और कमीशन को आप पावर दीजिए ताकि 40 लाख मजदूरों को पूरा पैसा मिल सके और इन संस्थाओं द्वारा जो उनका शोषण हो रहा है, वह समाप्त हो। यह मेरा एमेंडमेंट है और इसको आप स्वीकार करेंगे, यह मैं आशा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम् : माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है वह खादी और ग्रामीण उद्योग में लगे मजदूरों और कारीगरों के हितों के संरक्षण के बारे में है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम मन्त्रालय को इस मामले की गम्भीरता का पता है और मैंने श्रम मन्त्रालय से खुद इस मामले को उठाया है। श्रम मन्त्रालय ने एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है जो खादी और ग्रामोद्योगों पर लागू होने वाले विभिन्न श्रमिक कानूनों का अध्ययन करेगा और यह सुझाएगा कि उन कानूनों के क्रियान्वयन में किस प्रकार से, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, सुधार किया जा सकता है। जैसी ही अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा हम इस मामले को पुनः श्रम मन्त्रालय से उठाएंगे। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री गिरधारी लाल व्यास द्वारा रखे गए संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 14 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 15 (धारा 27 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 15 में श्री गिरधारी लाल व्यास का संशोधन है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(2ख) आयोग या उसके किसी अभिकरण से सहायता प्राप्त खादी संस्थाओं/

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

> सहकारी समितियों के ऐसे किसी न्यासी/पदाधिकारी या व्यक्ति, जिन्हें दुर्विनियोजन, परिहार्य हानियों और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लक्ष्यों के विरुद्ध धन के व्यय के लिए जिम्मेदार पाया गया हो, के विरुद्ध समुचित कार्यवाही, जिसमें कानूनी कार्यवाही भी सम्मिलित है, करने तथा उन पर नियन्त्रण रखने के लिए आयोग को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होगी।" (3)

मैं कहना चाहता हूं कि आयोग को या उसके किसी अभिकरण से सहायता प्राप्त खादी संस्थाओं/सहकारी समितियों को ऐसे किसी न्यासी/पदाधिकारी या व्यक्ति, जिन्हें दुर्विनियोजन, परिहार्य हानियों और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लक्ष्यों के विरुद्ध धन के व्यय के लिए जिम्मेदार पाया गया हो, के विरुद्ध समुचित कार्यवाही, जिसमें कानूनी कार्यवाही भी सम्मिलित है, करने तथा उन पर नियन्त्रण रखने के लिए आयोग को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

[हिन्दी]

इस प्रकार की शिकायतें रात-दिन आती रहती हैं और उसके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है कमीशन को। इसलिए मैं चाहता हूं कि कमीशन को इस प्रकार का अधिकार देना चाहिए। कोई भी संस्था इनकी रकम की गड़बड़ कर दे या इनके द्वारा दी हुई सहायता को मिसएप्रोप्रियेट कर दे, तो इस प्रकार के लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए इस बिल के जरिए खादी कमीशन को अधिकार देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि खादी कमीशन के हाथ मजबूत हों और उसके फंड लोगों में ठीक प्रकार से डिस्ट्रिब्यूट हों। लोगों को ठीक प्रकार से एम्पलाएमेंट मिल सकें और आपके जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो सके। इन सबको देखते हुए यह अमेंडमेंट बहुत आवश्यक है। अगर आपने यह अमेंडमेंट स्वीकार नहीं किया तो मिसएप्रोप्रिशन और फण्ड के घोटाले बराबर चलते रहेंगे और उन्हें यह कमीशन रोक नहीं पाएगा। मुझे आशा है कि मन्त्री जी मेरे इस अमेंडमेंट को तो स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम् : इस संशोधन का उद्देश्य आयोग के धन की रक्षा के साथ-साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों के हितों की रक्षा करना है। अतः हमें इस प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिए। तथापि, इस पर अब विचार नहीं किया जा सकता। अगर आवश्यक हुआ तो, बाद में हम एक उपयुक्त संशोधन लाएंगे, जिसमें माननीय संसद सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाएगा। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपने संशोधन को स्वीकार करने के लिए जोर न दें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए श्री गिरधारी लाल व्यास को सभा की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 3, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 से 17, विधेयक का अंग बनें ?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 से 17 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम० अरुणाचलम् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : चर्चा आरम्भ करने से पूर्व हम जानना चाहते हैं कि क्या चर्चा कल भी जारी रहेगी या अन्य विषय लिए जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें अपनी यात्रा उसी के अनुसार तय करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हमें कल नहीं बैठना होगा। तो आज देर तक बैठकर इसे समाप्त करेंगे; अन्यथा यह कल भी जारी रहेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : सामान्य प्रक्रिया यह है कि सभा को पहले ही बता दिया जाता है कि सभा का सत्र बढ़ाया जाएगा या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : लोगों को जाना भी है। उन्हें पता होना चाहिए कि बैठक होगी या नहीं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : कल भी सभा की बैठक होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा को यह स्वीकार होगा कि सभा की बैठक एक दिन और और बढ़ा दी जाए।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

प्रो० मधु दण्डवते : कार्य मन्त्रणा समिति के न होने पर संसदीय कार्य मंत्री सभा को सभा के कार्य के बारे में सूचित करता है। हम जानना चाहते हैं कि कल की बैठक की विषय-सूची क्या होगी ?

श्रीमती शीला दीक्षित : आज जो भी कार्य बच जायेंगे, उस पर कल चर्चा की जायेगी। कल की कार्य सूची में दो-तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को लिया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या पंजाब पर चर्चा भी होगी ?

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं कह नहीं सकती।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी नहीं हुई है। वे हमेशा सदस्यों की जानकारी के बिना सभा का कार्यकाल बढ़ाते हैं (**व्यवधान**)।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या चल रहा है ? हर बार शाम को वे कहते हैं कि इसे बढ़ा दिया गया है।

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, अगर मुझे ठीक से याद है तो, इन्होंने अध्यक्ष महोदय से पंजाब पर चर्चा कराने का निवेदन किया था। वह उसे भी ले रहे हैं। मैं अगले 25 मिनट में माननीय सदस्यों को बता सकूंगी कि क्या होने जा रहा है क्योंकि मुझे अभी बताया गया है कि कल भी सभा की बैठक होगी। अगर वे मेरे साथ सहयोग करें तो मैं अगले 10-15 मिनट में बता दूंगी कि क्या होने जा रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : अनुच्छेद 78 पर दिए गए प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं यह अभी आपको नहीं बता सकती ···(**व्यवधान**)

श्री पी० कुलनदईवेलू : मेरा निवेदन यह है कि अगर कल सभा की बैठक होती है तो हमें कल इस मामले पर सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : अब पहले ही 5.20 हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 40 मिनट चर्चा करेंगे और उसके बाद कल इसे शुरू में लेंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलू : अब केवल एक या दो सदस्य बोल पायेंगे, बस।

उपाध्यक्ष महोदय : कल यह सबसे पहली मद होगी। वे कल बोल सकते हैं। हम कल जारी रखेंगे।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक समस्या है। मुझे अब बाहर जाना है। अतः, कृपया कल जारी रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपकी समस्या है। मैं क्या कर सकता हूं, श्रीमन् ?

श्रीमती शीला दीक्षित : इसे कल तक जारी रखा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती, अब आप बोलें···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : हर बार वे सभा का सत्र बढ़ा देते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं

संसदीय कार्य मन्त्री की बात कर रहा हूं। वे इसी तरह बढ़ाते रहते हैं। हमारे कार्यक्रम इत्यादि बने हुए हैं। कल फिर इसे बढ़ा दिया जायेगा ; हमें नहीं मालूम किस उद्देश्य से इसे बढ़ाया जा रहा है और विषय सूची में से उन विषयों को भी छोड़ दिया गया है। यह क्या है ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभा को किस प्रकार तदर्थ तरीके से चलाया जा रहा है।···(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : लोगों का कोई ख्याल ही नहीं है···(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, जिस तरह से हमारे साथ तदर्थ रूप से व्यवहार किया जा रहा है तथा लोक सभा की बैठकों और इसके कार्य के प्रति जिस प्रकार का उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है उस पर आप टिप्पणी करें। आप पीठ से अवश्य टिप्पणी करें। यह एक बहुत ही तदर्थ तरीका है। हमें नहीं मालूम। इसे दिन-ब-दिन जारी रखा जा रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या हम कैजवल मजदूर हैं जिन्हें प्रतिदिन के हिसाब से रखा हुआ है ? यह क्या है ? इस तरह से कभी नहीं हुआ।···(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : अभी तक हमें नहीं मालूम कि कल का कार्य क्या होगा। यह एक बहुत ही तदर्थ तरीका तथा लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण है जो इस सभा के कार्य के प्रति अपनाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम देखेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप इस प्रतिष्ठित पीठ पर आसीन हैं, अतः जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस पर आपको टिप्पणी करनी चाहिए···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति है। उन्हें···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : कोई कार्य मंत्रणा समिति नहीं है···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों की भावनाओं को मन्त्री तक पहुंचा दूंगा···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदय तक सदस्यों की भावनाएं पहुंचा दी हैं। वे आपकी आपत्ति पर ध्यान रखेंगी···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मन्त्री पीठ की अनदेखी कर रहे हैं। इस प्रकार वे निरंकुश तरीके से कार्य नहीं कर सकते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आप तटस्थ हैं। आप अपना निर्णय दीजिए। क्या सभा चलाने का यही तरीका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। मैंने आपकी भावनाओं को मन्त्री तक पहुंचा दिया है। कुछ शीघ्रता हो सकती है, मैं पता लगाऊंगा।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, आपको हमारे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, निश्चय ही।

प्रो० मधु दण्डवते : हम राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं···(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : कम से कम उन्हें हमें कल के कार्य के बारे में बताना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह सूचित करेंगी। 10-15 मिनट में वह सूचित करने वाली हैं। उन्होंने पहले ही यह बता दिया है। महोदया, 15 मिनट के पश्चात आप इन्हें कल की विषय-सूची के बारे में बताने का प्रयास करें।

श्री अमल दत्त : इतना महत्वपूर्ण विषय···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदया को बता दिया है। वह सूचित करेंगी। चिन्ता मत करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सोचा कि तदर्थवाद ही सरकार की एकमात्र विशेषता थी लेकिन यह विशेषता इस सभा की भी हो गयी है।

श्री अमल दत्त : महोदय, ऐसी स्थिति में हमें अनुच्छेद 78 पर चर्चा करने दें। यह कार्य पहले ही रखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय ने इसे अनुमति दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे कि क्या सम्भव है। मन्त्री महोदया पता लगाएंगी। महन्ती जी आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

5.25 म० प०

श्रीलंका में हिंसात्मक घटनाओं में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : श्रीलंका में आज क्या हालत है ? अगर आप ध्यान से देखें तो शायद मानव सभ्यता पीछे की तरफ मार्च कर रही है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति।

श्री बृजमोहन महन्ती : श्रीलंका में आज क्या स्थिति है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आप तिवारी जी का स्थान ले रहे हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : मुझे नहीं मालूम कि इस शब्द पर किसी सदस्य का एकाधिकार हो गया है।

श्रीलंका में स्थिति खतरनाक चल रही है। यह न केवल खतरनाक है बल्कि प्रत्येक यह भी महसूस करता हूं कि जैसे मानव सभ्यता पीछे मार्च कर रही है। आज क्या स्थिति है ? जयवर्द्धने सरकार नागरिकों के खिलाफ सेना और वायु सेना का प्रयोग कर रही है। यह आम स्थिति नहीं है। कहीं पर भी नागरिकों के खिलाफ सेना और वायु सेना का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहीं नहीं, आर्थिक प्रतिबन्ध तथा संचार प्रतिबन्ध लगा हुआ है। उग्रवादियों को सजा देने के लिए, सारी जनता को, जिसमें आम नागरिक भी हैं, उनकी आर्थिक तथा संचार आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

यह काफी नहीं है। जहां तक तमिल जनसंख्या का सम्बन्ध है, वे सुरक्षित नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब है, उग्रवादियों के अतिरिक्त, आम जनता की सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं है।

वर्ष 1986 में ही, 2000 लोगों को मारा गया था। उनमें से अधिकतर तमिल हैं। यह मैं भारत सरकार के कथन के अनुसार ही बता रहा हूं। 1,30,000 तमिल लोग जो वहां से भाग कर आए हैं, वे भारत में हैं। यह भारत सरकार के हिसाब के अनुसार हैं। यहां की स्थिति की कल्पना करें। 21 अप्रैल को कोलम्बों में नर संहार हुआ। हालांकि भारत सरकार ने इसकी निन्दा की है। आम धारणा यह है कि, शायद, उग्रवादियों ने यह किया है। लेकिन वास्तव में, इसे इजारायली मोसाद ने किया है। यह मेरा कहना नहीं है। मैं श्रीलंका फ्रीडम पार्टी सदस्यों के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं। उनका कहना है :

> "जबकि संसद के कुछ एस० एल० एफ० पी० सदस्य सन्देह करते हैं कि यह निन्दनीय कार्य एक आन्तरिक कार्य है जिसे इजरायली एजेंटों की सहायता से किया गया है लेकिन श्रीलंका सरकार तमिल उग्रवादियों को दोषी ठहराने पर बल दे रही है ताकि वह जाफना प्रायद्वीप के नागरिक ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर सकें।"

यह इजारायली मोसाद है जिसने यह कार्य किया है। यह एक बहुत गम्भीर बात है।

आप देखेंगे के दक्षिण अफ्रीका के हथियारों का इस्तेमाल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी मापदंडों तथा सिद्धांतों का उल्लंघन कर श्रीलंका के लोगों अथवा तमिल लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। अब श्रीलंका सरकार दक्षिण अफ्रीका के साथ हथियारों के सौदे कर रही है। जहां तक ब्रिटेन का संबंध है, 120 लोग वापिस चले गए हैं, जो भाड़े के सैनिक के रूप में श्रीलंका के लोगों को वहां प्रशिक्षण दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन कर्मियों को हम प्रशिक्षण दे रहे थे वे अनुशासित कर्मचारी नहीं थे। उन्होंने श्रीलंका में निर्दोष तमिल लोगों पर अत्याचार किए। अतः वे वापिस चले गए और 20 व्यक्ति अभी श्रीलंका में हैं। यू० के० के गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है 'हां, ब्रिटिश भूतपूर्व सैनिकश्रीलंका के कर्मियों को तमिलों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे।" यही सब कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने 643 श्रीलंका के कर्मियों को गुरिलाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया है। अब पाकिस्तान द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों को गुरिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये

[श्री बृजमोहन महन्ती]

अमरीका के बने हुए हैं। उनका श्रीलंका में तमिल लोगों के खिलाफ खुलकर प्रयोग किया जा रहा है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि श्रीलंका सरकार द्वारा पाकिस्तान से अपने भूतपूर्व पायलटों को भेजने का निवेदन किया गया है क्योंकि वे निर्दोष नागरिकों को कारगर ढंग से मार सकते हैं। अब चीन के हथियारों का भी प्रयोग हो रहा है। महोदय, मेरा कहना यह है। अब श्रीलंका विभिन्न राजनीतिक शक्तियों के लिए एक खेल का मैदान बन गया है। महोदय, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की क्या वचनबद्धता है? क्या विभिन्न पावर ब्लाकों को झगड़े से दूर रखने के प्रति वचनबद्धता नहीं है। अब स्थिति ऐसी है कि किसी भी समय महान शक्तियां श्रीलंका में झगड़ सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। हम कब तक इसे सहन करते रहेंगे? कौन इस तरह सहता रहेगा? बेरोकटोक निर्दोष तमिलों की हत्या जारी हैं, अत्याचार चल रहे हैं और तमिलों की बुरी तरह से हत्या की जा रही है। आर्थिक प्रतिबन्ध से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। उन्हें दिन प्रतिदिन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित किया गया। इंधन उन्हें नहीं दिया गया। वे कब तक इसे सहन करेंगे? मैं भारत सरकार को यह सलाह नहीं देता कि हम तुरन्त हस्तक्षेप करें।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : केवल यही हल होना चाहिए।

श्री बृजमोहन महन्ती : यह हल नहीं है। यह स्थिति को और खराब करेगा और वह विवाद को और बढ़ाएगा और इससे सभी कठिन स्थिति में पड़ जायेंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वास्तव में उन्होंने उनके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा। आप उस समय बोल सकते हैं। अब उनके बीच हस्तक्षेप न करें। उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री बृजमोहन महन्ती : सभी सदस्यों की एक सी राय नहीं है और वे एक तरह से व्यक्त नहीं करते हैं। अतः आप जैसा सोचते हैं उसके अनुसार सभा को परामर्श दे सकते हैं। परन्तु यह मेरी सलाह है।

महोदय, मैं इस माननीय सभा के समक्ष एक और बात कहना चाहूंगा। महोदय, हम श्रीलंका की एकता के प्रति वचनबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि वहां किसी भी प्रकार का आतंकवाद न हो—सत्ता आतंकवाद या तमिल आतंकवाद। सभी प्रकार के आतंकवादों को समाप्त किया जाना चाहिए। हम राजनीतिक हल चाहते हैं हम बातचीत से समझौता चाहते हैं। हम सैनिक कार्यवाही के खिलाफ हैं। अब, यह संकट भारत सरकार की अस्थिरता के कारण उत्पन्न हुई है।

महोदय, मैं आपके सामने कतिपय तथ्य रखूंगा। अब, आशा की किरण यह है कि वहां का विपक्ष विभाजित है। उन्होंने कहा है कि कोई सैनिक विकल्प नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीतिक समझौता होना चाहिए। मैं आपके सामने साम्यवादी दल, लंका सभा समाज दल (एल० एस० एस० पी०) तथा लंका महाजन दल के गठजोड़ से बने श्रीलंका वामपंथी तीन दलीय गठजोड़ के विचार प्रस्तुत करूंगा। एक वक्तव्य में उन्होंने सावधान किया है कि 'जो भारत के साथ झगड़ा करके तथा जातिवादी तरीकों से सैनिक हल को प्रोत्साहित करते हैं वे आग के साथ खेल रहे हैं जिन रास्ते पर वे चलने की सलाह दे रहे हैं उससे वे श्रीलंका को लेबनान, साइप्रेस या नाइजीरिया जैसी स्थिति में डाल सकते हैं।

वक्तव्य में आगे कहा गया है कि "जहां हम स्पष्ट रूप से निर्दोष नागरिकों के खिलाफ राज्य और एल० टी० टी० ई० दोनों आतंकवादों की निन्दा करते हैं, वहीं हम सरकार से इस सिद्धांत को नकारते हैं कि आतंकवादियों और आतंकवाद को, बातचीत से, राजनीतिक समझौता करने का प्रयास शुरू करने से पहले, सैनिक सहायता से नष्ट कर दिया जाये। आयरलैंड और अन्य देशों के उदाहरणों से पता चलता है कि सैनिक विजय से आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त नहीं किया जा सकता, वह फिर पनपता रहेगा जब तक कि राजनीतिक हल नहीं होता है।"

यह दृष्टिकोण हैं और यह उत्साहवर्द्धक है क्योंकि एक स्वस्थ राय, प्रगतिकारी राय श्रीलंका में जोर पकड़ने लगी है। मैं यह नहीं कहता कि इनमें से कुछ राजनीतिक दल धर्मिक कट्टरपंथी नहीं हैं बल्कि मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने यह कहकर अपना विश्वास इस समस्या के केवल राजनीतिक हल में दर्शाया है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : गत चार वर्षों से आप एक ही बात कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री एन० वी० एन० सोमू : वही दर्शन। आपने इसी दर्शन की बातों में हमारे चार वर्ष गवां दिए हैं। **(व्यवधान)**

श्री बृजमोहन महंती : महोदय, निस्संदेह हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं और माननीय मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर के रूप में दिए गए वक्तव्य को भी मैंने पूरी तरह पढ़ा है। उन्होंने इसके उपाय के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला है कि हम कहां जा रहे हैं और इस स्थिति से हम कहां जा रहे हैं और इसका विकल्प क्या है।

मैं आप को बताता हूं कि किस प्रकार श्रीलंका सरकार डोल रही है। महोदय, 12 फरवरी, 1987 को श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि यदि लिबरेशन टाइगर्स भी शामिल हो जाए तब दिल्ली में बातचीत हो सकती है। और 2 मार्च, 1987 को राष्ट्रपति ने कोलम्बो में हमारे उच्च आयुक्त को बताया कि भारत की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह 2 मार्च की बात है। 3 मार्च को सब कुछ बदल गया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत विश्वसनीयता खो चुका है, भारत अब समझौता नहीं करा सकता है। इतना ही नहीं। उन्होंने कहा भारत का उग्रवादियों पर नियंत्रण नहीं रहा है मानों वे हमारे नागरिक हैं और हम उन्हें नियंत्रण में रखे हुए हैं। फिर 24 अप्रैल, 1987 को श्रीलंका के प्रधान मंत्री का प्रसिद्ध वक्तव्य आया जिसमें प्रधान मंत्री ने कहा, "कोई भी देश जो राजनीतिक समझौते का समर्थन करता है वह श्रीलंका की सरकार का शत्रु है।" **(व्यवधान)** और, महोदय 30 अप्रैल, 1987 को राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने कहा कि भारत हिटलर की नीति का पालन कर रहा है। यहां तक कि संवाददाता सम्मेलन में भी उन्होंने कहा, "यदि लिबरेशन टाइगर्स समझौते में भाग लेता है, तो भारत मध्यस्थता में भाग ले सकता है।" यह दो वक्तव्य दिए गए हैं।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं राष्ट्रपति जयवर्द्धने के वक्तव्य को अपवाद-स्वरूप देखता हूं। क्या यह गुट-निरपेक्ष संस्कृति है कि हम सरकार का बुरा-भला कहें। वह हिटलर की नीति का पालन कर रही है? अतः यह हमें अत्यन्त अपमानजनक लग रहा है। जिन्होंने "रामायण" पढ़ी है वह यह प्रसंग जानते हैं। संत तुलसीदास ने लिखा है, "बिन भय नहीं प्रीति"। भय के बिना मित्रता नहीं हो सकती है। जब रामचन्द्र श्रीलंका जाने के लिए समुद्र को पार

[श्री बृजमोहन महन्ती]

करना चाहते थे, तो रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से कहा : "तुम समुद्र से सूखने का निवेदन करो; मैं पार जाऊंगा।" लक्ष्मण ने तीन दिन प्रार्थना की। समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब लक्ष्मण ने इसे सुखाने के लिए एक तीर चलाना चाहा। तत्काल समुद्र देवता रामचन्द्र के सामने प्रकट हुए और उनकी सहायता की। अतः तुलसीदास ने लिखा है : "बिन भय नहीं प्रीति"। अतः भय के बिना मित्रता असम्भव है। यह कूटनीति के विश्व में संभव नहीं है और माननीय मंत्री जी जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत वर्षों काम किया है इस बात को जानते हैं।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : कृपया श्रीलंका के मामले में रामायण को मत लाइए अन्यथा और भी बहुत सी बातें आएंगी।

श्री बृजमोहन महंती : चाहे कुछ भी हो आप जानते हैं कि यह कितना अनिश्चित है। देखिए 19 दिसम्बर का प्रस्ताव बातचीत का आधार हो सकता था और लगभग सभी दलों ने इसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार कर लिया था। किन्तु राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने अन्त में अपना विचार बदल लिया। निस्संदेह वह अब इसका क्या कारण बता रहे हैं? वह अपने लाभ के लिए श्रीलंका में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं : "कि मुसलमान एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।" किंतु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि, मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि दुर्भाग्य से मुसलमानों की ऐसी विचार-धारा नहीं हैं। किंतु अपने पद का लाभ उठाते हुए वह अब उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं। महोदय, अतः 19 दिसम्बर के प्रस्ताव की क्या स्थिति है? क्या आप हमें जानकारी देंगे? क्या हमारे उच्च आयुक्त हमें जानकारी देंगे? क्या कोई हमें यह जानकारी दे सकता है कि क्या किसी राजनीतिक समझौते के लिए हमें एक देश के रूप में स्वीकार किया जाता है?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री बृजमोहन महंती : मैं आधे घण्टे तक बोल सकता हूं। अभी केवल 10 मिनट हुए हैं। यदि आप इस समय व्यवधान डालेंगे तो मेरे भाषण का उत्साह भंग हो जाएगा।

अब, स्थिति क्या है? क्या मैं माननीय मंत्री में पूछ सकता हूं कि क्या हम मध्यस्थ की स्थिति में हैं और क्या हम किसी राजनीतिक समाधान पर पहुंचने के लिए उनकी कुछ सहायता कर सकते हैं? कौन सी बात को माना जाए—श्रीलंका के प्रधान मंत्री की बात को अथवा श्रीलंका के राष्ट्रपति की? प्रभुत्व किसका है? हमारी सरकार, दिल्ली की सरकार के विरुद्ध जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह अत्यन्त अमानजनक तथा पूर्ण रूप से उत्तेजक है। यह न केवल दुखद है, अपितु उत्तेजक भी है। मुझे शंका है कि हम कब तक उनके द्वारा उत्पन्न की हुई अपनी सारी भावनाओं तथा उत्तेजनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं?

संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग में उन्होंने स्पष्ट अरोप लगाये थे। यह हमारे लिए अत्यन्त अपमानजनक है। किंतु हम क्या कर सकते हैं? दो को आप कहते हैं कि हमारी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। तीन को आप अपनी राय बदल देते हैं। क्या आपने इस सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया है? क्या आपने उनसे किसी हस्तक्षेपवाद की किसी विदेशी शक्ति के सम्बन्ध में सीधे बात-चीत की है? मैं स्मरण करता हूं कि इंदिराजी ने क्या कहा था। इंदिराजी ने कहा था, श्रीलंका कोई ऐसा-

वैसा देश नहीं है। सहज ही मेरा निवेदन यह है कि आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते कि अगर विदेशी शक्तियां हस्तक्षेप करती हैं तो हम सहन नहीं करेंगे। क्या हमने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में यह मुद्दा उठाया है क्योंकि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मूल सिद्धांतों का पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अन्य देशों द्वारा उल्लंघन किया गया है? हमने क्या किया है? हमारा दक्षिणी अफ्रीका से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या आप ने ब्रिटिश सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया है? ब्रिटेन की सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उन कर्मचारियों द्वारा अत्याचार किए गए हैं जिनको उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने यह स्वीकार किया है। इस पृष्ठ भूमि में क्या हमने विरोध प्रकट किया है? यदि मुझे ठीक से याद है, मैं ने यह प्रश्न शायद पिछले सत्र में पूछा था। प्रश्न यह है "आप कम से कम दूसरी शक्तियों तथा हमारी विरोधी शक्तियों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही हैं?" यह सुरक्षा का प्रश्न है। यदि एक बार यह सुरक्षा का प्रश्न बन गया, तो केवल एक ही बात को ध्यान में रखना है कि हमें किसी भी मूल्य पर अपने आपको सुरक्षित रखना है चाहे कोई भी रूप हो। क्या आप ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में यह मुद्दा उठाया है? क्या यह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है? विश्व जानता है कि किस प्रकार श्रीलंका में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। 120 लोग वापस ब्रिटेन चले गए। यह इसलिए कि विश्व भर में यह धारणा बनाई गई कि मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। जनता ने पहले ही कहा "मानव अधिकरों का उल्लंघन किया है।" अतः हम छोड़ कर जा रहे हैं।' क्या सही अर्थों में यह महा शक्तियों के बीच संघर्ष कराने का मामला नहीं है जिनको बाहर रखने के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन वचनबद्ध है।

माननीय मंत्री को हमें कुछ जानकारी देनी है। माननीय मंत्री के वक्तव्य से भी केवल यही पता चलता है कि केवल इस बात पर बल दिया जा रहा है कि शान्तिपूर्वक बातचीत होनी चाहिए और राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए। वास्तव में हम गत चार वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। किंतु स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और वह अपनी यातना जारी रखे हुए हैं जो अमानवीय है। यह मानव सभ्यता के मानदण्डों के विरुद्ध है। यह सभ्य सरकार के मानदण्डों के विरुद्ध है।

कहीं न कहीं तो हमें इसे रोकना है। राजनयिक सम्बन्धों पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है हम प्रत्यक्ष रूप में सैनिक रूप में हस्तक्षेप न करें किंतु राजनयिक सम्बन्ध तो होने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस मामले को गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में गम्भीरतापूर्वक लिया जाए। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में, विभिन्न अन्य मंचों तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी उठाया जा सकता है। साथ ही मैं यह कहता हूं कि मैं सिंहलियों के विरुद्ध नहीं हूं। वे न मेरे राज्य से और न पश्चिम बंगाल से श्रीलंका में गए हैं। श्रीलंका की दोनों जातियां— तमिल तथा सिंहली भारत की मूल जनता है। वे इस देश से उस देश में चले गए हैं। वे न केवल यहां से चले गए हैं बल्कि उन्होंने भारत की महान परम्परा भी उत्तराधिकार में प्राप्त की है। दुर्भाग्य से सिंहली जनता अब हमारी परम्परा को अस्वीकार करती है। वे कहते हैं कि उनकी परम्परा ही अलग है। तमिलों ने भारतीय परम्परा अपना ली है। यही अन्तर है। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। बुद्धमता का मूल सिद्धांत सम्भवतः श्रीलंका में अपना प्रभाव खो चुका है।

संघम् शरणं गच्छामि,

बुद्धम् शरणं गच्छामि,

धम्मं शरणं गच्छामि।

[श्री बृजमोहन महन्ती]

विधि का नियम क्या है ? भगवान् बुद्ध का दर्शन तथा मानवतावादी मूल्य एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति में भेद-भाव नहीं करते हैं। उन्होंने एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया। यह मानव इतिहास का एक क्रान्तिकारी चरण था। किंतु जैसा मैंने पहले कहा कि श्रीलंका में इसका प्रभाव समाप्त हो गया है। अतः मेरा निवेदन यह है कि समय आ गया है जब हमें निर्णय लेना है—चाहे यह किसी भी आकार का हो हमें निर्णायक रूप से कार्य करना है ताकि हम अपने सभ्य जीवन के ढंग की रक्षा कर सकें। मुझे एक बंगला कविता याद आ रही है जिसे कलकत्ता कांग्रेस में पढ़ा गया था, जो इस प्रकार है :

चालो जाय जुद्धे
चालो जाय जुद्धे
जुद्धेर विरुद्धे जुद्धा"···

अर्थ यह है : हम युद्ध के लिए जाएं; चलो हम युद्ध करने जाएं।

किस लिए ? "युद्ध के विरुद्ध युद्ध।" अतः अब कार्यवाही करने का समय आ गया है। जो वहां असैनिक युद्ध हो रहा है उसको रोकना है। हमें उसको रोकना है।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : यदि वे सैनिक हल को चुनते हैं, तब हमें भी सैनिक हल ही चुनना है···(**व्यवधान**)

श्री बृजमोहन महंती : मैं सैनिक दल के पक्ष में नहीं हूं। कूटनीति की भाषा में कभी सैनिक हल की बात नहीं की जाती है···(**व्यवधान**)···यह तो आपका आंतरिक मामला है। क्या आप जानते है कि आपके अपने विदेश सचिव ने क्या कहा है ? मेरा मतलब भूतपूर्व विदेश सचिव से है। मैं "दि ट्रिब्यून" से उनका उद्धरण देता हूं : "उन्होंने श्रीलंका में बढ़ रहे असैनिक युद्ध में सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क न रहने के लिए केन्द्र को फटकारा है···फिर भी,—फिर भी मैं विदेश सचिव का नाम नहीं दे रहा हूं···

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : यह भूतपूर्व विदेश सचिव ने कहा है।

श्री बृजमोहन महंती : हां, यह भूतपूर्व विदेश सचिव ने कहा है मैं इसी से आगे उद्धत करता हूं जिस में लिखा है : "खैर, उन्होंने कहा है दिल्ली उन-हिन्दी क्षेत्र में जनता की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील हो रही है।" यह अत्यन्त दुःखद है। यह जीवन की त्रासदी है। एक व्यक्ति जो बहुत वर्षों तक विदेश मंत्रालय चला रहा था, वह अब कहता है : "दिल्ली अ-हिन्दी क्षेत्र की जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। क्या केन्द्र की प्रतिक्रिया ऐसी ही होगी ?" यह अत्यन्त खतनाक है। इसमें आगे लिखा है : "क्या केन्द्र की प्रतिक्रिया यही होगी यदि एक उत्तरीय राज्य के सगे-चचेरे भाईयों पर इस प्रकार का हवाई हमला हो, "उन्होंने पूछा।"···यह वास्तव में अत्यन्त दुःखद है। मुझे दुःख हो रहा है। वह कल तक विदेश मंत्रालय चला रहे थे और अब वह ऐसा कह रहे हैं। मैं क्या कहूं वह अब अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे यह अवसर दिया है। मैं कुछ मिनटों

में भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं आप को परेशान नहीं करूंगा। मेरी इच्छा है कि माननीय मंत्री हमें जानकारी दें और उन्हें कुछ निर्णायक उपाय करने चाहिएं ताकि इस मूर्खता को रोका जाए।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल और तेलगु देशम के सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं श्री कुलनदईवेलू के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं···

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, मैंने उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया है···**(व्यवधान)**

श्री एन० वी० एन० सोमू : मैं अत्यन्त व्यथा से बोल रहा हूं। मैं श्री वी० पी० चिन्तन की अन्त्येष्टि में भाग लेने गया था। उनकी मॉस्को में मृत्यु हुई और उनके शरीर को···लाया जा रहा है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : श्रीलंका में प्रति दिन बहुत से लोग मर रहे हैं···**(व्यवधान)**

श्री एन० वी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : बड़े दुख और क्षोभ के साथ मैं इस सम्मानीय सदन को सम्बोधित कर रहा हूं। चार साल बीत गए पर तमिलों के आंसू नहीं पोंछे गए। श्री पार्थसारथी श्री मंगरी, श्री चिदम्बरम्, श्री दिनेशसिंह—मैं नहीं जानता कि दूतों की इस सूची में और किसका नाम जुड़ने जा रहा है। पर श्रीलंका में तमिलों की समस्या अभी हल नहीं हुई है। श्री जयवर्धने श्रीलंका में तमिलों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार हैं। और हम अभी भी दर्शन की बातें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा बहुत से दर्शनिक हैं: एक दर्शनिक श्री पार्थसारथी हैं, दूसरे श्री रमेश भण्डारी हैं, तीसरे दर्शनिक श्री चिदम्बरम् हैं और चौथे श्री दिनेश सिंह हैं। इसी तरह श्री नटवर सिंह भी दर्शनिक हो सकते हैं। हमने दर्शन की चर्चा करने में चार साल लगा दिए जबकि बंगलादेश के मामले में तत्काल कार्यवाही की गई थी। इसलिए मैं भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री ए० पी० वेंकटेशवरम को उद्धृत करना चाहता हूं :—

> "उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उत्तरी राज्यों की समस्याओं के प्रति जितनी चिंतित है उतनी दक्षिणी राज्यों की समस्याओं के बारे में नहीं है। श्रीलंका में तमिलों की तरह उत्तरी भारत के किसी भाषाई समूह की अगर तकलीफ मिली होती तो केन्द्र सरकार ने निश्चय ही दृढ़ता से जबावी कार्यवाही की होती।
>
> उन्होंने बताया कि श्रीलंका में 30 लाख तमिलों पर किया गया अत्याचार कहीं भी रह रहे हर तमिलों के लिए गम्भीर चिन्ता का कारण है। उन्होंने कहा कि खेद की बात है कि हमारी केन्द्र सरकार उनकी आकांक्षाओं को समझ नहीं पा रही।"

पहले आर्थिक नाकेबन्दी की गई थी। उसके बाद जाफना हस्पताल को बन्द किया जा रहा है। वहां सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और पहले जैसी सामान्य स्थिति वहां कभी नहीं होगी। मैं अत्याचार की कहानी सुनाना चाहता हूं। जाफना पर नीची उड़ान भरने वाले हेलिकाप्टरों ने निर्दोष तमिल नागरिकों पर बम ही नहीं बरसाए बल्कि तमिल महिलाओं को बालों से पकड़ कर उठाया, कुछ देर झुलाया और उसके बाद ऊंचाई से उन्हें गिरा दिया। पिछले चार सालों में विश्व के किसी कोने में आपने ऐसे अत्याचार के बारे में सुना है? इस सम्मानीय सदन के बारे में हम एक-दो बार नहीं बल्कि बहुत बार चिल्लाए पर हुआ क्या? अभी भी केन्द्र सरकार सो रही है। इसलिए श्री जयवर्धने का साहस बढ़ता जा रहा है और वह इस सरकार के अनुरोध का जरा भी आदर नहीं कर रहे हैं। सैनिकों का

[श्री एन. वी. एन. सोमू]

प्रमुख उद्देश्य तमिलों खासकर 16 से 40 साल की आयु वर्ग के तमिल पुरुषों की हत्या करना है। अगर वे 16-40 साल आयु वर्ग के तमिल युवाओं को खत्म कर देंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा ? ऐसे भी घर हैं जिन्होंने पिछले 6 महीनों से चावल का एक दाना नहीं देखा। चावल, अगर मिलता भी है तो 20 रुपए किलो और मिट्टी के तेल की कीमत 30 रुपए लीटर है। इस स्थिति में बेचारे तमिल क्या कर सकते हैं ? एक तरफ तो सैनिक हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ खाने को कुछ नहीं है। जीवन निर्वाह की लागत इतनी अधिक है कि चावल की कीमत 20 रुपए किलो और एक लीटर मिट्टी के तेल की कीमत 30 रुपए है। वहां यह स्थिति है। श्रीलंका के सैनिक अच्छी फसलों को नष्ट करते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, से मेरा अनुरोध है कि इस सरकार से कुछ कारगर उपाय करने के लिए कहें। अभी तक शरणार्थी केवल मन्नार क्षेत्र से आ रहे थे लेकिन अब त्रिकोमाली और जाफना से भी आ रहे हैं। श्रीलंका में यह स्थिति है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार इस समस्या को मजदूर संघ की तरह ले रही है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार एक पक्ष के रूप में एक तरफ बैठे। इसके बजाय श्री नटवर सिंह या भारत के प्रधान मन्त्री तमिलों से कह रहे हैं कि वे एक पक्ष के रूप में बैठें। यह इसी तरह है जैसे श्रम आयुक्त प्रबन्ध वर्ग से एक ओर और मजदूर वर्ग से दूसरी ओर बैठने के लिए कहे। इसमें रवैये में तत्काल परिवर्तन किया जाना चाहिए।

6.00 म० प०

मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अगर एक पक्ष के रूप में बैठती है और दूसरी ओर श्रीलंका सरकार तो हर समस्या का हल हो जाएगा। इस सरकार द्वारा निभाई जा रही बिचौलियों की भूमिका को एक दम रोका जाना चाहिए। महोदय, इस सरकार द्वारा बिचोलिए की भूमिका को तत्काल रोका जाना चाहिए। उसे बिचोलिया नहीं होना चाहिए, उसे एक पक्ष का सहयोगी होना चाहिए। तमिलों को दी जाने वाली सहायता की काफी आलोचना हुई है। श्रीलंका सरकार को अन्य विदेशी राष्ट्रों से सहायता मिल रही है जबकि तमिलनाडु सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की आलोचना की जाती है। अगर दूसरे श्रीलंका के ईलम टाइगर को सहायता देते हैं तो आलोचना की जाती है।

एक माननीय सदस्य : आप तमिलनाडु सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का स्वागत करिए।

श्री एन० वी० एन० सोमू : जी नहीं, जो भी इनकी सहायता करता है। उससे कोई आपत्ति नहीं है। यह मानव स्वभाव है। जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है, हमने बहुत तरीकों से इस सरकार को यह कहने का प्रयास किया है कि कारगर ढंग से हस्तक्षेप किया जाए। हमारे नेताओं ने, इसमें डा० करुणानिधि भी शामिल हैं, बहुत बार गिरफ्तारियां दी हैं। मैंने स्वयं श्रीलंका की समस्या के लिए तीन-चार बार गिरफ्तारी दी है। वहां आत्मदाह और रेलों को रोका गया। अब तक अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कषगम के 5000 कार्यकलापों ने गिरफ्तारी दी है। पिछले साल हमारे नेता ने अपने जन्मदिवस पर 275000 रुपए इकट्ठे किए और तमिल सैनिकों को दिए। श्री जयवर्धने सैनिक हल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम क्यों न करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब तक सरकार कारगर ढंग से हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगी तब तक श्रीलंका में शेष बचे तमिल समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सरकार का

रवैया यह होना चाहिए कि अभी या कभी नहीं । इस सरकार से मेरा अनुरोध है कि बंगला देश की तरह ही तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। इस सरकार का लक्ष्य अभी या कभी नहीं होना चाहिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती शीला दीक्षित : क्या हम सदन का समय लगभग 25 मिनट बढ़ा सकते हैं क्योंकि माननीय सदस्य श्री शाहबुद्दीन बोलना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से सदन सहमत होगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

—[जारी]

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 196/87-सी० शु० जो 11 मई 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा 1 अक्तूबर 1981 की अधिसूचना संख्या 224/81-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पी० वी० सी० रेजिन के निर्माण हेतु विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वी० सी० एम०) पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत के सीमा-शुल्क को घटाकर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4452/87]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 136/87-के० उ० शु०, जो 11 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसका आशय आटोमैटिक कोन वाईंडिंग मशीनों के लिए मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर पर रियायती केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्धारित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4453/87]

6.04 म०प०

श्रीलंका में हिंसात्मक घटनाओं में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

—[जारी]

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीलंका में आज जो स्थिति है और उसके जो मानवीय तथा नैतिक परिणाम हैं उसके लिए आंसू भी कम हैं। श्रीलंका वास्तव में शीत युद्ध

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

की स्थिति में है । श्रीलंका के लोगों और तमिलों की पीड़ा को हम समझ सकते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। यह पीड़ा दक्षिण भारत में तमिलों तक ही सीमित नहीं है । हमारे देश के सभी लोग चाहे वे किसी भी हिस्से में रहते हों और चाहे वे किसी भी जाति के हों, इस पीड़ा और दुख को महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से श्रीलंका सरकार से सैनिक हल निकालने के लिए अपने लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है । अन्तिम हल निकालने के लिए जोकि श्रीलंका के तमिलों का दमन मात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को, जो स्वयं को प्रजातांतिक और सभ्य सरकार मानती है, अपने लोगों के एक वर्ग को मारने का अधिकार नहीं है। अगर रंगभेद जातिभेद का आधार है तो श्रीलंका आज दक्षिण अफ्रीका बनता जा रहा है । आप हमें जरूरत दृढ़ता तथा कार्यवाही करने की है। हम राज्य द्वारा हिंसा की तुलना आतंकवाद से नहीं कर सकते । हम आतंतवाद की निन्दा करते हैं। मैं यहां आतंकवाद को उपयुक्त नहीं ठहरा रहा लेकिन कोई भी गैर सरकारी समूह द्वारा आतंकवाद की कार्यवाही की तुलना देश में हिंसा और सरकार द्वारा अपने लोगों के खिलाफ छेड़े गए युद्ध से नहीं की जा सकती। आज श्रीलंका में जो हो रहा है उसका असर केवल सैनिकों पर नहीं पड़ रहा जैसाकि श्रीलंका सरकार दावा करती है। उसका असर प्रत्यक्ष रूप से उस देश की असैनिक आबादी पर पड़ रहा है । हजारों लोग घायल होते हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि श्रीलंका सरकार अपने इस रिकार्ड पर गौरवान्वित है । वह बहुत गैर उत्तरदायित्व पूर्ण और असंयमित भाषा का इस्तेमाल कर रही है ।

यहाँ उपस्थित हम सब त्रिकोमाली और कोलम्बो में हुए सिंहल लोगों के नरसंहार की भी निन्दा करते हैं लेकिन हमारे मित्र ने उल्लेख किया है कि कोलम्बो में जो कुछ हुआ है और उसके पीछे जो है उस बारे में थोड़ा सा सन्देह है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि श्रीलंका की यह सरकार 1977 में चुनी गई थी। 1983 में इसने पूरे कार्यकाल के लिए जनमत संग्रह द्वारा अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। हो सकता है कि आज यह सत्ता में आने के लिए या एक वार और अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए बहाना ढूंढ रही हो। आज श्रीलंका की स्थिति को देखते हुए हम इस पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकते ।

इसलिए श्रीलका की स्थिति श्रीलंका के लिए राष्ट्रीय त्रासदी है। एक सभ्य राज्य सैनिक राज्य सैनिक राज्य बन गया और समूची पीढ़ी नफरत और हिंसा पर चल रही है। वास्तव में उस देश में एक राजनैतिक और सामाजिक त्रासदी है जिसे बहुत उन्नत और स्वतन्त्र माना जाता था, इसकी जनता के खिलाफ जुर्म किया जा रहा है और सामाजिक, ताने बाने को इतना उधेड़ दिया गया है कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती । लेकिन यह एक क्षेत्रीय त्रासदी भी है। यह हमारे क्षेत्र के लिए खतरा भी है क्योंकि बाहरी ताकतें स्थिति का फायदा उठाने में पीछे नहीं है। वे अपनी इच्छा से स्वयं को स्थिति में शामिल कर रही है। स्थिति का मानवीय पहलू है। यह एक मानवीय त्रासदी है। मानवीय अधिकारों का बहुत उल्लंघन किया जा रहा है। यह एक तरह से नरसंहार है और नरसंहार का अपराध मानवता के खिलाफ अपराध है।

महोदय, भारत में हम सिंहली और तमिलों को अपना सम्बन्धी मानते हैं और हमारे लिए यह

एक परिवारिक त्रासदी है। इसलिए हमारा यह कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है कि हम मौन दर्शक न बने रहें बल्कि यथा सम्भव वह सब करें जिससे श्रीलंका में शांति का माहौल बने।

महोदय, अभी तक हमने क्या किया है? हम एक दूत के बाद दूसरा दूत भेजते जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि विदेश कार्यालय के कार्यकरण में कुछ कमी है। एक चरण पर श्री पार्थसारथी थे जिनकी कूटनीति मौन कूटनीति थी। उसके बाद अचानक आप उनकी जगह श्री रमेश भण्डारी को दे देते हैं जिनकी कूटनीति बहुत अधिक दबाव की है। उसके बाद आपने हमारे प्रिय सहयोगियों श्री नटवर सिंह और श्री चिदम्बरम् को भेजा। मालूम नहीं उनकी उपलब्धि क्या रही अचानक दिसम्बर के बाद शायद उन्हें नींद आ गई। उसके बाद अचानक श्री दिनेश सिंह को लाया गया। मालूम नहीं क्यों। उनकी शैली सम्भवतः रात्रि भोज की शैली है। लेकिन भावों को जागृत करने वाला नाटक कूटनीतिज्ञ नहीं होता और मस्तिष्क में अचानक उठने वाली लहर राजनीतिज्ञता नहीं होती।

हमें अनुभव की दृष्टि और ज्ञान की जरूरत है जो निरन्तर प्रयास और प्रयत्न से प्राप्त होती है। आप एक विशेष स्थिति में आकर नए उपाय कर रहे हैं इसलिए मुझे हैरानी नहीं है कि कुछ समय से हम दोनों पक्षों में कारगरता और साख खोते जा रहे हैं। जयवर्धन जी ने किसी से कुछ कहा है उसे मैं उद्धृत करूंगा "अब मुझे लगता है कि मेरी स्थिति सुनील गावस्कर जैसी है। भारत ने एक के बाद एक छह: गेंदबाज भेजे हैं और मैं अभी तक आउट नहीं हुआ।" लगता है उन्होंने स्थिति को भांप लिया है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने घर को व्यवस्थित करें। हमें दृढ़ता से सोचना चाहिए। जब तक यह समस्या हल नहीं हो जाती तब तक बातचीत के लिए एक स्थायी वार्ता दल होना चाहिए मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर नटवर सिंह जी वहां हैं। मेरे विचार से उन्हें वहां होना चाहिए। लेकिन विदेश मन्त्री भी होने चाहिए। इस समस्या का हल सक्षम और व्यावसायिक ढंग से किया जाना चाहिए न कि व्यग्र और कभी शुरू करने कभी बन्द करने के तरीके से। यदि हम चाहते हैं कि श्री लंका में हमारी कूटनीति सफल रहे तो हमें भारत की कूटनीति को सक्रिय बनाना होगा तथा इसका उद्देश्य और दिशा तथा इसकी स्पष्ट भूमिका को निर्धारित करना होगा। हमारे पास क्या विकल्प है? हम कह सकते हैं कि उन पर द्विपक्षीय दबाव डाला जाए, उनको राजी किया जाए, चाहे तो आप इसे मध्यस्थता कह सकते हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं; लेकिन दबाव तभी काम करता है जब दूसरे पक्ष को यह मालूम हो कि जरूरत पड़ने पर आप और दबाव डाल सकते हैं। हमारे पास एक बिकल्प यह है कि इसमें सैनिक हस्तक्षेप किया जाये। इस समय मैं उस बारे में नहीं कहूंगा। एक विकल्प है अन्तर्राष्ट्रीय सैन्यीकरण किया जाए। वस्तुतः यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि श्रीलंका दूसरा दक्षिण अफ्रीका बनता जा रहा है तो फिर हम मानवीय अधिकार आयोग को सक्रिय क्यों नहीं करते? हम इसमें 'सार्क' की सहायता क्यों नहीं लेते? हम गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में इस पर विचार क्यों नहीं करते और या यदि हम समझते हैं कि स्थिति में सुधार नहीं होता और इससे हमारे क्षेत्र की शांति भंग होगी तो हम यह मामला संयुक्त राष्ट्र को क्यों नहीं सौंपते?

जहां तक हस्तक्षेप का सम्बन्ध है, मेरा झुकाव इस ओर नहीं है क्योंकि हमें सम्भावित प्रतिक्रिया और इसका हमारे पड़ोसी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा—इस पर विचार करना है। लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हों जिनमें सैनिक हस्तक्षेप करना

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

पड़ा हो। उदाहरण के लिए मैं आपको अरमानिया में उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। अर्मानिया में हुए जनसंहार के कारण सभी यूरोपीय शक्तियों को उन लोगों, जिन्हें विनाश करने, खत्म करने की धमकी दी गई थी, की रक्षा के लिए तुर्की में हस्तक्षेप करना पड़ा। वास्तव में हम बंगलादेश का उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन बंगलादेश की स्थिति एक वजह से श्रीलंका जैसी नहीं है कि बंगलादेश की अधिकांश जनता विद्रोह में खड़ी हो गई थी और उन्होंने सरकार बना ली थी। उस सरकार को हमने मान्यता दी थी और उस सरकार की सहायता के लिए ही हमें बंगलादेश में धावा बोलना पड़ा था।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : तब भी पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ की थी।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : साथ ही पाकिस्तान ने हमारे कुछ हवाई क्षेत्रों पर हमला करने की मूर्खता की थी। मैं श्री जयवर्द्धने को भी ऐसी मूर्खता करने वाला नहीं कहना चाहता।

चूंकि मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि उस समय सैनिक हस्तक्षेप किया जाए क्योंकि अभी भी मैं समझता हूं कि इस मामले में आशा की किरण है।

मैंने आज श्रीलंका के मन्त्री श्री दिसानायक का वक्तव्य पढ़ा है। वास्तव में उन्होंने संक्षेप में कहा है पर उसमें निहित गूढ़ अर्थ से मुझे कुछ संकेत महसूस मिला है। उनका कहना है कि श्रीलंका राजनैतिक हल चाहता है। तो यह कथन उससे भिन्न है जो कुछ दिन पूर्व श्री जयवर्द्धने ने कहा था। दूसरी बात वे तमिल सैनिकों से समझौता करने के लिए तैयार हैं। तीसरे श्रीलंका अभी भी दिसम्बर के प्रस्तावों पर अडिग है। अब आप इस वक्तव्य से ली गई इन तीन बातों को परस्पर एक करिए। मैंने इसके मूल पाठ को नहीं देखा है। मुझे यह समाचार-पत्र की खबर से मिला है। इससे मुझमें आशा जागृत हुई है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : उन्होंने विदेशियों द्वारा श्रीलंका के सैनिकों को प्रशिक्षित करने सम्बन्धी खबरों का भी उल्लेख किया है। यह भी उसमें है। आप उस वक्तव्य को पढ़िए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं केवल समाधान की सम्भावनाओं का उल्लेख कर रहा हूं। मैंने वह सब पढ़ा है।

जैसा कि मैंने कहा इस वक्तव्य के निहित आशय से मुझे ये तीन संकेत मिले हैं। ये तीन संकेत मिलकर आशा की एक किरण जगा रहे हैं अर्थात् इस बात की सम्भावना है कि शायद हम दोनों पक्षों को दोबारा से समझौते के लिए राजी कर सकते हैं। अगर जरा सा भी अवसर है और मेरे ख्याल से यह अन्तिम अवसर है, तो कोई कारण नहीं कि हमारी कूटनीति इस अवसर को गंवा दे।

मेरे ख्याल से अब भारत को क्या करना चाहिए ? मैं उनमें से नहीं हूं जो कहेंगे कि हमें सारी सावधानियों और नियन्त्रणों को समाप्त कर देना चाहिए अन्यथा हमें कायर समझा जाएगा। मैं उनमें से नहीं हूं लेकिन मैं बहुत स्पष्ट और जोरदार ढंग से आपको सुझाव दूंगा कि यह उपयुक्त अवसर है कि सम्पूर्ण स्थिति, श्रीलंका में घट रही नृशंस घटनाओं और हमारे क्षेत्र को काफी समय से खतरे पर विचार करते हुए आपको आगे बढ़कर कहना चाहिए कि श्रीलंका के प्रति जो हमारी नीति है। उसकी हम समीक्षा करेंगे।

नीति की समीक्षा करते हुए आपको विकल्पों का रास्ता बन्द नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको यह अपील करनी चाहिए कि युद्ध बन्द किया जाए और श्रीलंका सरकार सभी तरह की आर्थिक नाकेबन्दी, ईंधन की नाकेबन्दी आदि तुरन्त समाप्त कर दे और संयुक्त राष्ट्र संघ के 12 मार्च के मानव अधिकार सम्बन्धी संकल्प के अनुसार वहां तत्काल अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास को भेजा जाए। हम सभी ने उस संकल्प पर हस्ताक्षर किए हैं।

तीसरा चरण यह होगा कि एक बार स्थिति स्थिर हो जाने पर 19 दिसम्बर, 1986 के प्रस्तावों के आधार पर वार्ता की पुनरीक्षा की जाए। मैं नहीं समझता कि 19 दिसम्बर, 1986 के प्रस्ताव ही अन्तिम हैं। मैं नहीं समझता कि श्री नटवर सिंह भी इस बारे में कोई दावा करेंगे। लेकिन निश्चय ही हम इस आधार पर कार्य करके हम ऐसा स्वीकार्य और संतोषजनक हल निकाल सकते हैं जिसके अन्तर्गत श्रीलंका में तमिलों की स्वायत्तता की गारण्टी दी जा सके। इस का अर्थ है कि उन्हें उनके सांस्कृतिक सामाजिक और राजनैतिक अधिकारों की गारण्टी दी जा सकती है। यदि केवल इस बात पर कि तमिल प्रान्त एक हो अथवा दो हों, बातचीत भंग हो जाती है तो यह बहुत बुरी बात है।

महोदय, अब समय आ गया है कि श्रीलंका को यह नोटिस दे दिया जाए कि यदि वे हमारी बात नहीं सुनते यदि वे हमारी अपील नहीं मानते तो हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम द्वीपक्षीय आधार पर और साथ ही बहुपक्षीय रूप में भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस समस्या को और अधिक गम्भीर रूप धारण करने से रोक सकते हैं।

महोदय, हम श्रीलंका को उन वस्तुओं का निर्यात रोक सकते हैं जिन्हें दुर्भाग्य से हम वहां अभी भी भेज रहे हैं और जो सैनिक कार्यों में प्रयुक्त होती हैं. हम बसों और ट्रकों का निर्यात क्यों नहीं रोक देते। हम मानववीय मिशन क्यों नहीं भेजते। हम श्रीलंका को बता दें कि जब तक आप हमारी बात नहीं सुनते तब तक नाकेबन्दी रहेगी और हम केवल बीमार लोगों के लिए अनाज, ईंधन और दवाइयां ही भेजेंगे, हम उन्हें बता दें कि हम वायु सेवाओं और नौवहन सेवाओं का सम्बन्ध तोड़ सकते हैं और इस नरसंहार के प्रश्न पर विश्व जनमत तैयार करेंगे।

महोदय अन्तिम बात यह है कि हम उनके मार्ग की बाधा नहीं बनेंगे जो अपना बलिदान देना चाहते हैं और तमिल लोगों के स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लेना चाहते हैं। जो हम कह रहे हैं उसे सिद्ध करने के लिए क्या हम बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के तट की ओर नौसैनिक युद्धाभ्यास नहीं कर सकते हैं। बदतर होती जा रही स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या यह एक कूटनीतिज्ञ प्रक्रिया का अंग नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा क्षेत्र है हमारी जिम्मेवारी है। दक्षिण एशिया में भारत की केन्द्रीय स्थिति है। हम विश्व के अपने भाग में विश्व की आजादी समाप्त नहीं होने देंगे। हम मानवीय भावनाओं को कुचलने की मंजूरी नहीं देंगे। हम श्रीलंका के तमिलों के नरसंहार की अनुमति नहीं देंगे। हम देखेंगे कि न्याय का पालन हो, वहां शांति स्थापित हो और यह हरित द्वीप पुनः मुस्काये।

उपाध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद कल जारी रहेगा। सभा कल ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.19 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 12 मई, 1987/22 वैशाख, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मित्तल प्रिन्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित